राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 2] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 48 वां दिवस [संख्या 16

मंगलवार

दिनांक 5 मार्च, 1968.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-04 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, चुनाव, पंचायत, वन, सिंचाई, राजकीय उपक्रम, समाज कल्याण, श्रम, खाद्य, अकाल राहत, व विकास विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

तहसील दूदू के पटवारी व तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही

435. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सिवाय चक भूमि पर भूमिहीन किसानों द्वारा अनधिकृत कब्जा करके काश्त करने पर काश्त मवेशियों को चराने के आदेश जारी किये हैं ? अगर. हां, तो कौनसी तारीख को ?

(2) अगर उक्त प्रकार के आदेश नहीं दिये गये हैं तो तहसीलदार दूदू ने खरीफ की फसल को इस साल मवेशियों को खड़े रहकर किस नियम के तहत चरवा दिया है ?

(3) क्या सरकार के ऐसे भी आदेश हैं कि सिवाय चक भूमि पर किसान द्वारा बोई गई फसल व चारा पटवारियों द्वारा कूते जाकर संबंधित किसान से चारगुनी कीमत वसूल की जाय ? और क्या इस संबंध में कोई नियम भी बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या तहसील दूदू में तहसीलदार व पटवारी द्वारा फसल की जो मनमानी कीमत कायम की जाकर वसूल की जा रही है, नियमानुकूल है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी)

(1) इस विषय में राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 6 (27) राज।ख। 67, दिनांक 22-8-67 द्वारा चरागाह पर अतिक्रमण होने की दशा में उसमें मवेशी छुड़वाये जाने के आदेश प्रसारित किये थे ।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(3) इस प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं । तहसीलदार के अधिकार धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत हैं ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(4) मनमाने ढंग से कोई कीमत वसूल नहीं की जा रही है।

श्री सुवालाल चौधरी : यह प्रश्न (1) के उत्तर में आपने बताया है कि मवेशियों के चराने का आपने कहा तो यह चरागाह के लिए आदेश है या बंजर भूमि के लिए और सिवाय चक के लिए भी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : केवल गोचर भमि के सम्बन्ध में है।

श्री सुवालाल चौधरी : गोचर भूमि के अलावा सिवाय चक पर बोई गई फसल को चरा दिया गया है तो क्या सरकार उस तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करेगी और जिनको फसल का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलायेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार के पास नहीं आई है। अगर ऐसी शिकायत होगी तो जांच कराली जायगी।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर) : क्या यह सच है कि ....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है !

श्री दुर्गालाल बादवार : 1963 के पहले ...

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जिन मामलों में कोर्ट्स के लिए अपील व रिवीजन करने का अधिकार है उन मामलों से जो सवाल रखे जाते हैं तो सेक्शन 91 के अन्दर अपील है, सेकण्ड अपील है, इन मामलों में प्रश्नों के उत्त देना क्या वाज़िब है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो निर्विवाद प्रश्न है कि जो प्रश्न न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत हैं विवाद के लिए उन प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रश्न 91 के तहत तहसील कोर्ट में हो रहा है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर यहां दिये जाते हैं और उनका फैसला और होता है तो ...

श्री अध्यक्ष : लेकिन प्रश्न काफी आवश्यक है और चूंकि वे जवाब देना चाहते हैं इसलिए यह प्रश्न मेरे सामने नहीं आया है।

श्री दुर्गालाल बादवार : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है राइट ऑफ अपील और प्रोसीजर ऑफ ला होते हुए भी अधिकारी वर्ग ...

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है व्यवस्था का प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बादवार : क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिये हैं कि 1963 से पहले से जिनका अनधिकृत कब्जा है उनसे 15 गुना पैनल्टी के रूप में रुपया वसूल करके खातेदारी के अधिकार दे दिये जायेंगे ? क्या इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार ने जारी किये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है व

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
प्रकाशित किये जा चुके हैं। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि 1963 के दिसम्बर के पहले पहले जिन भूमिहीनों ने कब्जा किया हुआ है उन सबको अधिकार दे दिये जायेंगे और 1963 के दिसम्बर के बाद में जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके कब्जे को नियमन करने के बारे में उनसे नजराना 20 गुना लगान और पैनल्टी 15 गुना लगान लेकर तहसीलदार उसको खातेदारी हकूक दे सकता है। यह अधिकार तहसीलदार को दे दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने यह आदेश दिये हैं यह आदेश सिवाय चक भूमि के बारे में है और चरागाह के बारे में नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ये चरागाह के बारे में नहीं हैं बल्कि जो राज्य की सिवाय चक की जमीन है उसके बारे में है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चरागाह के अन्दर जहां पर मवेशी चरते हैं वही जमीन मानी जाती है या रेकार्ड ऑफ राइट्स में चरागाह जमीन दर्ज है उसको मानेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रेवेन्यू रेकार्ड्स में जो चरागाह दर्ज है उसको मानेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : चरागाह की जमीन ज्यादा है और मवेशी कम हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में प्रावधान है। जिस गांव में सिवाय चक या चरागाह की जमीन ज्यादा है और मवेशी कम हैं तो पंचायत के रिजोल्यूशन के ऊपर एस. डी. ओ. को दरख्वास्त करेंगे तो एस. डी. ओ. तहकीकात करके उसको सिवाय चक में तब्दील कर सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अनधिकृत कब्जा करने वालों की जमीन पर जितनी फसल पैदा हुई है उसके बारे में कूता किये जाने के लिए क्या नियमों में प्रावधान है या कानून में प्रोवाइडेड है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सेक्शन 91 के अन्दर प्रावधान है कि रिपोर्ट करके इसका कूता किया जायगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष, मेरा यह प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि अनधिकृत कब्जा कर लिया तो एक तरफ तो राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि मवेशियों से उसको खिला दिया जायगा और दूसरी तरफ यह है कि उसका कूता किया जायगा तो यहां पर क्या पक्षपात नहीं माना जायगा ? इतनी स्पष्ट बात है कि एक गांव के अन्दर चार प्रकार की भूमि होती है। एक बड़े भारी एरिया के कुछ भाग पर कुछ आदमियों ने कब्जा कर लिया तो उसमें तो मवेशियों से खिला देते हैं और दूसरे व्यक्तियों के बारे में कूता करवाते हैं और वह कूता भी तहसील में बैठे बैठे हो जाता है और मौके पर जाकर नहीं किया जाता है। यह 91 का प्रोवीजन है। क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश दे रखे हैं सेक्शन 91 के तहत कि बिना किसी प्रकार की तहकीकात के कूता किया जाय और जो भी चीज है वह सारी रैण्ड पर फोलो की जानी चाहिये। एक तरफ तो जमीन पर खड़ी फसल को पिलवा देते हैं और दूसरी तरफ कूता करवाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 91 में यह प्रावधान है कि जो जमीन पर अनधिकृत कब्जा करेंगे तो तहसीलदार उनकी फसल को कुर्क कर सकता है और जब फसल कुर्क की जा सकती है तो उसका कूता किया जाता है । कूता किया जाता है तो वह 5 मोतबिर आसामियों के सामने जो कि उसी गांव के होते हैं किया जाता है । जहां तक चरागाह का प्रश्न है क्योंकि चरागाह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिये जुलाई में जहां जहां अतिक्रमण हुआ है वहां वहां कार्यवाही की गई तहसीलदारों द्वारा । अब प्रश्न यह है कि जहां पर कार्यवाही नहीं की गई और फसल बड़ी हो गई वहां पर यह आवश्यक नहीं था कि फसल को बरबाद किया जाता । वहां पर सेप्टेम्बर-अक्टूबर में कार्यवाही की गई है इस सम्बन्ध में तहसीलदारों को आर्डर दिया है । यह तहसीलदारों के डिस्क्रीशन पर है अतिक्रमण वाली जमीन की फसल को कुर्क करे, जब्त करे या नीलाम करे । वह जो चाहे कर सकता है । धारा 91 के तहत अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा एक अंतिम प्रश्न और है ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दे दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : रेवेन्यू रेकार्ड में जो गोचर भूमि दर्ज है उसके लिये तो आपने आज्ञा दे दी कि वहां पर मवेशी चराई जा सकती है लेकिन जो पाश्चर लैंड है और आपके रेकार्ड में दर्ज नहीं है लेकिन पाश्चर लैंड 1955 से पहले से है उसके लिये क्या आज्ञा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो पाश्चर लैंड दर्ज नहीं है उसको इसमें कैसे लेंगे । जो दर्ज है वही गोचर भूमि है । जो गोचर भूमि की तरह दर्ज नहीं है और बंजर पड़ी है वह सिवाय चक है, वह भूमि गोचर भूमि नहीं मानी जा सकती ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूंबर) : रेवेन्यू रेकार्ड में गोचर भूमि लिखी नहीं गई है लेकिन जो वास्तव में गोचर भूमि है उसको क्या गोचर भूमि में दर्ज करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दर्ज की जावेगी तभी गोचर भूमि मानी जायगी ।

श्री रोशनलाल शर्मा : रेकार्ड में दर्ज नहीं की गई है लेकिन आपके तहसीलदार और एस. डी. ओ. ने घोषणा कर दी है कि यह चरनोट की भूमि है तो क्या वह गोचर भूमि नहीं मानी जायगी ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : राजस्थान में कई जगह गोचर भूमि पुराने जमाने से काम में आ रही है उसको कहीं ओरण, कहीं डोली, कहीं सांसण कहीं बीड़ इन नामों से दर्ज किया है क्या इन सब को आप गोचर मानते हैं या केवल 'गोचर' शब्द लिखा हो उसको गोचर मानते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो बीड़ है वह गोचर नहीं मानी जा सकती । बीड़ वन विभाग के अंडर में होती है और वन विभाग द्वारा चराई पर दी जाती है गोचर भूमि पर गांवों में मवेशी चराने का अधिकार सेटलमेन्ट ने दिया है उसी को गोचर माना जायगा ।

श्री दौलतराम सारण : जो बीड़ वन विभाग के कब्जे में नहीं है बल्कि रेवेन्यू विभाग के कब्जे में है और वहां पर चराई नहीं ली

(श्री दौलतराम सारण)
जाती है और तालाब के बीड़ ओरण के नाम से हैं और पुराने गांवों में देवताओं के थानों के चारों तरफ ऐसे बहुत से बीड़ हैं जो गोचर के काम में आते हैं लेकिन आपके रेवेन्यू रेकार्ड में गोचर के नाम से दर्ज नहीं हैं उनके बारे में आप क्या फर्माते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो गोचर के नाम से दर्ज नहीं है उसको गोचर नहीं माना जायगा । जो गोचर के नाम से दर्ज है उसी को गोचर माना जायगा ।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी लाखों एकड़ भूमि है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कानूनी मामला है । यदि पशु चराने की प्रेक्टिस रही है तो इन्द्राज भी होना चाहिये । गोचर भूमि वही मानी जायगी जिसका रेकार्ड में इन्द्राज है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ! श्री हीराभाई ।

श्री रोशनलाल शर्मा : मेरा जवाब नहीं आया . . .

(एक साथ कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राजस्व विभाग में जो भूमि ओरण बीड, सांसण आदि के नाम से दर्ज है उसको गोचर के नाम से दर्ज करने के आदेश दिये जायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अश्रव्य (एक साथ कई माननीय सदस्य बोलने लगें)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार के आदेश इस प्रकार हैं कि चरागाह के नाम से जो दर्ज है वही चरागाह है लेकिन आपसे प्रश्न सिवाय चक जमीन के बारे में पूछा गया था । जो जमीन चरागाह के नाम से दर्ज आपके रेकार्ड में नहीं है और ऐसी जमीन के बारे में फैसले हो गये हैं उनको भी आपके अधिकारियों ने नहीं माना है, ठीक है आप मत मानिये लेकिन प्रश्न सिवाय चक के बारे में है . . .

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये भाषण दे रहे हैं हमारे प्रश्न का जवाब रह जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

श्री जुझारसिंह : मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इनडिस्क्रिमिनेटली रेगुलेराइज करने के आर्डर साल दर साल होते जा रहे हैं क्या यह गलत नहीं है ?

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब अब तक नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री शंकर लाल ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में पाश्चर लैंड की डेफिनेशन दी है । इसमें गोचर लैंड दर्ज नहीं है लेकिन जहां मवेशी चरते आये हैं सब क्लाज 28 के मुताबिक वह भी गोचर मानी गई है । डेफिनेशन के खिलाफ आप उसको गोचर मानेंगे या नहीं ?

श्री रोशनलाल शर्मा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : आ जायगा तीनों प्रश्नों का जवाब एक साथ आ जायगा ।

श्री भूभारसिंह : साल दर साल आप इल्लीगल ओकुपेशन को रेगुलेराइज करते जा रहे हैं यह नहीं देखते कि मारजिनल लैंड है या कटाव की लैंड है । भूमि में कटाव कोटा डिविजन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है । इनडिस्क्रिमिनेटली रेगुलेराइज करने के आर्डर्स दिये जाते हैं क्या यह गलत नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो जमीन काबिल एलाटमेन्ट होती है, आवंटन के योग्य होती है उसी को रेगुलेराइज करते हैं । जो आवंटन के योग्य नहीं है उसको रेगुलेराइज नहीं करते ।

एक माननीय सदस्य : हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें आबादी की भूमि थी उसको सेटलमेन्ट के बाद गोचर करार दे दिया । जो भूमि आदिवासियों को एलॉट होनी थी वह उनको एलॉट नहीं हुई और बीड़ बनादी गई उससे लोगों को काफी नुकसान होता है . . . .

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री हीरा भाई ।

श्री रोशनलाल शर्मा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री चुन्नीलाल चौधरी : मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूँ . . . .

श्री अध्यक्ष : अब नहीं ।

श्री रोशनलाल शर्मा : मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका जवाब मंत्री महोदय नहीं दे रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर जिले में . . . .

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न ने 15 मिनिट ले लिए इस कारण दूसरे प्रश्न नहीं आ सकेंगे । कई माननीय सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं ।

श्री रोशनलाल शर्मा : प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है । महरबानी करके उत्तर दिलवा दीजिए . . . .

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा एक सुझाव है । मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस सम्बन्ध में जो गलतफहमी है यदि माननीय सदस्य मुझे लिख कर दे दें तो मैं जवाब लिख कर उनके पास भिजवा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : इसके अतिरिक्त मैं सुझाव दूंगा कि माननीय सदस्य जो सुझाव रखते हैं वे आज ही राजस्व मंत्रीजी से मिल लें और माननीय मंत्रीजी से कहूँगा कि सुविधा जनक समय माननीय सदस्यों को दे दें ।

नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री चुन्नीलाल चौधरी : मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ महरबानी करके उत्तर दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह निवेदन किया है कि राजस्व मंत्रीजी प्रश्न कर्ता और जिनके सुझाव हैं उनसे मिल कर उनकी बात सुनने का अवसर देकर स्पष्टीकरण कर दें ।

पंचायतों के चुनाव

436. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिन पंचायतों की अवधि दिसम्बर,

(श्री हीराभाई)

1967 तक समाप्त हो चुकी हैं उनके चुनाव कब तक कराये जायेंगे ?

(2) क्या जिन पंचायतों की अवधि बढ़ाई गई है उनकी अवधि बढ़ाने के कारण जनता को जानकारी के लिए प्रकाशित करवाये गये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

निर्वाचन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : यह प्रश्न पंचायत विभाग को ट्रान्सफर कर दिया गया है क्योंकि यह पंचायत विभाग से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष : किसको ट्रान्सफर किया है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : पंचायत विभाग को ।

श्री हीराभाई : पंचायत मंत्री नियुक्त नहीं हुए हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय··

श्री रोशनलाल शर्मा : जो जानकारी चाहते हैं वह यह है कि यह चुनाव पंचायत विभाग करेगा या चुनाव विभाग करेगा ?

श्री अध्यक्ष : आज ही परिवर्तित किया है आपने ?

श्री नारायणसिंह : मैंने लिख दिया था इस विषय में ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कब भेजा आपने ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री कालूराम आर्य !

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है, मैंने जो प्रश्न भेजा था उसमें यह था, उसमें राजस्थान की पंचायतों के आम चुनाव की बात है । यह जो है, कुछ पंचायतों के बारे में है । उसके बारे में यहां जवाब दिया जाय तो स्टडी कर लें और राजस्थान पंचायतों के चुनाव जिस डेट को होने वाले थे उस चुनाव की अवधि क्यों आगे बढ़ाई गई है—यह सवाल मैंने पूछा था उसको स्टडी करके जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न है उसका अध्ययन कर लिया जाय माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से ।

श्री कालूराम आर्य !

सरपंच, धाकड़ी को चौकीदारों की कॉलोनी के निर्माण के लिए दी गई धनराशि

437. **श्री कालूराम आर्य** (बिलाडा मु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम धाकडी, पंचायत समिति, सोजत में चौकीदारों की कालोनी हेतु कुछ रकम सरपंच; धाकडी को दी गई ? यदि हां, तो क्या मकान पूरे बन चुके हैं ? यदि नहीं, तो उक्त रकम को अब तक वसूल न किये जाने का क्या कारण है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : सरपंच को पंचायत समिति द्वारा सीधी कोई रकम नहीं दी गई । कुल 18 व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए राशि दी गई थी । 14 मकान पूरे हो गये हैं । एक मकान अधूरा है । तीन मकान नहीं बने हैं । वसूली की कार्यवाही चालू कर दी गई है ।

प्रश्न संख्या 438

श्री अध्यक्ष : श्री वृजवल्लभ बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न संख्या 436 जो है, यह केवल सिद्धान्त और नीति से सम्बन्धित है, और पंचायत मंत्री आज उत्तर दे रहे हैं इसके संबंध में, तो उसके संबंध में भी उत्तर क्यों नहीं दे देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : किसके संबंध में ?

श्री दौलतराम सारण : 436 ?

श्री अध्यक्ष : वह चला गया । वह आगे चला गया ।

श्री दौलतराम सारण : 436, यह नीति का मामला है, चुनाव कब तक कराना चाहते हैं और उसकी अवधि क्यों बढ़ाई गई ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शिव कुमारी !

श्री रामनारायण चौधरी : जब मियाद बढ़ गई तो चुनाव कैसे होंगे ।

भीमली बांध से सिंचाई

439. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बन्ध भीमली, सब-तहसील आसनावर (झालरापाटन) से कौन कौन से गांवों में कितने कितने रकबे में सिंचाई की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि बांध को दो तीन फुट ऊंचा उठा देने से सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा सकता है व यहां के लोगों द्वारा इनकी मांग की हुई है ? यदि हां, तो कितना रकबा अधिक बढ जाने की सम्भावना है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बडोदिया में किसी व्यक्ति द्वारा पानी का आम धोरा बदल देने से बन्ध भीमली का पानी नीचे के काश्तकारों को मिलना बन्द हो गया है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक काश्तकारों के पिलाई में आने वाली इस दिक्कत को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही की है और कब की ?

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) बन्ध भीमली, झालरापाटन से निम्न गांवों में सन् 1966-67 में इस प्रकार सिंचाई हुई:–

1.	बड़ोदिया	214 एकड
2.	घानोदा	16 एकड
3.	खेरखेडा	58 एकड
		288 एकड

(2) यह सही नहीं है कि बान्ध को ऊंचा उठा देने से सिंचित रकबा बढ़ सकता है यह पिकअपवियर है और नदी में बहाव का जितना भी पानी आता है वह पूर्णतया सिंचाई के काम में आता रहा है ।

काश्तकारों ने बांध को ऊंचा करने की मांग की थी, लेकिन बान्ध को ऊंचा करने से सिंचित क्षेत्र का बढ़ना सम्भव नहीं ।

(3) यह सही है कि इस रबी में कुछ लोगों ने पानी के आम धोरे में रोक लगा दी पर वह तुरन्त ही सम्बन्धित ओवरसियर द्वारा हटवा दी गई ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री दीपचन्द !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! श्री जुझार सिंह ! श्रीमती शिव कुमारी !

श्रीमती शिवकुमारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि सिंचाई बांध को ऊंचा उठाने से सिंचाई होने की सम्भावना नहीं है। गांव वालों ने आलरेडी कच्ची दीवार उठा कर दो दो फीट ज्यादा पानी एकत्रित किया था उससे उत्पादन के लिए इर्रीगेशन बढ़ा था। क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि आपने यह कैसे कहा कि दीवार ऊंचा करने से सिंचाई नहीं हो सकती ? गांव वालों की मांग है कि इसको दो दो फीट ऊंचा कर दिया जाय तो उत्पादन ज्यादा सिंचाई होने से बढ़ेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, यह पिकअपवियर है, यह स्टोरेज टैंक नहीं है, इसलिए ऊंचा करें या न करें, बारह महीने ज्यादा पानी नहीं आता है, केवल बरसात के दिनों में, अगर इसको ऊंचा कर दें, पानी अधिक ले सकते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में अधिक पानी की फसल को जरूरत नहीं होती है। सवाल यह है कि गर्मी के दिनों में इसमें अधिक पानी स्टोरेज करके दिया जा सकता है या नहीं ? यह पिकअपवियर है, गर्मी के दिनों में इसमें पानी आता नहीं इसलिए इसमें जो पानी रुकता है, और जिससे जो सिंचाई होती है, वह काफी है। ऊंचा करने से सिंचाई का रकवा इसलिए नहीं बढ़ सकता कि उसमें हमेशा फ्लो नहीं रहता है।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी), क्या यह सही है कि इस साल सिंचाई हुई है, वह पिछले साल से ज्यादा हुई है और वह इसलिए कि गांव वालों ने पिकअपवियर को अपनी महनत से दो दो फीट ऊंचा किया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जानकारी में नहीं है, कि इस पिकअपवियर को गांव वालों ने कच्चे वर्क से दो फीट ऊंचा बढ़ा दिया था ।

श्री जुझारसिंह : मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं, कि इस साल दूसरे सालों के मुकाबले में ज्यादा सिंचाई इसलिए हुई कि गांव वालों ने आपके डिपार्टमेंट की राय के विरुद्ध दो दो तीन तीन फीट ऊंचा लेवल कर दिया था, इसलिए ज्यादा सिंचाई हुई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सिंचाई ज्यादा इसलिए हुई मालूम होती है कि बरसात अच्छी हुई। दो फीट ऊंचा कराने से नहीं हुई। यह कोई स्टोरेज टैंक नहीं है। अगर ज्यादा पानी आयेगा तो इसमें से निकल जायगा ...

श्री जुझारसिंह : नहीं बहेगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सिंचाई इसलिए ज्यादा हुई कि फ्रीक्यूएन्ट इन्टरवल पर बरसात होती रही। इस वजह से नदी में पानी बहता रहा काफी समय तक, इसलिए अधिक एरिया सिंचित हुआ है, न कि इसे ऊंचा करने की वजह से ।

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय इसकी जानकारी करके जवाब दें तो उपयुक्त

(श्री जुझारसिंह)

होगा। हम उस क्षेत्र में घूमते रहते हैं, हमने उस बांध को देखा है, गांव वालों की यह राय है, उनका यह अनुभव है कि ऊंचा करने से इर्रीगेशन अच्छी हुई, इसकी आप जांच करा लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह स्टोरेज टैंक नहीं है, इसलिए इसमें पानी स्टोर नहीं कर सकते। स्टोरेज टैंक होता तो आपकी बात समझ में आ जाती कि थोडी राशि लगाने पर यह अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन यह स्टोरेज टैंक नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा दो फीट लकडी लगा कर पानी रोका जाता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दीपचन्द !

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब आना चाहिए।

पंचायत समिति, फलोदी की जीप गाड़ी की दुर्घटना

440. **श्री दीपचन्द छंगाणी** (फलोदी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति, फलोदी की जीप गाडी नं० आर० एस० एल० 4998 का ऐक्सीडेन्ट दिनांक 16-5-67 को जोधपुर-फलोदी सड़क पर 30 मील के करीब एक ट्रक से हुआ था ? यदि हां, तो उस वक्त जीप कौन चला रहा था व ड्राईवर कहां था और उसमें कौन कौन बैठे थे ? तथा वह गाडी जोधपुर किस कार्य हेतु भेजी गई थी ?

(2) क्या इसकी इत्तला पुलिस व इन्शोरेन्स कम्पनी को दी गई थी ?

(3) क्या यह सच है कि इस जीप की मरम्मत के पैसे भी पंचायत समिति से ही दिये गये ?

(4) क्या इस ऐक्सीडेन्ट की कोई विभागीय या पुलिस द्वारा जांच हुई थी ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा):

(1) एक्सीडेन्ट होना मालूम हुआ है। जांच की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : एक्सीडेन्ट होना मालूम हुआ है। जांच की जा रही है।

(2) जांच के परिणाम से ही ज्ञात हो सकता है।

(3) जांच के परिणाम से ही ज्ञात हो सकता है।

(4) यह सूचना भी जांच के परिणाम से ही ज्ञात हो सकेगी।

श्री दीपचन्द छंगाणी : माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया उसमें यह बात नहीं बताई कि जांच कब पूरी हो जायगी और जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कौन से अधिकारी जांच कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : डिप्टी बी० डी० ओ०, जोधपुर कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जांच किस बात की कर रहे हैं, ऐक्सीडेंट हुआ या नहीं, इस बात की ?

श्री परसराम मदेरणा : बहुत सी बातें इन्होंने पूछी हैं, पुलिस को इत्तला दी, इन्शोरेन्स वालों को इत्तला दी, उस माइल पर ऐक्सीडेंट हुआ या नहीं, क्योंकि राज्य सरकार के पास विकास अधिकारी ने इत्तला भेजी थी उसमें लिखा था कि इस प्रकार का कोई एक्सीडेन्ट नहीं हुआ । उसके पश्चात् जानकारी के के लिए डिप्टी बी०डी०ओ० को लिखा तो उसने लिखा कि सुना मैंने भी है, लेकिन मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है । अब राज्य सरकार ने आदेश दिया है, कि इस प्रश्न का उत्तर विधान सभा में देना है इसलिए इस मामले में जांच करके जांच का प्रतिवेदन राज्य सरकार के सामने भेजा जाय । उसके बाद में वह फलौदी जांच करने के लिए गया, वहां पर विकास अधिकारी नहीं था इसलिए टेलीफोन पर इत्तला दी है कि अभी जांच नहीं कर सका हूं और जांच करने के बाद में ही प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा सकता है । यह स्थिति है.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसकी....

श्री दीपचन्द छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर बाद में दिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अधिकृत जानकारी के लिए बी०डी०ओ० को मुकर्रर किया है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यह है नहीं । इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है नहीं, इसको एडजोर्न करना चाहिए जब तक कि पूरी इत्तला नहीं आ जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या पंचायत··

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री दीपचन्द छंगाणी : जांच होने के बाद में मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण सदन में कर दें, और अभी इसको स्थगित कर दें ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति थी वह बता दी । इसको मैं पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट करता तो माननीय सदस्य कहते कि राज्य सरकार बार बार पोस्टपोन करवा रही है । पहले सोच रहा था कि पोस्टपोन करवा दूं । जो कुछ इन्फार्मेशन मेरे पास है, वह मैंने सदन के सामने रख दी ।

श्री दौलतराम सारण : इन्फार्मेशन है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : यह आसन के निर्णय की बात है कि इसको पोस्टपोन किया जाय । यह इन्फार्मेशन, जो प्रश्नकर्त्ता या सदन को देनी चाहिए थी, वह दे दी ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित !

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सत्य ह....

श्री अध्यक्ष : सत्य नहीं रहा । स्थगित कर दिया गया प्रश्न । श्री मजलिसखां !

कामां-पहाडी ड्रेनेज कैनाल में अवाप्त की गई भूमि

441. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कामां-पहाडी ड्रेनेज कैनाल में किस किस गांव की कितनी कितनी कृषि

(श्री मजलिस खां)

भूमि एक्वायर की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) क्या यह सही है कि जो भूमि कैनाल में एक्वायर कर ली गई है, उसकी मालगुजारी ली जाती है ? यदि हां, एक्वायर की गई कुल भूमि का कुल कितना लगान बनता है और यह भूमि कब एक्वायर की गई थी, तथा एक्वायर करने के पश्चात् उक्त भूमि का लगान कितनी बार वसूल कर लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) कामां पहाडी ड्रेन कैनाल ने जिन जिन गांवों की कृषि भूमि एक्वायर की गई है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) कैनाल के लिए कुल 1262 बीघा 17 बिस्वा कृषियोग्य भूमि सन् 1964 में एक्वायर की गई, जिसका लगान 1119·14 रुपये बनता है इसमें से सिर्फ रु० 353·42 की उगाई दो बार की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

प्रश्न संख्या 442

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ! श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया। आगे देखिये)

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य छंगाणी का प्रश्न था उनका जिक्र कभी रहता है, यदि इसके अन्दर रहा है तो 420 प्लस 10 रहता।

श्री मूलचन्द डागा: 420 आपको बहुत याद रहता है ।

श्री विजयसिंह मकराना-420 प्लस 10

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट ! श्री केशरीसिंह हाडा ! अब के जमा नहीं प्रश्न !

ग्राम अरनेठा में वन विभाग के एन्क्लोजर का कुण्ड

443. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की तहसील नैनवा में ग्राम अरनेठा में वन विभाग के एन्क्लोजर के अन्दर ऐसा कुण्ड है जिसमें सदा पानी भरा रहता है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण अरनेठा इसको वन विभाग के एन्क्लोजर से बाहर निकलवाने के सम्बन्ध में डी० एफ० ओ०, बूंदी से मिले थे ? यदि हां, तो डी०एफ० ओ०, बूंदी ने इस संबन्ध में अब तक क्या महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं, डी०एफ०ओ०, बूंदी से केवल गायें चराने की अनुमति लेने के लिये गत वर्ष आये थे । यह अनुमति उन्हें दे दी गई थी ।

श्री केशरीसिंह हाडा : समझ में नहीं आया साहब ।

श्री अध्यक्ष : आप तो इतने नजदीक हैं,....

श्री केशरीसिंह हाडा : उनको कुछ तकलीफ है, इसलिये साफ जोर से नहीं बोल सके।

(वन मंत्री महोदय ने उपरोक्त उत्तर फिर पढ़ कर सुनाया)

श्री केशरीसिंह : आपने प्रश्न (1) और (2) के उत्तर में "जी नहीं" फर्माया। लेकिन डिमार्केशन में एक झील छोटे से तालाब के रूप में है, वहां मवेशी पानी पिया करते हैं। आपके आदमी मवेशी को अन्दर जाने से मना करते हैं, इसलिये यह प्रश्न पूछा गया था, अगर आपके आदमी मवेशियों को पानी पीने के लिये अन्दर जाने से मना नहीं करते है, तो अच्छी बात है।

श्री नारायणसिंह : वह एन्क्लोजर 200 एकड़ में है, यह प्रश्न पूछा गया, उसमें यह कहा गया था कि वहां कुंड है क्या? वहां कोई कुण्ड नहीं है, जिस तरह माननीय सदस्य ने कहा, बरसाती नाले में पानी इकट्ठा होता है, जो गर्मियों में सूख जाता है। उसे छोड़ने के बारे में गांव से कोई दर्ख्वास्त नहीं आई है। गांव की तरफ से चराई के लिये कहा गया था, 200 दुधारू गायों को चराई की आज्ञा गत वर्ष दी गई थी।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि इस स्थान के अलावा मवेशियों के पीने के लिये और कोई स्थान नहीं हैं?

श्री नारायणसिंह : इसकी जानकारी की जायगी?

श्री केशरीसिंह : क्या जानकारी करने का प्रयास किया जायगा और उनको सुविधा भी दिलायेंगे?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : जरूर दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री कृष्णकुमार गोयल!

इण्डियन एलमोनियम केबल्स कम्पनी द्वारा चम्बल प्रोजेक्ट को माल की सप्लाई

444. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इंडियन एलमोनियम केबल्स कम्पनी को चम्बल प्रोजेक्ट पर माल सप्लाई करने के लिये माल (मेटिरियल) व नकद रुपया एड्वान्स किया गया है?

(2) अगर हां, तो कब कब व कितना कितना रुपया तथा माल (मेटिरियल) एड्वान्स किया गया था?

(3) क्या यह सही है कि मेटिरियल के लिये उक्त कम्पनी को इम्पोर्ट लाइसेन्स भी दिया गया था? अगर हां, तो कौन से मेटिरियल के लिये कितनी तादाद हेतु लाइसेंस दिया गया था?

(4) उक्त माल, एड्वान्स तथा इम्पोर्ट लाइसेंस किस माल की सप्लाई के लिये दिया गया था?

(5) उक्त माल की सप्लाई की समय अवधि कितनी थी?

(6) क्या कम्पनी ने सरकार को माल सप्लाई कर दिया है?

(7) क्या कम्पनी ने इम्पोर्ट लाइसेंस से माल प्राप्त कर लिया है?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर विद्युत् मंत्री देंगे।

श्री अध्यक्ष : विद्युत् मंत्री उत्तर दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगली उनकी टर्न पर देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से हमेशा इस प्रकार प्रश्नों को टाला जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टालने का प्रश्न नहीं है, मेरे को यह प्रश्न एड्रेस किया गया था, यह विद्युत् मंत्री से सम्बन्ध रखता है, इसलिये विद्युत् मंत्री जी को ट्रान्सफर कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित करता हूं विवशतापूर्वक।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्थगित नहीं, इनकी टर्न पर उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थगित होगा, तभी तो अपनी टर्न पर उत्तर देंगे।

नैक्स्ट **प्रश्न संख्या** 445

श्री दौलतराम आगरी !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल !

पंचायत समिति क्षेत्र खण्डार में हरिजनों के कल्याण के लिये स्वीकृत राशि

446. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति क्षेत्र खण्डार में हरिजनों की कितनी आबादी है और इसका इस समिति क्षेत्र की कुल आबादी से क्या अनुपात है ?

(2) वर्ष 67-68 में इस समिति क्षेत्र में हरिजनों के कल्याण हेतु विविध मदों में कितनी कितनी राशि स्वीकार की गई है ? कृपया शीर्षकवार ब्यौरा दें।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अब तक कुल कितनी राशि हरिजनों को दी जा चुकी है और कितनी राशि देना शेष है ?

(4) शेष राशि अब तक क्यों नहीं वितरित की गई और अब कब तक वितरित कर दी जावेगी ?

(विराम)

श्री दुर्गालाल बादवार: प्रश्न हो चुका और मंत्री नदारद।

श्री अध्यक्ष: इतनी दया मत करिये।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) तहसील खण्डार में हरिजनों की संख्या 570 है जो क्षेत्र की कुल आबादी का लगभग एक प्रतिशत है।

(2) कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री चुन्नीलाल : हरिजनों को जितनी सब्सिडी दी जाती है, निर्माण कार्यों के लिये रकम दी जाती है, और मंत्री महोदय ने बताया कि पोपुलेशन के अनुसार उनको सुविधा होनी चाहिये, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों की

(श्री चुन्नीलाल)

आबादी बताई है उसके लिये सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, विकास कार्यों के लिये रकम दी जाती है, मकान बनाने के लिये, कुओं की मरम्मत कराने के लिये अन्य जगह इन जातियों को इस तरह की सब्सिडी दी जाती है, उसका हमारे इस क्षेत्र में बिल्कुल ही बजट नही रखा है, इसका क्या कारण है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : दूसरी जगह पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये धनराशि रखी गई है, पर इस क्षेत्र के लिये धनराशि क्यों नहीं रखी गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : वे पूछ रहे हैं, आप वकालत करने लग गये। जहां तक पंचायत डिपार्टमेंट का प्रश्न है अलग अलग कामों के लिये, अलग अलग विभागों से प्रोविजन्स होते हैं, वे उन कार्यों के लिये पंचायत विभाग को फण्ड्स ट्रान्सफर करते हैं और जितने फण्ड्स वे ट्रान्सफर करते हैं, उन फन्ड्स को हम इन्हें ट्रान्सफर कर देते हैं। माननीय सदस्य ने जैसा कहा, मैं स्वयं मानता हूं कि हरिजनों को सुविधा दी जानी चाहिये, पर इस मद पर खर्च करने के लिये किसी विभाग द्वारा नहीं दिया गया, तो खर्च करने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

एक माननीय सदस्य: क्या यह सही है कि पंचायत समिति खण्डार की पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में कोई धनराशि दी गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : इस साल के बजट में इस पंचायत समिति को कोई धनराशि नहीं दी गई है। इस साल समाज कल्याण विभाग ने पंचायत राज को कोई धनराशि नहीं दी है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : समाज कल्याण विभाग ने आज तक किस समाज का कल्याण किया है ?

श्री रामकिशन : बहुत सुन्दर ।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो सामाज कल्याण मंत्री बतायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 447 ।

श्रीमती गौरी पूनियां !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

मिल मालिकों द्वारा गलत बहियां

448. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 14-12-67 की राजस्थान पत्रिका में "मिल मालिकों द्वारा गलत बहियां, श्रम मंत्री के पास प्रमाण मौजूद" नाम शीर्षक से प्रकाशित सूचना के अनुसार क्या राज्य सरकार ने उन मिल मालिकों की जानकारी श्रम मंत्री, श्री बृजसुन्दर शर्मा से प्राप्त की जो गलत बहियां रखते हैं ?

(2) क्या श्रम मंत्री महोदय ने इस प्रकार का कोई प्रमाण राज्य सरकार के समक्ष रखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): माननीय सदस्य यह प्रश्न मुख्य मंत्री जी से पूछें तो वे जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यह प्रश्न मेरे से सम्बन्धित है, इसलिये वे दे दें, तो अच्छा रहेगा ।

Page No. 16

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ही दे दें।

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): मैं दे देता हूं।

(1) जी नहीं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। यह संवाद अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से प्रकाशित हुआ है। इसलिये अखबार के आधार के ऊपर कोई कार्यवाही करना ठीक नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यह समाचार गलत है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिस तरह से प्रकाशित हुआ है, उस तरह की भाषा नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही कि मिल मालिकों द्वारा गलत बहियां रखी जाती हैं और इसके मेरे पास प्रमाण हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मैं याद कर पाता हूं यह कहा था कि आई० एन० टी० यू० सी० द्वारा नेशनेलाइजेशन ऑफ ऑडिट की बात की जाती है तो उनका मतलब है कि मिल मालिकों द्वारा गलत बहियां रखी जाती हैं, इसलिये यह मांग की जाती है कि नेशनेलाइजेशन ऑफ ऑडिट होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह समाचार प्रकाशित किया गया तो क्या आपने इसका कोई प्रतिवाद भेजा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। अखबार अपने मनमाने ढंग से समाचार प्रकाशित करते हैं, मैं किस किस को प्रतिवाद भेजता रहूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे कहा जा सके कि मिल मालिक गलत बहियां रखते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह तो मैं वक्त आयेगा तब बताऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—क्या आपको यह जानकारी है कि मिल मालिक गलत बहियां रखते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इससे आपको क्या मतलब, यह मेरी जानकारी का प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य का मंत्री कहे कि मिल मालिक गलत बहियां रखते हैं और वह राज्य का मंत्री राज्य सरकार को यह सूचना नहीं दे, जानकारी दे, तो इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री जान बूझ कर गलत बहियां रखने वालों को प्रोटेक्शन दे रहा है। इसकी आप राज्य सरकार को सूचना दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कौनसे कायदे से ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेल्स टैक्स, इन्कम-टैक्स को जानकारी दे सकते हैं, इनके कायदे से दे सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा संबंध मजदूरों से है, सेल्स टैक्स या इन्कम-टैक्स के कायदों से नहीं है।

एक माननीय सदस्य : लेबर डिपार्टमेन्ट कार्यवाही कर सकता है।

श्री दुर्गालाल बादवार : क्या केबिनेट के मंत्रियों की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं होती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें जौइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी का कहां प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री दिग्विजय सिंह !

जिला टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों में शक्कर का वितरण

449. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने शक्कर के वितरण की क्या व्यवस्था बना रखी है ? कृपया जिलेवार सूचना दें तथा हर जिले को कितनी शक्कर दी जाती है ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों में शक्कर प्राप्त नहीं होती है और वह शहर में वितरित कर दी जाती है ?

(3) ग्राम पंचायत, बालुन्दा, चारनेट, गुराई, तहसील देवली को जनवरी, 1967 से आज दिन तक कितनी शक्कर दी गई और उसका वितरण ग्रामवासियों को क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम पंचायतों में शक्कर पहुंची ही नहीं और उसका वितरण कहीं और जगह कर दिया गया ?

उप-मंत्री खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) राज्य सरकार ने शक्कर वितरण हेतु शहरी क्षेत्रों में 400 ग्राम व ग्रामीण क्षेत्रों में 125 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की व्यवस्था की है । प्रत्येक जिले को प्रति माह प्राप्त आवंटन मात्रा में से उक्त आधार पर मासिक आवंटन किया जाता है । गत तीन माहों के आवंटन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) यह सही नहीं है । प्रश्न एक में उल्लिखित आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जिलाधीश द्वारा मासिक आवंटन किया जाता है ।

(3) सूची संलग्न है । सूची के अनुसार आवंटन मात्रा ग्रामवासियों में ही वितरित की गई है ।

(4) जी नहीं । यह सत्य नहीं है वरन् इन ग्राम पंचायतों के शक्कर विक्रेताओं द्वारा कई महीनों तक शक्कर न उठाने के कारण मुख्यतः इन गांवों पर अधिक अन्दर (इन्टीरियर) में स्थित होना है । इन स्थानों पर शक्कर ले जाने हेतु विक्रेताओं की अधिक परिवहन खर्च की मांग है, जो जनहित में साधारणतया दिये जाने योग्य नहीं है । विशेषकर वर्षा के मौसम में इन गांवों तक पहुंचने वाले रास्ते ही बन्द हो जाते हैं, अतः विक्रेताओं द्वारा शक्कर ही नहीं उठाई जाती है । उस ही के परिणामस्वरूप समय पर चीनी वितरित नहीं होती है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि जो सूची आपने दी है, उसके अनुसार ग्राम पंचायत, बालुंदा, चारनेट, गुराई को जनवरी, 1967 से लेकर 17-1-68 तक बहुत कम शक्कर दी गई है । मैंने पुछा है कि ग्राम पंचायत, बालुन्दा, चारनेट, गुराई, तहसील देवली को जनवरी, 1967 से आज दिन तक कितनी शक्कर दी गई और उसका वितरण ग्रामवासियों को क्यों नहीं किया

(श्री दिग्विजयसिंह)

गया ? आपने उत्तर दिया है कि सूची के अनुसार आवंटन मात्रा ग्रामवासियों में ही वितरित की गई है । लेकिन ग्रामवासियों को पहुंची या नहीं, इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री रामदेवसिंह : अगर नहीं पहुंची है तो जांच करवाई जायगी ।

श्री दुर्गालाल बाददार : शक्कर के वितरण की क्या व्यवस्था है ? जहां शक्कर देनी चाहिए, वहां मिली या नहीं, जानकारी होती है ?

श्रीमती कांता कथूरिया (कोलायत) : जो चीनी ले जाने वाले व्यापारी हैं, उनको आने जाने के खर्च की व्यवस्था न होने के कारण, व्यापारी गांव में चीनी न ले जायं और गांवों के लोगों को चीनी नहीं मिले, क्या सरकार की यही मन्शा है ?

श्री रामदेवसिंह : लोग अपनी शक्कर ले जाते हैं, बहुत कम जगह ऐसा होता है, जहां व्यापारी नहीं ले जाते हैं ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : जो गांव के मुखिया या सरपंच होते हैं, जो गांव में ले जाने वाली चीनी होती है, उसका ब्लैक मार्केट वहां ही कर जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री रामनारायण चौधरी: देहातों में 100 ग्राम और शहरों में 400 ग्राम चीनी का वितरण क्यों ?

खाद्य मंत्री: (श्री परसराम मदेरणा): शहरी क्षेत्रों में जो जनता रहती है उसके बीच में और ग्रामीण जनता का चीनी का कोटा जो निर्धारित किया गया है उसमें फर्क है क्योंकि भारत सरकार की नीति के तौर पर निश्चित किया गया है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा तादाद में कन्ज्यूम करते हैं और गांवों में कम। इसी अनुपात से चीनी का एलॉटमेंट हम करते हैं और उसी प्रकार आगे हमने इसका वितरण किया है क्योंकि भारत सरकार ने पिछले मई महीने से लेकर बराबर हमारे चीनी के कोटे में कमी कर दी और उसी अनुपात में हमने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का कोटा कम कर दिया ।

श्री दिग्विजयसिंह : शहरों के अंदर डायबिटीज की बीमारी से बहुत से लोग सैक्रीन खाते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य भी खाते हैं तो फिर ग्रामों को शहरों से कम शक्कर क्यों दी जाती है ?

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या भारत सरकार की यह नीति है या राजस्थान सरकार की ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या इस बात को आप उचित समझते हैं और महसूस नहीं करते हैं कि यह जो भेदभाव रखा गया है, वह ठीक नहीं है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह कांग्रेस का समाजवाद है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह भारत सरकार की नीति है या ....

श्री नाथूराम : काश्तकार ही गन्ना पैदा करते हैं और काश्तकारों के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों ?

Page No. 19

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : क्या काश्तकार वोट नहीं देते ? हमको 100 ग्राम और शहर वालों को 400 ग्राम ?

(शोरगुल)

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या भारत सरकार की भेदभाव की नीति को लेकर, राजस्थान सरकार ने समाजवादी विचारधारा को सामने रखकर बराबर शक्कर देने के लिए भारत सरकार से निवेदन किया था ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रश्न का संबंध नीति से है और मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि 400 ग्राम और 100 ग्राम के अनुपात से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को चीनी दी जानी चाहिए और उसी के अनुसार दी जाती है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो क्राईटेरिया 100 और 400 ग्राम-शहर और देहातों के बीच में रखा गया है, उसका आधार क्या है ? किस सिफारिश से किया है ? या डाक्टर ने रिकमंड किया है कि शहर वाले ज्यादा खाते हैं और ग्राम वाले कम खाते हैं ।

श्री रोशनलाल शर्मा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रोशनलाल शर्मा : आर्डर मानने को तो तैयार हूं लेकिन मेरे प्रश्न का जबाब तो दिलाया जाय । मैं तो पहले से खड़ा हुआ हूं । मेरे प्रश्न का जवाब तो दिलायें ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री पृथ्वीराज पटेल (बामनवास सु०): शहरों में 400 ग्राम और गांव में 100 ग्राम । कमाने के लिए गांव वाले और खाने के लिए शहर वाले, पैदा करने के लिए गांव वाले और खाने के लिए शहर वाले ।

एक माननीय सदस्य : इस भेदभाव की नीति को बदलने के लिए मंत्रीजी क्या कदम उठायेंगे ?

श्री हीराभाई : मंत्रिमंडल की नीति नहीं बदलेगी, सुखाड़ियाजी की सरकार ही समाप्त हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत सरकार का ध्यान माननीय सदस्यों की सहमति के आधार पर, आकर्षित करने की स्थिति में है क्या ?

श्री रोशनलाल शर्मा : भारत सरकार की नीति है या राजस्थान सरकार की ? जवाब स्पष्ट आना चाहिए ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मंत्री महोदय, भारत सरकार को लिखने से पहले कम से कम आप यह ध्यान रखें कि राजस्थान के प्रत्येक मंत्री को कम से कम कितनी चीनी की आवश्यकता होती है, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार ने जनवरी, 1968 से शक्कर वितरण की नई नीति जो निर्धारित की है उसके अनुसार 60 प्रतिशत शक्कर

Page No. 20

(श्री परसराम मदेरणा)
राशन के जरिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए उप भोक्ताओं को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की जाती है और 40 प्रतिशत फ्री सेल में है, अगर किसी मंत्री को आवश्यकता होगी तो वह ४० पर्सेंट से फ्री सेल में से खरीद सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे तो वैसे ही फ्री खाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भेदभाव का सवाल है, यह मामला पिछले सत्र में उठाया गया था और मैंने इस सदन में आश्वासन दिया था कि यह मामला मंत्रिमंडल के सामने रखूंगा। मैंने यह मामला मंत्रिमंडल के सामने रखा। भारत सरकार ने सर्वे भी कराया था, एक सैम्पल सर्वे, उसकी रिपोर्ट हमारे पास भेजी है कि शहरी क्षेत्रों में किस अनुपात में लोग चीनी का उपभोग करते हैं और गांवों में किस अनुपात में करते हैं ...

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): गांव वालों को मिलती नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : पहले हमें 9,360 टन चीनी मिल रही थी जो कम करते करते बहुत ही कम कर दी गई है और इसलिए आज राज्य सरकार के पास में जो चीनी उपलब्ध है, इससे मात्रा बढ़ाकर चीनी का वितरण करने की हमारी क्षमता नहीं है, हमने भारत सरकार को लिखा है और जैसा कि शासन की तरफ से संकेत मिला, राज्य सरकार को इसमें कतई एतराज नहीं है हम भारत सरकार को और लिखेंगे कि हमारा चीनी का कोटा और बढ़ाया जाय ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का कोटा हम बढ़ा सकें ...

श्री माथूराम : बढ़ाने का सवाल नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : नीति का प्रश्न है। मैंने कह दिया कि केबिनेट ने डिसीजन ले लिया, राज्य सरकार की यह नीति है।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या भारत सरकार की यह नीति है या राज्य सरकार की नीति है ? आप स्पष्ट कहिए, यह भारत सरकार की न होकर ....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर, आर्डर! श्री देवी दत्त गाड़िया!

श्री रोशनलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह भारत सरकार की नीति है या राजस्थान सरकार की है ? आपने कहा भारत सरकार की है।

कई माननीय सदस्य : नहीं है, नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक अध्यक्ष महोदय....

श्री हीराभाई : भारत सरकार ने वह नीति काम में लगा रखी है तो राजस्थान सरकार उसको कैसे बर्दाश्त कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रोशनलाल शर्मा : यह कैसी नीति है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! स्थान ग्रहण करें ।

श्री हीराभाई : मनुष्य मनुष्य में भेद भाव....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री हीराभाई : आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिये...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री हीराभाई : आदिवासी क्षेत्र के लोग पांच रुपये किलो का गुड़ खायें और डेढ़ रुपये किलो की शक्कर केवल आप लोगों के लिये है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज !

क्या इस प्रश्न को और आगे बढ़ाया जाये ?

कई माननीय सदस्य : बिल्कुल हां, साहब ।

श्री अध्यक्ष : और दूसरे प्रश्न बन्द होने चाहिये ?

कई माननीय सदस्य : इसका उत्तर आना चाहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : (श्री विजयसिंह रावत के खड़े होने पर) जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो....

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूँ कि आपने तो यह कह कर टाल दिया कि भारत सरकार की नीति है । जो शक्कर मिल रही है अभी भारत सरकार से, क्या राज्य सरकार इस बात को उचित समझती है कि उसमें डिस्क्रीमिनेशन किया जाय ? शहरों और गांवों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शहर में 400 ग्राम प्रति व्यक्ति दिया जाये और गांव में 100 ग्राम प्रति व्यक्ति दिया जाय, यह निर्णय भारत सरकार का है या राज्य सरकार का ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : बस, इसका जवाब आ जाये ।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) आर्डर प्लीज । श्री मनोहर सिंह ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब से 40 प्रतिशत फ्री सेल के लिये रखा है तो शहर वाले अगर ज्यादा शक्कर खाना चाहते हैं तो वे फ्री मार्केट से ले सकते हैं । ऐसी स्थिति में गांव और शहर के बीच बराबर बांटनी चाहिये ताकि गांव के किसान को भी शक्कर मिल सके ।

Page No. 22

श्री रामनारायण चौधरी : क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि जो कोटा राज्य सरकार को मिलता है वह शहरों और गांवों में बराबर बांटा जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री डागा !

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना को जानते हुए और समाजवाद लाने के लिये गांव वालों और शहर वालों को बराबर शक्कर देने का निर्णय फिर से कैबिनेट ले, और अगर नहीं ले तो यह हाउस उनका विरोध करे ।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : क्या सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ग्रामीण जनता को शादी ब्याह के लिए स्पेशल परमिट मिलनी चाहिये ताकि कम से कम उन गरीब लोगों को शादी ब्याह में तो दिक्कत नहीं उठानी पड़े ?

श्रीमती कांता कथूरिया : मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मंत्री महोदय ने कहा कि गांव को सप्लाई ले जाते हैं, तो कोलायत में होलसेल भंडार की सदस्या होने के नाते मुझे मालूम है कि गांव तो क्या, कोलायत तक भी नहीं ले जाते । मजबूरी से ले जाते हैं जब डी० एस० ओ० कहता है तब ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री दौलतराम सारण : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसी सदन में राज्य सरकार ने समय समय पर नीति संबंधी घोषणा करते हुए कहा है कि चीनी वितरण के लिए राज्य सरकार निश्चित अनुपात में कोटा कलेक्टर को दे देती है, और कलेक्टर जैसे चाहे, जैसी आवश्यकता समझे अपने जिले में गांव और शहरी क्षेत्र में वितरण करता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बाफना !

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो कोटा मिलता है उसके हिसाब से क्या पूरा कोटा दिया जाता है ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : जब यह प्रतिबन्ध हटना था तो भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 60 प्रतिशत शक्कर सरकार की तरफ से उपभोक्ता भंडारों से दी जायेगी और बाकी 40 प्रतिशत प्राइवेट दुकानों से वितरित की जायेगी, यह तय हुआ या नहीं ?

श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़) : जिस समय गुड़ का भाव शक्कर से कम था उस समय तो यह बात समझ में आ सकती थी, लेकिन आज के दिन जब गुड़ का भाव शक्कर से भी ज्यादा जा रहा है, तो गांव के लोगों पर ही यह बोझा क्यों ? उनको भी शक्कर पूरी वितरित होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय !

श्री आलमअली (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक बात ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न सभी प्रश्नों को खाये जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य : ये गांवों को खा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री आलमअली : आप जन गणना के हिसाब से कह रहे हैं, यह जन गणना कौनसे सन् की ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय मंत्री महोदय ।

श्री रोशनलाल शर्मा : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से संकेत कर रहा हूं कि आप नियमों के बाहर जा रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : निकाल दो इनको ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जनवरी, 1968 से पहले कलेक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट्स के लिये कोटा एलॉट होता था और उनको जनरल इन्स्ट्रक्शन्स थे कि वे वहां के शहरी और ग्रामीण जनता के अनुपात का निर्णय खुद कर लें, लेकिन यह भी था कि ग्रामीण क्षेत्र में 150 से 200 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति मिलनी चाहिये, लेकिन जनवरी, 1968 के बाद शहरों और ग्रामों का अनुपात निश्चित किया गया है कि शहर में 400 ग्राम और गांव में 100 ग्राम दिया जाय ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कलेक्टर क्या कोटा वितरण नहीं करते हैं . . . .

श्री फूलचन्द बाफना : कोटा मिलता है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : कोटा मिलता है । जहां कहीं होलसेलर ने समय के अन्दर पैसे जमा नहीं कराये और कोटा रद्द हो गया वहां भी राज्य सरकार ने कई दफा रिवेलीडेट करवाया भारत सरकार से, और इस तरह की लैप्स हुई शक्कर कुल 300 या 400 क्विंटल से अधिक नहीं होगी ।

(12 मध्याह्न)

राज्य सरकार कलेक्टर को कोटा एलॉट कर देती है । होलसेलर को कलेक्टर के यहां समय पर रकम जमा करानी पड़ती है । अगर वह जमा नहीं करा पाता है तो लैप्स हो जाती है । किन्तु ऐसी कोई शिकायत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात कोलायत से आने वाली माननीय सदस्या ने कही । अभी माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह ने यही प्रश्न पूछा है कि वहां पर ट्रान्सपोर्टेशन की रेट ज्यादा है । ज्यादा रेट की वजह से कलेक्टर ने परमिशन नहीं दी है और यही प्रश्न माननीय सदस्या ने उठाया है । मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो क्षेत्र दूर पड़ते हैं उसमें पी० डब्ल्यू० डी० रेट पर कोई भी ट्रक ओनर शक्कर ले जाने को तैयार नहीं है । इस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी । कलेक्टर को यह लिखा है कि इस रेट पर कोई ट्रक जाने को तैयार है ? यह होल सेलर्स की तरफ से हुआ है । यह भी इत्तला है कि निर्धारित रेट से इन्क्रीज करने के बाद ही गांवों में रिटेलर के लिये शक्कर ले जा सकते हैं । इसके बाद इन्डीविज्युअल केसेज को देख कर निर्णय लिया जायगा । माननीय सदस्यों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो शक्कर वितरण की जाती है, उसके लिये कहा है । उसको मैंने पहले भी कैबिनेट में लिया था । अब आपकी भावना को देखते हुए मैं इसे दुबारा कैबिनेट में रखूंगा और कहूंगा कि सदन के अधिकांश सदस्यों की भावना है कि . . . .

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अधिकांश की नहीं सब सदस्यों की है ।

श्री अध्यक्ष : सदन की मंशा है . . . .

एक माननीय सदस्य : जरूर पारित करेंगे नहीं तो मंत्रिमण्डल खतम हो जायगा ।

Page No. 24

श्री रोशनलाल शर्मा : खतम नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने सेन्ट पर्सेन्ट की बात कही, यह कतई ठीक नहीं है। जैसा अभी एक माननीय सदस्या ने ही इसका विरोध किया था। अगर उनको भी एक्सक्लूड कर देते हैं तो भी सेन्ट पर्सेन्ट का यह मत नहीं है। सदन का अधिकांश मत है, मैं तो यही कहूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के लोगों को....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (श्री देवीदत्त गाड़िया के बार बार खड़े होने पर) माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, उनको शक्कर के दर्शन नहीं होते हैं कई सालों से।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। मंत्री से) आप जल्दी समाप्त करें।

श्री लाभचन्द बैद : मैंने तो समान वितरण के लिये जोर दिया है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : ये शक्कर से चक्कर से कब तक टक्कर लेते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अबके तो कवि बन गये हैं आप।

श्री लाभचन्द बैद : ग्रामीण लोग गुड़ ज्यादा खाते हैं, इसलिए उनको चीनी नहीं दी जाती है, किन्तु गुड़ तो चीनी से भी मंहगा है। इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री परसराम मदेरणा : गांवों के बारे में कहा, इसलिये निवेदन कर रहा था। अब कल जो मंत्रिमण्डल की बैठक होने जा रही है, उसमें इस प्रश्न को रखूंगा और राज्य सरकार का जो निर्णय होगा उससे मैं आपको ७ तारीख को अवगत करा दूंगा।

श्री हीराभाई : अगर इसको आप मंजूर नहीं करा सके, तो क्या आप खाद्य मंत्री पद से इस्तीफा दोगे ? ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदय, इस बात पर विचार करने की कृपा करेंगे कि जहां पर शक्कर न पहुंचने की आम शिकायत है और जहां शक्कर बिलकुल ही नहीं पहुंची है, तो आपको चाहिये कि एक रिजर्व कोटा रखें ताकि उन लोगों को शक्कर के दर्शन कभी कभी तो प्राप्त हों। उनके लिये तो शक्कर के दर्शन दुर्लभ हैं। उस रिजर्व कोटा में से उस क्षेत्र को सन्तुष्ट करने के लिये कभी कभी भेज दिया जाय तो वे लोग सरकार के प्रति आशान्वित होंगे कि कभी तो शक्कर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ ऐसी व्यवस्था करना असम्भव नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 1967 तक जितना भी कोटा भारत सरकार, राजस्थान सरकार को एलॉट करती थी, वह सब जिलों को अलाट कर दिया जाता था, लेकिन जनवरी के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ

(श्री परसराम मदेरणा)
स्टॉक राज्य सरकार अपने पास रखेगी जिससे ऐसी कोई शिकायत हो, या जहां रिटेलर की गलती से या दूसरे कारणों से जिन उपभोक्ताओं को शक्कर मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है तो वह राज्य के पास में से, डिपार्टमेन्ट के पास में से जो स्टॉक में होती है, निश्चित तौर से उनके लिये व्यवस्था की जाती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह शक्कर में भ्रष्टाचार है, उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। कोई भी गवर्नमेन्ट के लिये एक मिनट में मिटाना मुश्किल है किन्तु चल चित्रों के दर्शन की भांति अगर शक्कर के दर्शन मिल जाते हैं तो समझेंगे कि गनीमत है, शक्कर के दर्शन तो हुए। मैं सब जगह घूमता हूँ, जहां जाता हूँ वहीं लोग कहते हैं कि बारह-बारह महीने, डेढ़-डेढ़ वर्ष हो गये शक्कर नहीं मिल रही है। ब्याह-शादियों में मुंह मीठा करना मुश्किल हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जहां शक्कर पहुंची ही नहीं है, वहां अवश्य भेजी जाय। यह कोई असम्भव व्यवस्था नहीं है, सम्भव व्यवस्था है। आपको करनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने ब्याह-शादी में शक्कर देने का जिक्र किया है, वह तो राज्य सरकार की नई नीति के निर्धारण के बाद किसी को नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे सब जगह घूमते हैं और सब जगह यही शिकायत मिलती है, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सब जगह से मेरा मतलब बहुत सी जगहों से है।

श्री परसराम मदेरणा : आज चीनी के वितरण के लिये हजारों रिटेलर्स मुकर्रर किये गये हैं। कहीं कहीं बड़ी पंचायतों में एक एक पंचायत के लिये एक एक रिटेलर मुकर्रर किया गया और कहीं कहीं पर दो पंचायतों पर भी जो छोटी होती हैं, एक रिटेलर मुकर्रर किया गया है। उनकी वजह से उपभोक्ताओं के पास चीनी नहीं पहुंचती है तो उन कारणों को, उन कमियों को दूर करने की चेष्टा करेंगे। इसमें जो कुछ सुधार किया जा सकता है, उसके लिये हम तत्पर हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं दन्ड शासन का अविभाज्य अंग है। मैंने कई जगह शिकायतें देखी हैं, यह नहीं कहा है कि सब जगह शक्कर नहीं पहुंची है। खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं गई है। कोटा, परमिट, लायसेन्स आपका राज्य है। ये रिटेलर खा जाते हैं, इधर उधर कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुश्किल से आपकी आधी शक्कर गांवों में जाती है। तुलसीदास जी ने कहा है कि 'भय बिन होय न प्रीत गुसांई'। वितरण व्यवस्था में कुछ सुधार होना आवश्यक है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मंत्री जी जो यह कह रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 700 बोरी के बारे में मैंने माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है, उसमें हुज्जत न करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री बतायें उसका क्या हुआ ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । स्थगित प्रश्न । श्री गिरधारी लाल व्यास !

(स्थागित प्रश्न 30-1-68)

ग्राम आसीन्द में स्थित शिकार बाडी की भूमि

185 **श्री गिरधारी लाल व्यास**(आसीन्द): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या शिकार बाड़ी नामक स्थान, तहसील आसींद, ग्राम आसीन्द में स्थित है जो जंगलात विभाग के ताल्लुक था तथा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि तथा खुमाण सागर तालाब भी तथा इसके आसपास की भूमि नं० 222 जंगलात विभाग के अधीन थी ?

(3) क्या यह सही कि उक्त भूमि तथा तालाब पर लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिये तथा विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अब तक नहीं की ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि बिना किसी गांव वालों व जन प्रतिनिधि की सिफारिश पर जंगलात से निकालकर राजस्व विभाग को दिये जाने की कार्यवाही चल रही है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों के पक्ष में कार्यवाही कर सारी जमीन उनको सुपुर्द करने की कोशिश की जा रही है जिसमें विभाग के लोग भी शामिल हैं ?

(6) विभाग उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है ?

वन मंत्री (राव श्री नारायणसिंह मसूदा):
(1) जी हां । शिकार बाड़ी नामक वन खंड आसींद तहसील में वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में था । जिलाधीश द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त शेष भाग अब भी वन विभाग के पास है ।

(2) शिकार बाड़ी ब्लॉक जिसमें खुमाण सागर तालाब भी सम्मिलित है, पहले वन विभाग के आधीन था । अब केवल खुमाण सागर तालाव तथा उसके आसपास की 120 बीघा, 17 बिस्वा भूमि ही वन वन विभाग के पास है । आराजी नं० 222 वन विभाग के आधीन न पहले थी और न आज ही है ।

(3) जी नहीं । खुमाण सागर क्षेत्र में 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर नाजायज काश्त की गई है जिसके कारण सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 के तहत कार्यवाही की जा रही है । इसके पूर्व भी खरीफ की फसल के समय खुमाण सागर की भूमि पर नाजायज काश्त की गई थी जिसका मुआवजा अपराधी व्यक्ति से लिया गया था ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

(6) अवैध काश्त करने वालों के विरुद्ध वन अधिनियम, 1953 की धारा 26 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): वन विभाग और रेवेन्यू विभाग जब कभी जमीन का

(श्री मूलचन्द डागा)
स्थानान्तर करते हैं उस समय अलॉटमेन्ट कमेटी की राय जान ली जाय तो उचित रहता है। जमीन जो इधर उधर दे दी जाती है अलॉटमेन्ट कमेटी को नहीं पूछा जाता है। दोनों विभागों को अलॉटमेन्ट कमेटी की राय को जानकर जमीन को इधर उधर करना चाहिये ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : स्थानान्तर वन विभाग द्वारा ब्रोड लाइन के आधार पर होता है वह कमेटी, की सिफारिश के अनुसार जिला लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की सिफारिश के बाद में करते हैं। जो भूमि का आवंटन होता है वह तो राजस्व अधिकारी के हाथ की बात रहती है।

श्री अध्यक्ष : केसरीसिंह हाड़ा।

स्थगित प्रश्न

(30-1-68)

'आखरी खत' फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्ति

178. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिण्डोली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार को जयपुर के पोलो विक्ट्री सिनेमा घर से मनोरंजन कर के रूप में उसमें फिल्म 'आखरी खत' लगाने की तारीख 21-7-67 तक कितनी आय हुई ?

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार ने तारीख 22-7-67 से 'आखरी खत' फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया था ?

(3) क्या अन्य किसी राज्य में इससे पहले इस फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया था ? अगर हां, तो किस जगह?

(4) क्या यह सही है कि पोलो विक्ट्री में जब से उक्त फिल्म चली और जब से कर मुक्ति प्राप्त की रोजाना पांच शो किये गये थे ? क्या पांच शो करने की स्वीकृति सरकार से ले ली गई थी ?

(5) इस फिल्म में ऐसी क्या खासियत थी जिसके कारण सरकार ने इसे मनोरंजन कर से मुक्त किया ?

(6) क्या सरकार ने इसको कर से मुक्ति देने से पूर्व इस फिल्म के बारे में कर अधिकारियों से राय ली थी ?

उप-मंत्री, कर विभाग (श्री प्रद्युम्नसिंह):

(1) पोलो विक्ट्री सिनेमा घर में फिल्म 'आखरी खत' दिनांक 30-6-67 से लगा और दिनांक 21-7-67 तक मनोरंजन कर के रूप में 17,016.75 और अतिरिक्त मनोरंजन कर के रूप में 880.10 की सरकार को आय हुई ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, देहली व हरियाणा में मनोरंजन कर से मुक्त की गई थी ।

(4) दिनांक 30-6-67 से 7-8-67 तक उक्त फिल्म पोलो विक्ट्री में चली। उस समय में जो फिल्म शो हुए उसकी सूची संलग्न है। जिलाधीश से प्राप्त लाइसेन्स की शर्त 14 के अनुसार 9 बजे सुबह से रात्रि के 12 बजे तक प्रदर्शक जितने शो चाहे कर सकता है ।

(4) फिल्म में कार्य करने वाले बाल कलाकार के अभिनय की विशेषता को ध्यान में रखकर फिल्म को कर मुक्ति दी गई थी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(6) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री केसरीसिंह : क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सरकार ने इसको मनोरंजन कर से मुक्त करने का गजट में नोटिफिकेशन कराया था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : किस बात के लिये ?

श्री केसरीसिंह: इस बात के लिये कि यह फिल्म मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं ।

श्री केसरीसिंह : गजट दिनांक 8 नवम्बर 1967 को जिन फिल्मों को कर मुक्त किया गया, उनका उस दिन के गजट में जिक्र किया गया है, फिर इस फिल्म के लिये जरूरी क्यों नहीं है, जब कि मनोरंजन कर नियम के अन्तर्गत यह आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष : यह क्या रूल्स पढ़ रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब दे दिया जायगा उसके बाद नोटिफिकेशन हो जायगा।

श्री केसरीसिंह : अब तक भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ—इसका क्या कारण है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री केसरीसिंह : जब आप मानते हैं कर मुक्त हो जायगा उसके बाद सूचना प्रकाशित करेंगे, तो आज 6 महीने से ऊपर समय हो गया अब तक क्यों गजट में प्रकाशित नहीं करवाया गया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री केसरीसिंह : रूपनारायण जी सांघी का ठेका है और वे जोधपुर के निवासी हैं इसलिये वित्त मंत्री ने जोधपुर के होने के नाते उनको कर से मुक्ति दी है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सही नहीं है ।

श्री केसरीसिंह : तो फिर बाद में बूंदी में इसको कर मुक्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : कर मुक्त सारे राजस्थान के लिये है अतः वहां के लिये भी होना चाहिए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या इस फिल्म को सारे राजस्थान के सिनेमा घरों में कर मुक्त का आदेश दिया था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो सूचना मुझे दी है उसमें सारे राजस्थान में इसको कर मुक्त किया गया है ।

श्री केसरीसिंह : तो फिर बून्दी में क्यों नहीं किया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आपको सूचना गलत प्राप्त है ।

श्री केसरीसिंह : माननीय मंत्री को यह पता होना चाहिये मैं बून्दी का रहने वाला हूं, आप धौलपुर के रहने वाले हैं । मुझे बून्दी के बारे में ज्यादा जानकारी है । वहां पर मनोरंजन कर लिया गया है, और जगह भी लिया गया है सिवाय पोलो विक्ट्री के ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

श्री अध्यक्ष : आ रही है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आप इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं कि यह आपकी भूल है ?

(विराम)

इतने आप अनुदार हैं कि भूल को भूल भी नहीं मानते । इतना गरूर है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें भूल का सवाल नहीं है, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार सारे राजस्थान के लिये इसको कर मुक्त किया गया है । फिर भी बून्दी के बारे में माननीय सदस्य ने कहा उसकी जानकारी प्राप्त करके कर वसूल हो गया है, वह किस आधार पर हुआ है । अगर गलत वसूल किया गया है, तो उसको रिफन्ड किया जावेगा ।

श्री केसरीसिंह : रिफन्ड किसको करेंगे सिनेमा ओनर को ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस तरह का जवाब देकर क्यों सदन का मखौल कर रहे हैं !

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम जो शो टैक्स वसूल करते हैं उसके बारे में कहा है मैंने वह टैक्स सिनेमा मालिक से वसूल करते हैं, लेकिन जो एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल होगया, वह तो रिफन्ड नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : जो टैक्स वसूल होगया है उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसका क्या होगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : बून्दी के सिनेमा घर में इस फिल्म को प्रदर्शित करने के लिये जिन्होंने आवेदन किया और जिन अधिकारियों ने उसकी आज्ञा दी उन्होंने राज्य सरकार के आदेश के बाद भी टैक्स वसूल किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : बून्दी के सिनेमा हाउस वाले से एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल किया गया, वह राज्य सरकार के पास जमा कराया या नहीं ? अगर उसने जमा नहीं कराया है तो राज्य सरकार उस सिनेमा मालिक के खिलाफ क्या एक्शन लेगी ?

दूसरा राज्य सरकार के आदेश बावजूद इस सिनेमा मालिक ने जो टैक्स वसूल किया है, उसके लिये सरकार क्या एक्शन लेगी ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं यह कहना चाहता हूं इस सिनेमा का ठेका श्री रूपनारायण सांघी को दिया गया था जिनको यहां मनोरंजन कर से मुक्त किया गया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा प्रश्न पहले है कि जो टैक्स वसूल किया गया वह राज्य के खजाने में जमा हुआ या नहीं ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : जमा तो हुआ है 6 महीने थोड़े ही रोक सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दीजिए, मंत्री महोदय ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो बातें बून्दी के बारे में कही हैं उनकी सूचना एकत्र करके जानकारी दे दूंगा । कर मुक्ति का जो आर्डर निकाला गया वह सारे राजस्थान के लिए निकाला गया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष : इनके पास जानकारी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कर वसूल हुआ वह राज्य सरकार के पास जमा हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।

श्री विजयसिंह रावत : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है जो टैक्स वसूल हो गया है वह रिफन्ड करेंगे, किसको करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : शो टैक्स के बारे में कहा।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा सुझाव है कि टैक्स वसूल कर लिया है जो उसे राजस्थान में अन्धे, लूले, लंगड़ों में बांट दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : जब एक छविग्रह में आप कर मुक्त करते हैं तो उसे समस्त राजस्थान में लागू करते हैं उसी फिल्म के लिये ?

श्री अध्यक्ष : वह समस्त ही में किया है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, वह नहीं हुआ, नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी मैं भी प्राप्त कर लूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यदि सिनेमा मालिक ने सरकार की आज्ञा का उल्लंघन किया है तो इसके लिये सिनेमा मालिक को सजा दी जावेगी कि नहीं दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या, अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त करने का भी अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय से मेरा निवेदन है कि अभी यह प्रश्न अवशेष है कि दरअसल वह मनोरंजन कर लिया भी गया या नहीं ? उस जानकारी के बाद यह प्रश्न उपस्थित होता है इसलिये यह हाईपोथेटिकल है।

नेक्स्ट

स्थगित प्रश्न

(27-2-68)

राज्य में आयातित अनाज

290. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 62 से दिसम्बर सन् 67 तक किस किस वर्ष में कितना अनाज बाहर से आया ?

(2) आयातित अनाज की तादाद उत्तरोत्तर कम हो रही है या बढ़ रही है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित आयातित गेहूं तथा आयातित ज्वार

(श्री रामदेवसिंह)

माइलो प्राप्त हुआ ।

नाम वर्ष	आयातित गेहूं	माईलों (टनों में)
अक्टूबर, 63 से दिसम्बर 63 तक	17253	
1964	484238	.. ..
1965	151800	
1966	366726	133000
1967	241000	134769

जनवरी, 62 से सितम्बर, 63 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो पाये हैं।

(2) उत्तरोत्तर अब कम हो रही है।

स्थगित प्रश्न संख्या 295

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सांवरमल बासोतिया

स्थगित प्रश्न

(27-2-68)

ग्राम पुजारी की ढाणी की सहकारी समिति द्वारा चीनी का वितरण

313. **श्री सांवरमल बासोतिया** (नवलगढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नवलगढ़ पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम पुजारी की ढाणी की एक सहकारी समिति राशन की चीनी के वितरण का कार्य करती है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से ?

(2) क्या उक्त समिति के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा कई शिकायतें कलेक्टर, झुंझुनू, एस० डी० ओ०, नवलगढ़ एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नवलगढ़ को की गई थी ? और इन शिकायतों के आधार पर लगभग दो वर्ष पूर्व किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी। यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने उक्त सहकारी समिति को आगे से कोटा वितरण करने के लिये चीनी न देने की सिफारिश की थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी के नोट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उक्त फाइल के कागजात गायब कर लिये गये जो अब तक नहीं मिले हैं ?

(5) क्या पुनः लगभग 5/6 माह पूर्व शिकायत होने पर उक्त सहकारी समिति की जांच हेतु एनफोर्समेन्ट ऑफिसर, नवलगढ़ को भेजा गया ? यदि हां, तो एनफोर्समेन्ट ऑफिसर की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या अब भी वही सहकारी समिति चीनी वितरण का कार्य कर रही है ?

(7) क्या सरकार इस प्रकार की गड़बड़ी करने वाली समिति का लाइसेन्स रद्द करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह): (1) जी हां, गत चार वर्षो से।

(2) जी हां, जिला स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा

(श्री रामदेव सिंह)
जांच कराई गई थी, परन्तु पूर्ण जांच नहीं हो पाई थी।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही नहीं है कि जांच अधिकारी के नोट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फाइल के कागजात गायब नहीं किये गये हैं।

(5) जी हां। रिपोर्ट में दिये गये तथ्यों के आधार पर तारीख 16-1-68 से उक्त समिति से शक्कर वितरण का काम बन्द करवा दिया गया है।

(6) जी नहीं।

(7) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह शिकायत कौनसे सन् और तारीख को की गई?

श्री रामदेवसिंह : तारीख तो नहीं है मेरे पास पर 65 की शिकायत है यह।

श्री सांवरमल बासोतिया : तीन वर्ष तक भी जांच पूरी नहीं हो सकी इसका कारण ?

श्री रामदेवसिंह : इसके लिये दो तीन बार ऑफिसर को भेजा गया तो कभी किसी का ट्रांसफर हो गया, कभी किसी की रिपोर्ट देर से मिली। इसके बाद एनफोर्समेन्ट ऑफिसर को भेजा गया। उसकी जांच के दौरान जब यह पाया गया कि सचमुच गडबड़ी है तो बन्द करवा दिया शक्कर का वितरण।

श्री सांवरमल बासोतिया : यह जांच अब कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री रामदेवसिंह : बहुत शीघ्र।

श्री सांवरमल बासोतिया : क्या उसका लाइसेन्स रद्द कर दिया गया है ?

श्री रामदेवसिंह : अभी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : शीघ्र की मियाद कब तक होती है ?

स्थगित प्रश्न

(29-1-68 व 27-2-68)

ग्राम पंचायत, जुगराजपुरा में भूमि का अलॉटमेंट

172. **श्री श्रवणलाल** (**हिन्डौन**) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत, जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा 16-7-66 की बैठक में कित किन भूमिहीन किसानों को भूमि अलॉट की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि भूमि उन व्यक्तियों को भी अलॉट कर दी गई जिनके पास पहले से ही भूमि थी ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के पास कितनी कितनी भूमि थी और उनके क्या नाम हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित एस० डी० एम० के पास इस अलॉटमेंट के सम्बन्ध में यह शिकायत की गई है कि पहले जिन व्यक्तियों को उक्त बैठक

Page No. 33

(श्री श्रवणलाल)
में भूमि दी गई थी उनके प्रार्थना-पत्र ही बाद में गायब कर दिये गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में एस० डी० एम० ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम) :
(1) जिन को भूमि अलॉट की गई उनकी सूची संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि भूमि उन व्यक्तियों को दी गई या अलॉट की गई जिनके पास पहले से ही भूमि थी।

(3) यह सही नहीं है कि सम्बन्धित एस० डी० एम० के पास पहले जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई थी उनके प्रार्थना-पत्र भी बाद में गायब कर दिये गये। अतः इस सम्बन्ध में एस० डी० एम० द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री श्रवणलाल : जिस प्रकार मन्त्री महोदय ने बताया कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, वह सूची मुझे अभी तक नहीं मिली है।

जिस प्रकार भाग दो और तीन का उत्तर दिया, एप्लीकेशन गायब की गईं, और जिनके पास भूमि पहले से थी उनको फिर अलॉटमेंट हुए इसकी शिकायत एस० डी० एम० को की गई और क्या यह सही है कि इसकी जांच एस० डी० एम० के द्वारा कराई गई या कलैक्टर के द्वारा कराई गई ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): इस सूची में 8 नाम हैं उनमें से बता दें कि किनको गलत अलॉटमेन्ट हुआ है आज ही एन्क्वायरी निश्चित कर दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या राज्य सरकार इस प्रकार का विचार रखती है इस तरह के अलाटमेंट की गड़बड़ियों को रोकने के लिये कि अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की, जिसमें अलाटमेन्ट हुआ हो, नकल सम्बन्धित सदस्यों को दी जावे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नियमों में इसको रोकने के लिये तो प्रावधान है पर मिनिट्स की नकल हरएक को दी जावे इसका प्रावधान नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मिनिट्स पर हर सदस्य के दस्तखत तो होते हैं फिर गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं रहती। फिर इन और ऐसी ही दूसरी शिकायतों को, जो हमारे ध्यान में अब तक आईं, दूर करने के लिये रूल्स में अमेण्डमेन्ट प्रपोज किये हैं। वे मंत्रिमण्डल के सामने डिसकस होकर पब्लिश कर दिये जावेंगे। उस पर अगर और अमेण्डमेंट आए, सुझाव आए, तो आप दें सकते हैं।

श्री श्रवणलाल : इसके लिये ऐसा किया जाय कि जिस जगह अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग हो, वहीं अलाट भी कर दिया जावे तुरन्त। नहीं तो आफिस में जाकर रिकार्ड बदल दिये जाते हैं, दरख्वास्तें गायब कर देते हैं, दूसरों को अलाट कर देते हैं। इस प्रकार की अनेकों शिकायतें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं मेरी तहसील में ही।

तहसील में ऐसी गडबड़ियां चलती हैं। मौके पर जाकर कह दिया जाता है

(श्री श्रवणलाल)

कि तुम्हें इतनी बीघा भूमि अलाट कर दी गई तो न तो इस प्रकार का सुबूत दिया जाता है कि यह भूमि तुम्हें अलाट की गई है, न अलाट ही करते हैं। फिर अलाटमेन्ट कमेटी के अलाटमेन्ट के लिये दरख्वास्तें देते हैं, नकल के लिये तो चार छः महीने तक वह नकल नहीं मिलती। तो या तो इमिजिएटली नकल दे दी जावे कि तुमको यह अलाटमेंट हुआ है या उसी समय पटवारी के द्वारा इस प्रकार की भूमि पर कब्जा दिला दिया जावे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया इसमें कुछ अमेण्डमेन्ट सजेस्ट किये हैं। उनको मंत्रिमण्डल के सम्मुख रखा जा रहा है और इनमें इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया कि पटवारी उसी समय कब्जा दे दे और मीटिंग की सूचना भी पहले दी जावे और अब तक के अनुभव के आधारों पर जो खामियां नजर आईं उनको अमेन्डमेन्ट में रखा गया है। इसके बाद भी और खामियां नजर आईं तो उन्हें भी दूर करने का प्रयत्न करेंगे। पर नया अमेन्डमेन्ट निकल जावे गजट में इसके बाद उसको आप देख लें। फिर हम देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सारण !

श्री मदनसिंह दांता : यह प्रश्न एक जगह का ही नहीं है। सभी जगह और खास कर मेरे इलाके में यह बहुत है। इस कानून के जरिये आप कैसे हल करेंगे यह फर्मा दें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें जो ओल्ड अलाटमेंट रूल्स हैं, उनकी अपील का प्रावधान भी है। पहले कलेक्टर के यहां है फिर सैकण्ड अपील होती है, फिर रिवीजन में गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि कोई भी इरेगुलेरिटी ठीक कर दे। तो गवर्नमेन्ट उसको निरस्त कर सकती है और ऐसे मामलों में मैंने निरस्त किये भी हैं। आप अगर ऐसे मामलों की सूचना दे सकें तो कोशिश करूंगा जानकारी करके उनको ठीक करने की।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता स्वतंत्र पार्टी !

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बार पूछ चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी आश्वासन दिया या यह विचार व्यक्त किये कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि रूल्स में परिवर्तन लाया जाये। सरकार यदि उचित समझे तो इस मामले को जनमत जानने हेतु प्रसारित करके और सुझावों द्वारा उनके ऊपर भी विचार करके दो महीने के बाद रूल्स में परिवर्तन लाया जाये?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जितनी जल्दी मैं करना चाहता हूं सम्भवतः उतनी ही डिले हो जायेगी, इसलिये वह प्रकाशित होने के बाद भी जो री-एक्शन होगा फिर अमेण्डमेंट किया जा सकता है।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय उचित समझेंगे कि बजाय पट्टे देरी से इश्यू होने के बाद अलाटमेन्ट

Page No. 35

(श्री दिग्विजयसिंह)
होते ही उस व्यक्ति को अलाट शुदा जमीन का पट्टा इश्यू कर दिया जाये ताकि उसका बारबार झगड़ा न चले ?

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना): क्या कलेक्टर को अधिकार है कि अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा जो भूमि अलाट की जाती है, उसके बिना भी वह अलॉटमेन्ट कैंसिल कर दें ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: कलेक्टर रिपोर्ट करता है और सम्भवतः यहां से होता है। जहां एडीशनल कलेक्टर नहीं हैं वहां तो कलेक्टर कर सकता है अपील में।

श्री दिग्विजयसिंह: अलॉटमेन्ट कमेटी के सामने पट्टे इश्यू कर दिये जायें तो राज्य सरकार को क्या ऐतराज है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा: पट्टे तो तहसील से ही इश्यू होंगे। कहां छाप लिये फिरेंगे। लेकिन उसके दस्तखत वगैरह वहीं कराने के प्रावधान हैं। आप देख लें और यह पास हो जाता है और गजट में शाया हो जाता है।

(कई माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: श्री मनोहरसिंह जी मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता: मुझे तो यही अर्ज करना है कि इस अलॉटमेन्ट के संबंध में राजस्थान भर में यदि कहीं सबसे ज्यादा अन्धेर है तो मेरी मांडलगढ़ तहसील में है तो क्या आप इसको ध्यान में रखकर नियमों में परिवर्तन लायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री सिंचाई मंत्री।

स्थगित प्रश्न

(30-1-68 व 27-2-68)

सिंचाई कार्यों में अवाप्त की गई भूमि

183. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक नहरों, बन्धों, तालाबों आदि सिंचाई के कार्यों के लिये कितनी कृषि योग्य भूमि अवाप्त की गई या नहरों, बन्धों, तालाबों आदि के निर्माण में काम में आई है ?

(2) इस उपरोक्त कृषि योग्य भूमि के कृषि कार्यों के उपयोग में न आने के कारण कितनी कृषि उत्पादन की हानि होने का अनुमान है ?

(3) उपरोक्त समय में कितनी कृषि योग्य भूमि बन्धों, तालाबों के निर्माण से डूब में आ चुकी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा):
(1) लगभग 1,98,000 एकड़।

(2) सिंचाई साधनों के उपलब्ध होने से उत्पादन में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए किसी हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(3) लगभग 65,223 एकड़ भूमि।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न संख्या 1 में आपने जो संख्या बताई है, उसमें से अवाप्त कितनी की गई है और बिना अवाप्त किये कितनी ली गई है ?

श्री रामप्रसाद लडढा : यह मैंने वह संख्या बताई है कि जो भूमि अवाप्त की गई है और जिनके अवार्ड्स जारी हुए हैं।

श्री दौलतराम सारण : तो बिना अवाप्त के बहुत सी जमीन प्रयोग में ली है ?

श्री रामप्रसाद लडढा : जो फार्मल प्रोसीडिंग्स के बिना काम में जमीन आ जाती है, उसका मुआवजा देने या अन्य कम्पन्सेशन देने की द्रष्टि से अवार्ड तो दिया जाता है, चाहे वह देरी से दिया जाये....

श्री दौलतराम सारण : मैं मुआवजे के बारे में नहीं पूछ रहा हूं कि आपने दिया या नहीं ? मेरा सिर्फ प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि कितनी कृषि योग्य भूमि नहरों, बंधों, तालावों आदि के निर्माण के काम में लाई गयी और उसमें कितनी अवाप्त की गयी और कितनी बिना अवाप्त किये काम में ली है ?

श्री रामप्रसाद लडढा : बिना अवाप्त किये हुए काम में लेने का आपने कहां पूछा है ?

श्री दौलतराम सारण : आप प्रश्न देखिये लास्ट में। कितनी कृषि योग्य भूमि अवाप्त की गई या नहरों, बन्धों, तालाबों आदि के निर्माण में काम में आई है ?

श्री रामप्रसाद लडढा : यह बात सही है कि कई बार नहरों और बंधों के दूसरे कामकाज शुरू हो जाते हैं, और फॉर्मल प्रोसीडिंग्स अवार्ड लेने की उस समय तक शुरू नहीं हो पाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी प्रोसीडिंग्स कभी होती ही नहीं है। जो मैंने फिगर्स बताये हैं उनके अवार्ड्स जारी हो चुके हैं और इसमें वह शामिल है कि अवार्ड्स जारी होने से पहले भी किसी जमीन पर कोई कन्सट्रक्शन कर लिया लेकिन उसके अन्दर बाद में अवार्डस ले लिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि योग्य कितनी भूमि इन कार्यों के लिये काम में लाई गई ? सिर्फ यह साधारण प्रश्न है और वह अवाप्त द्वारा कितनी और बिना अवाप्त के कितनी ली गई ?

श्री रामप्रसाद लडढा : जितनी भूमि इस काम में लाई गई है, उनके अवार्ड्स जारी हो चुके हैं।

श्री दौलतराम सारण : जो सरकारी भूमि काम में ली गयी है, उसके भी अवार्ड्स जारी हो गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लडढा : जिन लोगों की ली है, उसी के फिगर्स हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह पूछना चाहता हूं कि अवाप्त और बिना अवाप्त कितनी ली है ? सरकारी भूमि कितनी काम में ली है और अवाप्त करके कितनी ली है ?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : सरकारी भूमि का इसमें फिगर चम्बल का है। बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स का सरकारी जमीन का फिगर इसमें नहीं है। इसमें केवल जो व्यक्तिगत लोगों की जमीनें थीं उन्हीं की जमीन एक्वायर हुई और उन्हीं के फिगर्स इसमें है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने सारे राजस्थान का पूछा है...

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : मैंने सारे राजस्थान का बताया है। उसमें सरकारी भूमि का केवल नहीं है पर जो लोगों से अवाप्त भूमि है उसका सारा फिगर है।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक नहरों, बंधों, तालाबों, आदि सिंचाई के कार्यो के कितनी भूमि कृषि योग्य अवाप्त की गयी है या नहरों, बंधों, तालाबों, आदि के काम में आई? सीधा सा प्रश्न है।

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : 1 लाख 98 हजार एकड़ जमीन बन्धों, नहरों, नदी, नालों, तालाबों आदि सिंचाई के काम में ली गयी और वही भूमि अवाप्त की गई है जिसकी क्षेत्र 1,98,000 एकड़ है।

श्री दौलतराम सारण : इसमें सारी भूमि आ गई? जितने राजस्थान में छोटे, बड़े तालाब आदि के काम में ली गई है?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : सब छोटे बड़े तालाब, नहरों ....

श्री दौलतराम सारण : और बिना अवाप्त किये काम में आई वह भी आ गयी?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : इसमें राजस्थान कैनाल और भाखरा भी आ गया है।

श्री दौलतराम सारण : इसमें बिना अवाप्त की गई सरकारी भूमि भी शामिल है या नहीं?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : मैंने जवाब दे दिया कि चम्बल वाली फिगर इसमें है दूसरी सरकारी जमीन की फिगर इसमें नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : तो केवल चम्बल की जमीन है यह?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : केवल चम्बल की सरकारी जमीन तो इसमें शामिल ह क्योंकि वह ज्वाइन्ट वेन्चर है इसलिये सरकारी जमीन होने के नाते और ज्वाइन्ट वेन्चर होने के नाते कम्पन्सेशन आदि पे करते हैं। इसलिये सरकारी जमीन भी अवाप्त होती है, इसमें इसलिये चम्बल का भी शामिल है। लेकिन जो राजस्थान सरकार के खुद के प्राजेक्ट्स है उसमें सरकारी जमीन एक्वीजीशन के अलावा काम में आई है तो उसके फिगर इसमें शामिल नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : मेरा प्रश्न अधूरा है। मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान में कुल कितनी जमीन कृषि योग्य नहरों, बंधों, तालाबों आदि के निर्माण के काम में आई और माननीय मंत्री महोदय ने मुझे केवल उस जमीन के आंकड़े दिये हैं जो जमीन सरकार ने अवाप्त की है। सरकारी भूमि भी बहुत काम में आई है उसके आंकड़े नहीं हैं। मैं वह आंकड़े चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, इनके सारे प्रश्न की टोन से पहले भाग से दूसरे भाग से और तीसरे भाग से जो मैंने पढ़ा तो इनका यही मतलब था कि सरकार द्वारा कितनी जमीन नदी, नहरों, बंधों, तालाबों आदि के काम में अवाप्त हुई, तो इनके निर्माण के लिए जो भूमि अवाप्त की गई, वह मैंने बता दी। उसमें चम्बल का चाहे वह सरकारी जमीन थी उसका अवार्ड जारी किया है। वह मैंने बता दिया। बाकी राष्ट्रीय पड़त भूमि इस भूमि के अलावा काम में आई है उसकी जमीन मैंने शामिल नहीं की क्योंकि न तो उसका मुआवजा देना पड़ा है इसलिए उसके फिगर्स सिंचाई विभाग के पास नहीं हो सकते, क्योंकि कभी उसका रेकर्ड इस प्रकार से नहीं रखा गया। जो कम्पन्सेशन देते हैं जमीन का, उसका ही रेकर्ड रखते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं जो सूचना जानना चाहता हूं वह आप नहीं दे सकते हैं तो जिस विभाग से भी प्राप्त कर सकते हैं, वह प्राप्त करके मुझे दें। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि कितनी भूमि काम में ली गयी है। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है ....

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : सरकार के प्राजेक्ट्स में इसका न तो कम्पन्सेशन दिया जाता है न अवार्ड्स ही जारी होते हैं और न एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स चलती हैं इसलिए उसका तजकरा मैंने अपने जवाब में नहीं किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि सन् 1967 से पूर्व माननीय दौलतरामजी इस विभाग के उप-मंत्री थे इसलिये अवाप्त की गई या अवाप्त नहीं की गई, इस की सूचना उनको है ? 1967 के बाद कितनी अवाप्त की गई है इसकी सूचना उनको दे दी जाय।

श्री दौलतराम सारण : मैं मंत्री था या नहीं था इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है और मेरी सूचना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्नकर्ता की भावना भी स्पष्ट है और उत्तर भी स्पष्ट है। यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाय और प्रश्नकर्ता जो मांग कर रहे हैं आंकड़े वगैरह की वह मंत्री महोदय सरकार के द्वारा प्राप्त कर के सूचना देदें तो इसमें क्या आपत्ति है?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय अध्यक्ष जी, स्थगित करने का प्रश्न इसमें नहीं है। माननीय सदस्य का मुख्य उद्देश्य यह था इस सवाल के पूछने का कि इन बान्धों के बनाने से जो हजारों या लाखों एकड़ जमीन काम में आई है और इस काम में आने की वजह से देश का उत्पादन कम हुआ है जमीनों के बान्धों में चले के जाने कारण, अगर वह खाली रहती तो उत्पादन करती, ऐसा आपका इरादा था जो कि प्रश्न के भाग (2) से प्रतीत होता है, तो मैं सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं भ्रान्ति और भ्रम को दूर करने के लिए कि राजस्थान की पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी और तीसरी और पिछले दो वर्षों में जिसमें यह वर्ष भी शामिल है जिसके अन्दर कुल माइनर, मीडियम और मेजर सब प्रोजेक्ट्स में 129 करोड़ रुपया खर्च किया गया है और 16 लाख एकड़ जमीन में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

अधिक सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई है। इसमें 25 लाख एकड़ जमीन सिंचित की गई है बान्धों के बनाने की वजह से। इसकी वजह से एडिशनल प्रोडक्शन 4 करोड़ टन अनाज का हुआ है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपया कम से कम कूती जा सकती है। और जो जमीन एक्वायर की गई है उसका हिसाब लगाते हैं तो जो एक्वायर हुई है उसमें 10 लाख टन अनाज पैदा होना चाहिये, लेकिन जो जमीन एक्वायर हुई है उसमें 65 हजार एकड़ जमीन ऐसी है जो कि डूब में आती है और उसमें से लगभग 40-45 हजार हर साल पानी से वापिस खाली होती है जिसकी वजह से उसमें पैदावार होती है जो कि बारानी जमीन से दुगनी होती है। हमने काश्तकारों को जमीन के बदले में जमीनें दी हैं। करीब 25 हजार एकड़ बदले में जमीन दी गई है इसलिए उसमें पैदावार हो रही है। तो मुख्य उद्देश्य इस प्रश्न का यह था कि नाज के उत्पादन में कमी हुई है...

श्री अध्यक्ष : वह समझ में आ गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नदी, नालों के बान्धों में जमीन आ जाने के कारण से तो मेरा निवेदन यह है कि उत्पादन में कमी नहीं हुई है बल्कि बढ़ा है। और जो अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जायेंगे जैसे कि राजस्थान कैनाल वगैरह तो इनसे और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो जो प्रश्नकर्त्ता की नियत थी उसके लिए कोई जस्टीफिकेशन नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मेरी नियत के स्पष्टीकरण का सवाल नहीं है मगर आकड़ों की सूचना का सवाल है। मैंने स्पष्ट पूछा है प्रश्न के भाग (1) में कि कितनी कृषि योग्य भूमि अवाप्त की गई है....

रामप्रसाद लड्ढा : तो इतना ही पूछ लेते कि राजकीय भूमि कितनी काम में आई है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने...

श्री अध्यक्ष : मैं इस वाद-विवाद को समाप्त करता हूँ। क्या मन्शा प्रश्नकर्त्ता की इसमें है या नहीं है उस मन्शा के आधार पर यह प्रश्न स्थगित किये जाने के योग्य है या नहीं, मैं इस सारे प्रश्न को सोच-समझ कर स्थगित किया जाय या नहीं—इसका निर्णय बाद में दे दूंगा। इसलिए प्रश्न समाप्त हुए। स्थगन-प्रस्ताव।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष : 460 नम्बर का प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सब समाप्त हो गये माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे जिले में...

श्री अध्यक्ष : कई प्रश्न हैं एक जिले का नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : जिले का सवाल है और 10 लाख जनता का सवाल है, इसलिए पूछने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ! अध्यक्ष अपने पैरों पर खड़े हैं, माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया था कि प्रश्नों के बाद में उसको लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : किसी दूसरे समय ले लिया जायगा । स्थगन-प्रस्ताव ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बोरावास--चांदबाड़ी के रास्ते पर धोंकड़े का जंगल

438. **श्री बृज बल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में रेंज लाडपुरा के अधीनस्थ बोरावास से चांदबाड़ी वाले रास्ते पर धोंकड़े आदि का जंगल है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस जंगल में सफेद धोंकड़े के काफी पेड़ सूख गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस जंगल के आसपास आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन लोगों को इस जंगल से लकड़ी ले जाकर बेचने की मुमानियत है ? यदि हां, तो क्यों और यह जंगल कब तक इन लोगों एवं कृषकों के लिए खोला जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) कुछ सफेद धोकड़े के पेड़ सूख गये हैं ।

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं । सरबोझ द्वारा सूखी, गिरी पड़ी लकड़ी निकाल सकते हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गंगानगर शुगर मिल्स में नियुक्तियां

442. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शुगर मिल्स में कार्यालय आज्ञा सं. 5076/66 दिनांक 28-12-66 द्वारा कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियों की गई थीं ? यदि हां, तो वे व्यक्ति कौन-कौन थे, वे किस-किस पद पर नियुक्त किये गये ? उनका वेतन ग्रेड क्या तय किया गया ? उनकी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता क्या-क्या थी ? कृपया नियुक्ति ऑर्डर एवं उक्त विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या उक्त नियुक्तियों से पहले न रिक्त स्थानों के लिए कोई विज्ञापन निकालकर प्रार्थना-पत्र मांगे गए थे ? यदि हां, तो इन स्थानों के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ? कृपया प्रत्येक प्रार्थी की योग्यता सहित नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि इन नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति श्री हरबन्सलाल पर्सनल असिस्टेन्ट एवं कार्यालय इन्चार्ज श्री मदनलाल पसरीचा के रिश्तेदार हैं और दूसरे व्यक्ति श्री अम्मनसिंह,

Page No. 41

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

श्री पी० एस० शर्मा०, डी० टी० के घरेलू सेवक थे ? क्या यह तथ्य नियुक्ति से पहले मैनेजमेंट के नोटिस में आ चुके थे ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त श्री हरबन्सलाल एवं श्री झम्मनसिंह दोनों ही मैट्रिक पास भी नहीं हैं ?

(5) क्या यह सही है कि शुगर मिल्स में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो कई वर्षों से वहां काम कर रहे हैं जिनमें उक्त श्री हरबन्सलाल अथवा श्री झम्मनसिंह के बराबर अथवा अधिक योग्यताएं हैं और जो अब भी इन व्यक्तियों को दिये गये वेतन स्तर से कम वेतन स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर हां, तो इन व्यक्तियों में से किन्हीं को अपग्रेड करने के बजाय इन नये व्यक्तियों को नियुक्त क्यों किया गया ?

(6) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल्स एम्पलाईज यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 11-4-67 द्वारा इन नियुक्तियों का विरोध किया है और उसमें इस गल्ती को दुरुस्त करने की मांग की है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) हां यह सत्य है कि जो व्यक्ति कार्यालय आज्ञा संख्या 5076/66 दिनांक 28-12-66 द्वारा नियुक्त किये गये उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1.	श्री सुरेशचन्द्र	स्टरलाईजर एण्ड ईस्ट प्लान ऑपरेटर।
2.	श्री हरबन्सलाल	,,
3.	श्री झम्मनसिंह	,,

उनका ग्रेड 105-6-135-7-170 तय किया गया और उनको ग्रेड का न्यूनतम वेतन दिया गया। इन पदों के लिये कम से कम शिक्षा जो निर्धारित की गई-थी, वह 8वीं कक्षा पास थी और तकनीकी शिक्षा और अनुभव अनिवार्य था। उपरोक्त कार्यालय आज्ञा की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) हां। उपरोक्त स्थानों के लिए मिल के सूचना पट्ट पर विज्ञापन लगाया गया था तथा इन रिक्त स्थानों की सूचना स्थानीय एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज को दी गई और उनसे उम्मीदवारों की सूची मांगी गई। एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज ने संलग्न तालिका में दिये गये अनुसार सात प्रार्थियों को उपर्युक्त स्थानों के लिये भेजा। इन प्रार्थियों की शिक्षा तकनीकी अनुभव व चुनावमण्डल के सदस्यों की तालिका संलग्न है। यह तालिका सदन की मेज पर रखा दी गई है। सात प्रार्थियों में से चुनाव मण्डल सिलेक्शन बोर्ड ने तीन व्यक्तियों को नियुक्ति के योग्य समझा तथा मैनेजमेंट को सिफारिशें की कि इन तीन व्यक्तियों की नियुक्तियां करे दी जावें, जो कि मान ली गई तथा फलस्वरूप कार्यालय आदेश जारी किया गया।

(3) हां, यह सत्य है कि श्री हरबन्स लाल श्री मदनलाल पसरीचा के रिश्तेदार हैं। यह बात गलत है कि श्री झम्मनसिंह, पी०एस०शर्मा, डी०टी० के घरेलू सेवक थे। कम्पनी के किसी कर्मचारी के रिश्तेदार को नियुक्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(4) जी हां।

(5) यह बात सही नहीं है कि शुगर मिल्स में ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो कि उक्त श्री हरबन्सलाल व श्री झम्मनसिंह के

Page No. 42

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

बराबर व अधिक योग्यतायें रखते हुए उनसे कम वेतन पर काम करते हैं। यदि कोई ऐसे व्यक्ति थे तो उनको उपरोक्त रिक्त स्थानों के लिए प्रार्थना पत्र देने थे।

(6) हां यह बात सत्य है कि दी गंगानगर शुगर मिल्स एम्पलॉईज यूनियन ने अपने पत्र दिनांक 11-4-67 द्वारा इन नियुक्तियों का विरोध किया था, परन्तु यह विरोध नियुक्तियों से लगभग 4 मास बाद किया गया था जिसके फलस्वरूप इन नियुक्तियों के बारे में कोई पुनर्विचार करना संभव नहीं था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय को भेज दी)

ग्राम पुनाड़िया की गोचर भूमि

445. **श्री दौलत राम आगरी** (देसूरी-सू.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पुनाड़िया, तहसील देसूरी में गोचर भूमि सरकार द्वारा घोषित की गई ? यदि हां, तो खसरा नम्बर व रकबा बताने की कृपा करें।

(2) उक्त गोचर भूमि पर किस-किस व्यक्ति ने अनधिकृत काश्त किया है ? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

(4) नाजायज कब्जा किस साल से किया गया ?

उत्तर

(1) ग्राम पुनाड़िया, तहसील देसूरी में जो गोचर भूमि सरकार द्वारा घोषित की गई उसके खसरा नं० व रकबा संलग्न सूची (क) में अंकित है।

(2) सूची (ख) संलग्न है।

(3) गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने वाले कुछ काश्तकारों के विरुद्ध राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उनके ऊपर जुर्माना किया गया। जुर्माना करने के पश्चात् भी कुछ काश्तकारों ने इस साल सं. 2024 में भी अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर काश्त की है। उनको जल्दी ही बेदखल कर दिया जावेगा।

(4) यह सूचना प्रस्तुत सूची (ख) के कालम 4 में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील डेगाना में छात्रावास की मांग

447. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में पिछड़े वर्ग के कितने छात्रावास चल रहे हैं व किस-किस तहसील में ?

(2) तहसील डेगाना के दलित वर्ग की ओर से छात्रावास की मांग कब की गई ?

(3) पिछले ३ वर्षों में डेगाना उच्चतर शाला में कितने लड़के दलित वर्ग के पढ़ते

(श्रीमती गोरीपूनिया)

रहे हैं ? कृपया वार्षिक संख्या (1964-65 1965-66, 1966-67) देने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) दलित वर्ग संघ, डेगाना के अध्यक्ष, श्री हेमराज के प्रस्ताव दिनांक 24-10-67 को प्राप्त हुए ।

(3) इस प्रश्न का संबंध शिक्षा विभाग से है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

स्थगित प्रश्न

27-2-68

मद्य निषेध क्षेत्र में शराब की बिक्री

295. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में मद्य निषेध क्षत्र कौन-कौन सा है ?

(2) इस क्षेत्र में किन-किन संस्थाओं एवं व्यक्तियों को अनुज्ञापत्र के द्वारा किस किस प्रकार की शराब की कितनी-कितनी मात्रा में क्रय एवं विक्रय का अधिकार प्राप्त है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) ऐसे क्षेत्र में कितने शराब का अब तक क्रय विक्रय हुआ है ।

उत्तर

(1) राज्य में मद्य निषेध क्षेत्र सिरोही जिले का आबू क्षत्र तथा राज्य की गुजरात राज्य से लगी हुई सीमा का 25 किलोमीटर क्षेत्र है ।

(2) आबू क्षेत्र में केवल विदेशी मदिरा के क्रय विक्रय का लाईसेंस होटल-कॉर्पोरेशन तथा 4/4 गोरखा-राइफल्स के मिलिट्री यूनिट को दिया गया है ।

1. जहां तक होटल कॉर्पोरेशन का संबंध है, शराब की क्रय तथा विक्रय की कोई मात्रा निर्धारित नहीं है, परन्तु वे केवल परमिटों के आधार पर ही उसमें वर्णित मात्रा के अनुसार बिक्री कर सकते हैं ।

2. 4/4 गोरखा राइफल्स के मिलिट्री यूनिट के लिये विभाग की ओर से दिये गये लाइसेंस के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्केल के अनुसार कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) की मारफत क्रय-विक्रय करते हैं ।

3. गुजरात राज्य से लगी सीमा के 25 किलो मीटर के क्षेत्र के लिये कोई लाईसेंस नहीं दिया गया है ।

(3) गत 2 वर्षों में उपरोक्त आबू क्षेत्र में हुए क्रय विक्रय के आंकड़ों की सूची 'क' संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जन जाति के लिए विकास खण्ड.

162. श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु०): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अनुसूचित जन जाति के कितने विकास खण्ड तीसरी पंच

(श्री रतनलाल रोत)
साला योजना में खोले गये और कितने चौथी पंचवर्षीय योजना में खोलने का इरादा है?

(2) अनुसूचित जन जाति के विकास खण्डों में मुख्यत: कौनसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में अनुसूचित जन-जातियों के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में 13 आदिवासी विकास खन्ड खोले गये थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 20 अतिरिक्त आदिवासी विकास खन्ड खोलने के प्रस्ताव भेजे गये थे ।

(2) आदिवासी विकास खन्डों में अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिये सिंचाई, कृषि, शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पौध संरक्षण आदि योजनाऐं संचालित की जाती हैं। कृषि के लिये स्वीकृत योजानओं में मुख्य पम्पिंग सैट लगाना, बैलों के लिये सहायता देना, उन्नत बीज, एवं उन्नत कृषि के प्रदर्शन करना मुख्य हैं ।

नहरी पटवारियों का वेतन

163. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- क्या यह सही है कि नहरी पटवारियों का मौजूदा वेतन राजस्व पटवारियों से कम है ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है?

उत्तर

नहरी पटवारियों की वेतन श्रृंखला वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 2(बी) (2) वित्त (नियम) 68 दिनांक 1-3-68 द्वारा राजस्व के पटवारियों के बराबर कर दी गई है ।

सिधमुख नहर

164. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भाखरा नहर से सिधमुख नहर के निकालने का कार्य कब तक चालू किया जायेगा ?

(2) इस नहर के निकालने से कुल कितने एकड़ रकबे की सिंचाई होगी ?

(3) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

उत्तर

(1) इस योजना की अभी तक स्वीकृति ही नहीं हुई है ।

(2) इस योजना से 90,000 एकड़ फ्लो (flow) से एवं 60,000 एकड़ 40 फीट तक की लिफ्ट द्वारा सिंचित करने का अनुमान है ।

(3) इस पर कुल अनुमानित धनराशि 2करोड़ 6लाख रुपये आंकी गई है ।

भाखरा क्षेत्र की सरकारी काबिल काश्त भूमि

165. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर): क्या कॉलोनाईजेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भाखरा क्षेत्र में कुल कितनी सरकारी काबिल काश्त जमीन खाली पड़ी है?

(2) सरकार की इसके बारे में क्या नीति है ?

उत्तर

(1) भाखरा क्षेत्र में राज्य की 12762-09 नहरी वा 11202-12 बीघा बारानी रकबा जमीन खाली पड़ी है।

(2) पड़त जमीन को बेचने की हैं ।

पंचायत समिति तारानगर के एकाउन्ट्स का चैकिंग

166. **राजवी श्री रूपसिंह**(सरदारशहर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या तारानगर पंचायत समिति के एकाउन्ट्स का कभी चैकिंग हुआ है ? यदि हां, तो कब ? और उसकी क्या रिपोर्ट है? यदि नहीं, तो उसकी चैकिंग कब तक करवाई जावेगी ?

उत्तर

जी हां । नियमानुसार ऑडिट होता है। अन्तिम ऑडिट दिनांक 14-2-68 को हुआ है । रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्राम पंचायत गाड़ोता को विभिन्न कार्यों के लिए दी गई धनराशि

167. **श्री छुवालाल चौधरी** (दूदू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

()1 ग्राम पंचायत गाड़ोता (पंचायत समिति दूदू) को सन् 59 से 67 तक किस किस विभाग से कितना पैसा अनुदान का जल प्रदाय, भवन-निर्माण, रास्ता दुरुस्ती व अन्य निर्माण कार्य हेतु मिला हैं ?

(2) क्या यह पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ है ?

(3) निर्माण के जो काम हुए हैं वे कितने अधूरे हैं, कितना पैसा और लगाने से पूरे हो सकते हैं ?

(4) क्या श्रमदान में भी पैसा लगाया गया है? अगर नहीं तो, क्यों नहीं?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) किस कार्य में कितनी राशि खर्च हुई है इसका भी उल्लेख सदन की मेज पर रखी गई सूचना में कर दिया है ।

(3) इस बारे में भी सदन की मेज पर रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया गया है । अधूरे कार्यों का पूरा कराने के लिए लगभग 1750 रु० की आवश्यकता रहती है।

(4) कार्य जन-सहयोग के अभाव म हो अधूरे हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

खारी छाबड़ी ग्राम के कुए की मरम्मत

168. **श्री लाभचन्द छंद** (सुजानगढ़): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या यह सही है कि सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में खारी छाबड़ी ग्राम में पीने योग्य पानी का एक ही कुआ है और वह कुआ काफी जर्जरावस्था में परिणित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस कुए की मरम्मत शीघ्र करवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

जी नहीं, स्थिति यह है कि खारी छाबड़ी में 3 कुए हैं जिनमें से एक कुआ बेकार है जिसका पानी काम में नहीं लाया

(विकास मंत्री)

जाता। दूसरा कुआ चालू हालत में है। वह जर्जर है। ग्राम पंचायत द्वारा मांग करने पर पंचायत समिति द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। तीसरा कुआ जिसका निर्माण कार्य पूरा होने को है, उसका पानी भी पीने योग्य है। तीन कुओं के अतिरिक्त पीने के पानी के तीन कुण्ड भी हैं। उन्हें भी उपयोग में लाया जाता है।

महाराजा श्री उम्मेद मिल, पाली के मजदूर

169. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) महाराजा श्री उम्मेद मिल, पाली में कितने मजदूर किस-किस विभाग में बदली पर काम करते हैं और कितने साल से करते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि कई मजदूर वर्षों तक काम करने पर भी स्थाई नहीं किये जाते हैं?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इन मजदूरों को स्थाई नहीं करने की नीति से उनका स्थानान्तर एक विभाग से दूसरे विभाग में कर देते हैं? यदि हां तो क्या राज्य सरकार इसके लिए कोई कदम उठावेगी?

उत्तर

(1) तीनों शिफ्टों के लिए श्री महाराजा उम्मेद मिल्स लि०, पाली में 1 मार्च, 1968 को प्राप्त सूचना के आधार पर 1850 कामगार बदली रजिस्टर में अंकित हैं जिनकी विभागानुसार सूची संलग्न है। उनमें से जिन कामगरों को समय समय पर जरुरत के मुताबिक काम दिया जाता है, उनकी सूचना एक बहुत लम्बी सूची होगी क्योंकि उन कामगरों से स्थाई कामगरों की छुट्टी अथवा अनुपस्थिति की वजह से समय समय पर काम लिया जाता है।

(2) कामगरों को उनकी वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर स्थाई रिक्त स्थानों पर स्थाई तौर पर नियुक्त किया जाता है। इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के 22-1-66 के फैसले के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

(3) इस प्रकार की कोई शिकायत होने पर राज्य सरकार का श्रम विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा। अत: यदि मिल मालिक बदली कामगरों का स्थानांतर इस नीति से करते हैं कि वे स्थाई न हो सकें, तब श्रम विभाग के अधिकारी इसकी जांच कर संबंधित कामगार अथवा उसके संघ द्वारा उठाए गये विवाद पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बाढ़ से नुकसान तथा पीड़ितों को सहायता

170. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इस वर्ष बाढ़ के कारण राज्य भर में कुल क्या क्या नुकसान हुआ और राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि सहायतार्थ उपलब्ध करवाई गई? इसकी एक जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(2) बाढ पीड़ितों की सहायतार्थ कितनी धनराशि केन्द्र द्वारा स वर्ष दी गई?

(3) केन्द्र से राज्य सरकार ने कितने अनुदान या ऋण की मांग की थीं और उसमें से कितना स्वीकार किया गया?

(4) बार बार बाढ से होने वाली क्षति को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

उदयपुर जिले के अभावग्रस्त ग्राम

171. **श्री दवीलाल सराडा**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1965, 1966 व 1967 में उदयपुर जिले की किस किस तहसील में कितने कितने गांव अकालग्रस्त रहे?

(2) जिन गांवों में अकाल रहा है, क्या उनमें लगान की छूट देने की कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) वर्ष 1965, 1966 व 1967 में उदयपुर जिले में जितने ग्राम अभावग्रस्त रहे हैं उनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, जो गांव अभावग्रस्त रहे हैं उनमें नियमानुसार लगान की छूट देने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

बान्डी नदी का तटबन्धन

172. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार ने कोई ऐसी सिफारिश केन्द्र सरकार को की है कि जिसके कारण बान्डी नदी का तटबन्धन इस साल हो सकेगा? क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई आर्थिक सहायता पाली तहसील के बाढ के कामों के लिये दी है? और दी है तो कितनी?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग तथा निर्माण विभाग से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विभाग से केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं हुआ है।

(2) राज्य सरकार ने भरतपुर तथा पाली के बाढ क्षेत्र में सहायतार्थ केन्द्र सरकार को 1 करोड़ रुपये ऋण के रूप में तथा 50 लाख रुपये सहायता के रूप में दिये जाने के लिए निवेदन किया है जिसके लिए अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

Page No. 48

स्थगित प्रश्न

27-2-68

नागौर जिले के शराब के अधिकृत विक्रेता

87. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में शराब के अधिकृत विक्रेता कौन कौन हैं? तथा कितने कितने रुपयों के गारन्टी सिस्टम से ठेके किस किस समय के लिये किस किस ठेकेदार को किस किस क्षेत्र के लिये मुकर्रर किये गये हैं?

(2) किस किस ठेकेदार में किस किस समय का कितना कितना रुपया बकाया है? ठेकेदारों के नाम, पते, वल्दियत, कौमियत व सकूनत बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि गारन्टी सिस्टम में यह शर्त होती है कि यदि कोई ठेकेदार या उसका साझेदार ठेकेदार नाजायज शराब की बिक्री करते पकडा जावे या दोषी पाया जावे तो पूरा ठेका रद्द कर दिया जाना लाजमी है? यदि हां, तो क्या नागौर शहर के ठेकेदारों के साथ इस तरह का सलूक सरकार ने किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नागौर जिले में शराब के अधिकृत विक्रेता के नाम क्षेत्र एवं गारन्टी सिस्टम पर दिये गये ठेके की रकम वर्ष 1967-68 की सूची 'क' संलग्न है।

(2) इस जिले के ठेकेदारों में बकाया की सूची 'ख' संलग्न है जिसमें ठेकेदारों के नाम, वल्दियत, कौमियत, पते, बकाया रकम एवं वर्ष बतलाया गया है।

(3) पूरा ठेका रद्द करना लाजिमी नहीं है। मामले की गंभीरता को देखकर निर्णय लिया जाता है। नागौर शहर की दुकान के ठेके के साझीदार श्री कानाराम खटीक के विरुद्ध मामला पकड़ा गया है जिसकी जांच की जा रही है। जिसके नतीजे पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी)

(12-45 म० प०)

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य, विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बताया गया है कि दिनांक 29 फरवरी 1968 को पोलीटैक्निक कालेज, उदयपुर के विद्यार्थियों एवम् अध्यापकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया है जिसके फलस्वरूप वहां पर गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इसी आशय के एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री देवीदत्त गाडिया से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त विषय का सम्बन्ध राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने से है और इसलिये यह एक अविलम्बनीय

Page No. 49

(श्री अध्यक्ष) ... लोक महत्व का नहीं है। फिर भी चूंकि इस विषय में कई विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया जाना बताया गया है, अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : कल के बजाय परसों रख दें, मैं कल नहीं आऊंगा।

श्री अध्यक्ष : अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। परसों मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्तावों के अतिरिक्त मेरे पास निम्न 4 और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) राजस्थान नहर योजना के कार्य को धनराशि के अभाव में धीमा करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री बीरबल, श्री शीशराम व श्री हंसराज आर्य ने सूचना दी है।

(2) राजस्थान नहर एवं लिफ्ट योजना के लिये उचित धनराशि का प्रावधान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्रीमती कान्ता कथूरिया ने दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस के बारे में?

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नहर एवं लिफ्ट नहर योजना के बारे में।

(3) बन्ध छापरवाड़ा से सिंचाई के लिए पानी के वितरण में अव्यवस्था से संबंधित एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री सुवालाल चौधरी व श्री चुन्नीलाल ने दी है।

(4) जसवन्तगढ लाडनूं और सुजानगढ के बीच कालेज के निर्माण की सरकार द्वारा घोषणा किये जाने के बावजूद मकान बनाने का कार्य शुरू नहीं करने से संबंधित एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री हरजीराम बुरडक ने दी है।

उपरोक्त चारों स्थगन-प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जाय। इनके अतिरिक्त इनमें उल्लिखित मामलों को बजट पर होने वाली बहस या सम्बन्धित विभागों की मांगों पर किये जाने वाले वाद विवाद के दौरान कटोती प्रस्तावों के जरिए भी उठाया जा सकता है।

अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, पोलीटेक्निक कालेज उदयपुर, में जो विद्यार्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, इसके सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा है कि परसों वे वक्तव्य देंगे। मुझे आपसे यह नम्र निवेदन करना है कि यह मामला बड़ा गम्भीर है। इसके कारण ऐसा न हो कि सम्पूर्ण राज्य में अशान्ति की स्थिति पैदा हो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाय जिसको हम कोई भी यहां पर नहीं चाहते हैं। लडकों का विक्टमाइजेशन किया जा रहा है। आर० ए० सी० की फोर्स बुलाकर लड़कों को अमानुषिक तरीके से पिटवाना और लड़कों की गिरफ्तारियां करना, इस प्रकार की कार्यवाही....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री दामोदरलाल व्यास : That is wrong.

श्री अध्यक्ष: जब कि स्थगन-प्रस्ताव पर वक्तव्य देने के लिए मैंने कह दिया है तो प्रश्न सिर्फ रहता है कि कल दिया जाय या परसों दिया जाय। परसों देंगे तो तथ्य सारे के सारे यहां रख देंगे। उसका मतलब यह हुआ कि माननीय गृह मंत्री वापिस उसको कन्ट्राडिक्ट करें। इसलिये इस प्रश्न को कि कल दिया जाय या परसों दिया जाय, माननीय गृह मंत्री की सुविधानुसार तय करना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं कि तथ्य आज भी ज्ञात हुए हैं और कल और ज्ञात हो सकते हैं और परसों और सुविधाजनक हो सकता है। सारा स्पष्टीकरण इस प्रश्न का मुझे करना है कि कल दिया जाय या परसों तो इसमें न पडकर उनकी सुविधानुसार देने के लिए वे कृपा करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह घटना तो 5 दिन पहले की है।

श्री अध्यक्ष : अभी घटना और है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर योजना के सम्बन्ध में हम लोगों ने एक मोशन भी दिया था। अध्यक्ष महोदय, उस सम्बन्ध में चर्चा भी हुई थी ...

श्री अध्यक्ष : स्थगन - प्रस्ताव जो मैंने रिजेक्ट किया है, उस के सम्बन्ध में आप फर्मा रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह विषय इतना गम्भीर है, इसके बारे में आपने एक दिन यह कहा था कि एक दिन गवर्नमेंट इस पर डिबेट कराने के लिए तैयार होगी तो इस विषय पर एक विशेष दिन रखकर पूरे विषय पर बहस कराई जाय, क्योंकि राजस्थान नहर योजना का प्रश्न राजस्थान के विकास से सम्बन्धित है....

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नहर के विकास से सम्बन्धित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हमने एक मोशन के रूप में मूव किया है जिस पर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं सब पार्टियों के ....

श्री अध्यक्ष : वह मेरे पास है 119 का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 119 का आपके सामने है और आपने गवर्नमेंट से पूछकर उसके लिए एक दिन एलाट करने के लिए फर्माया था।

श्री अध्यक्ष : मैं आज इसको देख लूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर जाकर आया हूं तो वहां पर कालेज को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर रखा है और सारे उदयपुर में 400 सिपाही आर० ए० सी० के....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने भी उठाया और इस उद्विग्नता और चिन्ता से उठाया, मैंने आग्रह किया है कि कल या परसों इसको ले लिया जायगा, फिर कहां प्रश्न रहता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख की घटना है और घटना इतनी गंभीर है जैसा कि पश्चिमी बंगाल में उत्तरपाडा में हुआ था, विद्यार्थियों को पीटा गया है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो यही है कि कल लिया जाय या परसों ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: कल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं आग्रह करूंगा।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत)। राजस्थान नहर योजना के बारे में मंत्रीजी से वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अभी तो मैंने इसके बारे में व्यवस्था दी थी।

श्री हंसराज आर्य : इसको भी जल्दी ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष मैं : इसको देख लूंगा।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य मंत्री महोदय। मेडीकल कालेज के छात्रों के संबंध में।

एम० बी० बी० एस० के प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों की हड़ताल सम्बन्धी राज्य मन्त्री स्वास्थ्य का वक्तव्य

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मंत्री, स्वास्थ्य): अध्यक्ष महोदय, कोटा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कई अन्य सदस्यों सहित मेडीकल कॉलेज, जयपुर के छात्रों के असन्तोष के संबंध में जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि गत वर्ष से राजस्थान विश्वविद्यालय ने प्रथम एम० बी०, बी० एस० परीक्षा वर्ष में दो बार प्रथम दिसम्बर माह में एवं द्वितीय जनवरी माह में करने का निर्णय किया है। यह पद्धति आल इंडिया इन्स्टीटयूट, देहली, बनारस एवं देहली विश्वविद्यालयों में भी चालू है। दो वर्ष पूर्व विद्यार्थियों के आंदोलन करने पर, राजस्थान विश्व- विद्यालय ने भी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह पद्धति अपनाई थी जिससे अधिक से अधिक छात्र प्रथम एम०बी० बी० एस० परीक्षा में उत्तीर्ण होकर रेग्यूलर बैच के साथ अपना अध्ययन बिना अतिरिक्त समय लगाये फाइनल एम०बी०बी० एस० की परीक्षा तक जारी रख सकें। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई लडका दिसम्बर माह की परीक्षा में अनुतीर्ण होता है तो वह जनवरी माह में ही परीक्षा में बैठकर उन विद्यार्थियों के साथ जिन्होंने

Page No. 52

(श्रीमती सुमित्रा)

दिसम्बर माह में प्रथम एम० बी० बी० एस० की परीक्षा उत्तीर्ण की है, अपना अध्ययन आगे प्रारम्भ कर सकता है। मैं इसकी पुष्टि में निम्नलिखित आंकड़ों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि नवीन पद्धति छात्रों के अधिक हित में है।

प्रथम एम०बी०बी०एस० परीक्षा माह	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	पास होने वालों की संख्या	पास होने वालों का प्रतिशत
1. दिसम्बर '67	656	387	59 प्रतिशत
2. जनवरी '68	309	244	78 प्रतिशत

309 विद्यार्थियों में से 40 ऐसे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो दिसम्बर, 67 में अटेन्डेन्स की कमी व बीमारी इत्यादि के कारण परीक्षा में नहीं बैठ सके थे।

इन आंकडों से स्पष्ट है कि करीब 91 प्रतिशत छात्र जनवरी माह में ही प्रथम एम० बी० बी० एस० की परीक्षा उत्तीर्ण कर, बिना अतिरिक्त समय लगाये फाइनल एम० बी०बी०एस० तक अपना अध्ययन जारी रख सकेंगे। इस नई पद्धति के पूर्व भी जब कि प्रथम एम०बी०बी०एस० की परीक्षा दिसम्बर व अप्रेल में होती थी, उस समय भी अप्रेल परीक्षा फल इस पद्धति के अर्थात जनवरी के परीक्षा फल से किसी तरह भी अच्छे नहीं थे, जैसा कि निम्न आंकडों से प्रतीत होता है:

प्रथम एम०बी०बी०एस० परीक्षा माह	परीक्षा में बैठने वालों की संख्या	पास होने वालों की संख्या	पास होने वालों का प्रतिशत
1. अप्रेल 1965	203	148	72.29
2. अप्रेल 1966	219	142	71
3. अप्रेल 1967	265	207	78
4. जन० 1968	309	244	78

मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने भी वर्ष में दो बार ही परीक्षा करने की फिर से सिफारिश की है, जो दिसम्बर व मई माह में की जा सकती हैं। परन्तु इसका अर्थ यह होगा कि 244 छात्र, जिन्होंने प्रथम एम० बी०बी० एस० की परीक्षा जनवरी '68 में उत्तीर्ण की है, उनके करीब 6 माह व्यर्थ में जावेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय ने फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की सिफारिश पर एवं छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए दिसम्बर व जनवरी माह में परीक्षा करने का निर्णय लिया है।

संकटकालीन समय से पूर्व भी छात्रों को वर्ष में दो बार ही परीक्षा देने का अवसर प्राप्त था। लेकिन संकटकालीन स्थिति के दौरान मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने सभी परीक्षाओं को दो से बढ़ाकर चार करने का सुझाव दिया था, ताकि अधिकतम संख्या में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने का अवसर

(श्रीमती सुमित्रा)

प्राप्त हो, ताकि सेना में डाक्टरों की कमी को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके। इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी जून की अतिरिक्त परीक्षा प्रारम्भ की थी, यानि दो के बजाय तीन अवसर प्रदान किये थे। चीन व पाकिस्तान से हमारा युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने सन् 1966 से प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जून की अतिरिक्त परीक्षा समाप्त करके प्रथम, द्वितीय एवं फाइनल एम० बी० बी० एस० की परीक्षायें वर्ष में दो बार लेना निश्चित किया। इसके अंतर्गत द्वितीय एवं फाइनल एम०बी०बी०एस० की परीक्षायें वर्ष में दो बार लेना निश्चित किया। इसके अंतर्गत द्वितीय एवं फाइनल एम० बी० बी० एस० की परीक्षा दिसम्बर और जनवरी में इसलिए होना तय किया गया कि विद्यार्थियों का अधिक समय व्यर्थ न हो और वे रेग्यूलर बैंच के साथ अपना अध्ययन जारी रख सकें।

(2) यह नितांत असत्य है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के किसी भी अधिकारी ने किसी भी छात्र के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया हो। मेडिकल कालेज के संबंधित अधिकारियों ने विद्यार्थियों को कई बार सहानुभूतिपूर्वक सुनकर समझाने की भी पूर्ण चेष्ठा की है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है. . . .

श्रीमती सुमित्रा : इससे संबंधित दूसरा और प्रस्ताव है आप कहें तो मैं उस पर भी वक्तव्य दे दूं।

श्री अध्यक्ष : वह भी ले लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : उपरोक्त विषय में लेख है कि राजस्थान के निम्नलिखित मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल चल रही है : (1) मेडिकल कॉलेज, जयपुर (2) मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, (3) मेडिकल कॉलेज, उदयपुर (आंशिक रूप से) (4) मेडिकल कॉलेज, अजमेर और (5) मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।

बीकानेर से ता० 4-3-68 को सूचना प्राप्त हुई है कि वहां पर आज हड़ताल है।

प्रथम एम०बी०बी०एस० की परीक्षाओं के संबंध में ऊपर उत्तर दे दिया गया है।

जिन विद्यार्थियों ने सन् 1965 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश किया है वे लोग द्वितीय एम०बी०बी०एस० की परीक्षा के लिए अप्रेल में ड्यू हैं। विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्स व सिलेबस, 1965 के तहत द्वितीय एम० बी० बी० एस० के लिये तीन परीक्षाओं का प्रावधान है जो क्रमशः अप्रेल, जून या जुलाई एवं दिसम्बर में होंगी।

जयपुर महाविद्यालय में विश्वविद्यालय से द्वितीय एम०बी०बी०एस० के विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोई विज्ञप्ति प्राप्त नहीं हुई, जिसमें जून में परीक्षा निश्चित कर दी हो। जैसा कि ऊपर निवेदन किया जा चुका है कि विश्वविद्यालय ने इन विद्यार्थियों के लिये अप्रेल, जून या जुलाई एवं दिसम्बर माह में ही परीक्षा लेना निश्चित कर रखा है।

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होगा कि छात्रों में तीव्र असंतोष होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

(श्रीमती सुमित्रा)

जहां तक मेडिकल कालेजों का प्रश्न है, विश्वविद्यालय के ओर्डिनेन्स व सिलेबस के अनुसार परीक्षाएं ली जाती हैं। मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले हर छात्र से यह आशा की जाती है कि वे ओर्डिनेन्स एवं सिलेबस जो कि विश्वविद्यालय से प्रकाशित होते हैं, उनसे अपने आपको भली-भांति अवगत रखें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, दोनों स्थगन प्रस्ताव फर्स्ट एम० बी०, बी० एस० और सैकन्ड एम० बी०, बी० एस० के संबंध में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि जिस गंभीरता के साथ स्थगन प्रस्ताव रखा था और जिस समय स्थगन प्रस्ताव रखा गया था, उस समय मेडिकल कॉलेज में कोई हड़ताल आरम्भ नहीं हुई थी। लेकिन सरकार का जिस प्रकार रवैया विद्यार्थियों के प्रति रहा और जिस प्रकार सरकार मौन चलती रही उसके कारण आज स्थिति यह बन गई है, सरकार के रवैये के कारण कि राजस्थान की मेडिकल कॉलेजों में कंपलीट हड़ताल है।

मैं फर्स्ट एम० बी० बी० एस० के बारे में निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, इमर्जेन्सी सन् 62 में आरम्भ हुई

(1 म० प०)

और सन् 68 तक इमर्जेन्सी रही और इमर्जेन्सी चालू होने के कारण ही जब सरकार ने यह अनुभव किया कि हमें डाक्टर्स की अधिक आवश्यकता है तो पांच साल के कोर्स को कम करके साढ़े चार साल का कोर्स किया और साढ़े चार साल का कोर्स करने के पश्चात् भी सरकार ने यह नीति निर्धारित की कि चूंकि हमको मेडिकल कॉलेज में लड़के कम उपलब्ध हो रहे हैं, डाक्टरी के लिए कम हैं, इसलिए इन लड़कों का जितना अधिक से अधिक उपयोग लिया जा सकता है, इनका उपयोग हमको लेना चाहिए और इसलिए सरकार ने इन मेडिकल कॉलेज के लड़कों के लिए तीन अटेम्प्ट्स की व्यवस्था की, यानि यदि लड़के दिसम्बर में परीक्षा में बैठते हैं, उसमें अनुत्तीर्ण लड़के हैं, दिसम्बर के बाद तीन महीने के पश्चात्, तीन महीने के इन्टरवल से लड़कों को तैयारी करने का, मौका मिल जाय, और तैयारी करने के लिये समय दिया जाय, और दिसम्बर में परीक्षा में फेल होने के बाद अप्रेल में जाकर दुबारा उनकी परीक्षा की जाय। जो लड़के अप्रेल में सफल हो जायं उनको, दिसम्बर में जो लड़के परीक्षा देने के लिए जायेंगे, उनके साथ शामिल कर लिया जाय। इस प्रकार से उनको कोई लॉस नहीं होगा। अप्रेल में सैकिंड अटेम्प्ट में जो लड़के पास होंगे, वह दिसम्बर के बैच के साथ शामिल हो जायेंगे और उनको कोई लॉस नहीं होगा। इसके बाद, सैकिंड अटेम्प्ट में परीक्षा देने के बाद लड़के फेल हों, तो दुबारा उनको तैयारी करने का मौका दिया जाता है, यानि तीसरा जून की परीक्षा लेने के समय उनको अटेम्प्ट दिया जाय। इस प्रकार जून की परीक्षा को देने के पश्चात् यदि लड़का पास हो जाता था तो केवल लड़के को छः माह का लास होता था और जून के अन्दर एक नया बैच बना दिया जाता था और इस प्रकार वह छः महीने का लांस करता था और जो लड़का फेल होता तीनों अटेम्प्ट्स के पश्चात् उसको एक साल का लास होता था। इस

Page No. 55

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

प्रकार इमर्जेन्सी के समय जो स्वयं सरकार ने व्यवस्था की और उसके अनुसार लड़कों को तीन अटेम्प्ट दिये गये, दिसम्बर में फेल होने के बाद अप्रेल में, और अप्रेल में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो तीन महीने के बाद तो उनको कोई लास नहीं होता था। इसके बाद जो फेल होने वाले लड़के थे उनको दुबारा जून के अन्दर तीन महीने के बाद फिर मौका दिया जाता था और जो पास हो जाते थे उनको छः महीने का नुकसान होता था और एक नया बैच प्रारम्भ हो जाता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के अनुसार सरकार ने इनके जो तीन अटेम्प्ट्स थे, जो सोच विचार कर रखे थे, आपके यहां पर जो कोर्स है, उसमें एनोटोमी और फिजियोलोजी इन दो सब्जेक्ट के अन्दर लड़का फेल हो तो उसको कम से कम इतना मौका दिया जाय, इतना समय दिया जाय, इतना इन्टरवल दिया जाय कि वह तीन महीने के अन्दर तैयारी करके परीक्षा में बैठ जाय। अब जो वक्तव्य दिया गया है, उसमें यह बताया गया है कि तीन अटेम्प्ट्स के बजाय सरकार ने अब दो अटेम्प्ट्स रहने दिये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न विचारणीय है, जब स्वयं सरकार मान कर चलती है कि डाक्टरों की कमी है और डाक्टरों की कमी की पूर्ति करने के लिए लड़कों का एक साल खराब न हो, इसलिए इस व्यवस्था को रख कर तीन अटेम्प्ट्स, तीन तीन महीने के इन्टरवल से रखे। दो सब्जेक्ट में एपीयर होने के लिए, लेकिन अब दो अटेम्प्ट बना कर चल रहे हैं। केवल दो अटेम्प्ट, एक दिसम्बर में परीक्षा की, उसके बाद में जनवरी में दूसरा अटेम्प्ट देना चाहते हैं। दो सब्जेक्ट, एनोटोमी और फिजियोलोजी—इन दो सब्जेक्ट के अन्दर लडका फेल होता है तो फेल होने के बाद उस लड़के से यदि यह आशा करें कि केवल एक महीने के अन्दर वह तैयारी करक आपके दो सब्जेक्ट के अन्दर परीक्षा में बैठ कर पास हो जायगा तो मैं सोचता हूं, यह न्यायसंगत नहीं है, यह लड़कों के साथ इन्साफ नहीं है, और, अध्यक्ष महोदय, दो अटेम्प्ट होने पर भी, इस साल जिस प्रश्न को लेकर लड़कों में असंतोष पैदा हुआ है, जिस प्रश्न को लेकर उन्हें हड़ताल पर उतर आना पड़ा वह है कि इस सरकार के रवैये के कारण उन्हें एक महीने का भी अवसर नहीं मिला। दिसम्बर में 28 तारीख को परीक्षाएँ समाप्त हुईं, और दो या तीन तारीख तक उनके पास परिणाम घरों पर पहुंचे, और सरकार ने फिर 20 जनवरी को घोषित कर दिया कि परीक्षा होगी, यानि लड़कों के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट और सैकिंड अटेम्प्ट का अर्थ नहीं रह गया और सप्लीमेन्ट्री में बैठने वाले लड़कों को केवल बीस दिन का तैयारी का मौका मिला, जबकि पहले छः सप्ताह का समय मिलता था। स्वयं यूनिवर्सिटी का रूल यह है कि लड़के को सप्लीमेन्ट्री एक्जामिनेशन के लिए छः वीक का अवसर मिलना चाहिये, 42 दिन का अवसर मिलना चाहिये ताकि 42 दिन की तैयारी करके वह परीक्षा में बैठ सके। अब आप बीस दिन में उनको परीक्षा में बैठाना चाहते थे तो कैसे आशा करते हैं कि जो लडके दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, वह बीस दिन में तैयारी करके उन दो सब्जेक्ट में पास हो जायेंगे ? दूसरा मेरा निवेदन है कि जो अटेम्प्ट हैं, वह तीन अटेम्प्ट हों, और तीन अटेम्प्ट को ही बरकरार रखा जाना चाहिए, तीन अटेम्प्ट में अधिक से अधिक लड़के पास हो सकते हैं और उनका एक साल खराब नहीं हो पायगा। केवल एक अटेम्प्ट

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
में कुछ लास नहीं होता है, दूसरे अटेम्प्ट छः माह का लास होता है। अब नई व्यवस्था के अनुसार इन बच्चों को पूरे एक साल का लास हो रहा है, इसलिए तीन अटेम्प्ट को बने रहने देना चाहिए। दूसरे अबके दूसरे अटेम्प्ट के अन्दर जिन लड़कों को रूल्स के अनुसार 42 दिन का अवसर तैयारी के लिए मिलना चाहिए, वह परीक्षा के लिए 42 दिन का न मिल कर बीस दिन का अवसर दिया गया है, वह गलत था। तीसरे जो रिजल्ट बताये हैं, और आंकडे बता कर यह बताने का प्रयास किया कि परीक्षा परिणाम ठीक रहे। मैं, अध्यक्ष महोदय, नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि आप दुबारा इसकी जांच करें। जो सूचना आपको दी गई है वह गलत आंकडों के आधार पर है। यह तथ्य बताये हैं, जितने फिगर्स बताये गये हैं, यह फिगर्स उन बच्चों के हैं, जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल थे। दिसम्बर में केवल एक सब्जेक्ट में फेल थे और जो जब बीस दिन के बाद परीक्षा जनवरी में हुई उसमें बैठे। लगभग दो सौ लड़के, तीन सौ लड़कों में से इस प्रकार के हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल थे और आजकल मेडिकल कॉलेज एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले लड़कों को पहले अटेम्प्ट में आसानी से पास कर देता है। मैं जानकारी चाहूंगा कि जो आंकड़े दिये हैं, जो दूसरे अटेम्प्ट की जनवरी में परीक्षा हुई उसमें लड़के पास हुए हैं, और उसमें जो पर्सेन्टेज बताया है उसमें यह बतायें कि इसमें कितने लड़के ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल थे? जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले लड़के पास हुए हैं अध्यक्ष महोदय, वह एक दो विद्यार्थी से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इस प्रकार 75 विद्यार्थी फेल हुए सरकार की नीति के कारण, क्योंकि सरकार ने नीति में गलत परिवर्तन किया, यह बच्चे जानते तक नहीं थे कि तीन अटेम्प्ट की जगह दो अटेम्प्ट किये हैं, और उसमें भी जो तीन महीने का गेप मिलना चाहिए था, वह गेप न देकर केवल बीस दिन में यह कोशिश की है कि वह बच्चे परीक्षा में बैठ जायं। इसलिए यह सारा परिणाम हुआ। यह मैंने आपको फर्स्ट एम०बी०बी०एस० के बारे में निवेदन किया।

सैकिंड एम०बी०बी०एस०के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो वक्तव्य दिया कि बच्चों को कोई भ्रान्ति नहीं कराई गई–यह सरासर गलत है। मैं कुछ नोटिफिकेशन्स के, जो स्वयं यूनिवर्सिटी ने जारी किये हैं, नम्बर बताना चाहूंगा। यह सैकिंड एम०बी०, बी०एस० के लड़के हैं, इनके लिए, अध्यक्ष महोदय, तीन अटेम्प्ट बताये हुए हैं और आज भी सरकार तीन अटेम्प्ट देकर चल रही है। अप्रेल के अन्दर इन परीक्षाओं में से फर्स्ट अटेम्प्ट हटाया था, बच्चों को उसका कोई पता नहीं था, सैकिंड एम०बी०बी०, एस० वालों को कि वह सैकिंड अटेम्प्ट में परीक्षा दें। स्वयं यूनिवर्सिटी ने अपने नम्बर 173। पी०एफ०6-67-120 731 एफ० डेटेड 24-12-67 के द्वारा सारे मेडिकल कॉलेज के अन्दर यह सूचित किया कि वह परीक्षाओं में से जो अप्रेल के अन्दर पहला अटेम्प्ट हटाया है, सैकिंड एम०बी०बी० एस० वालों का, वह अप्रेल में न होकर जून में किया जायगा। और इस भ्रान्ति के शिकार केवल विद्यार्थी ही नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है। उन बच्चों के अलावा जो वहां का स्टाफ था, इसमें प्रोफेसर्स थे, उन्होंने अपने सब्जेक्ट का पाठन कार्यक्रम भी उसी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

प्रकार बनाया, उसका क्रम भी ऐसा रखा कि अप्रेल के बजाय जून तक जाकर वह कोर्सेज कम्प्लीट हों। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, इस भ्रान्ति के कारण कि परीक्षा जून में होंगी, अप्रेल में नहीं, स्वयं प्रोफेसर कोर्सेज को पूरा नहीं करा पाये, और जो उनकी ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में लगती है, हॉस्पीटल में लगती है वह इस प्रकार लगाई गई कि परीक्षा जून में होंगी। उसके बाद अचानक आपका ऑर्डर मार्च में जाता है कि परीक्षा जून में नहीं होंगी, बल्कि परीक्षा अप्रेल में होंगी। मैं आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न केवल अप्रेल का नहीं है, इस अप्रेल की परीक्षा के पहले इनके स्वयं के प्री-यूनीवर्सिटी एक्जामिनेशन होते हैं, प्री-यूनीवर्सिटी एक्जामिनेशन, और उसमें 25 पर्सेन्ट मार्क होते हैं, केवल दो सौ का पेपर होता है, उसमें से 50 नम्बर केवल प्री-यूनीवर्सिटी एक्जामिनेशन के होते हैं, और वह प्री-यूनीवर्सिटी एक्जामिनेशन केवल बीस दिन के बाद इसी मार्च में होने वाला है, फरवरी.....

श्री केदार नाथ : 11 मार्च।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह 11 मार्च को प्री-यूनीवर्सिटी एक्जामिनेशन होगा, जिसके अन्दर बच्चों को 25 पर्सेन्ट मार्क्स मिलते हैं, इतने मार्क्स इनको लाना जरूरी है, रिजल्ट बनाने के लिये जरूरी है। वह बच्चे बीस दिन की तैयारी के अन्दर प्री-यूनीवर्सिटी एक्जामिनेशन में कैसे बैठ पायेंगे? सरकार का यह घोषणा करना कि उसने इस परीक्षा को, जो अप्रेल में करने जा रहे हैं, ऑप्शनल बना दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके आधार पर आप बच्चों को क्या दे रहे हैं। सोच विचार कर आपने परीक्षा के लिए तीन अटेम्प्ट बनाये, अब यह ऑप्शन को मानते हैं तो इसका तात्पर्य हो गया कि बच्चे अप्रेल में बैठे हैं तो उनकी मर्जी से उनका तीन अटेम्प्ट का अधिकार है, वह वहां खत्म हो जाता है और बच्चों को केवल दो अटेम्प्ट मिलेंगे—एक तो परीक्षा में बैठे वह और एक फेल होने के बाद। अब केवल एक अटेम्प्ट मिल पायेगा, दूसरा नहीं मिल पायेगा। इसलिए आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों का प्रश्न है, चाहे वह फर्स्ट एम०बी० बी०एस० का हो, चाहे वह सैकिंड एम० बी० बी० एस० का हो, अगर इन प्रश्नों को लेकर उन्होंने हड़ताल की है—तो वह प्रश्न उनके बिलकुल जेनुआइन है, बिल्कुल वास्तविक है। कोई भी साधारण आदमी यह महसूस कर चल सकता है। तीन माह का इण्टरवल है, जहां होता था, एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में, वहां अब केवल बीस दिन का इण्टरवल देना चाहते हैं—यह सरासर गलत है। इस प्रकार जो समस्या एम० बी० बी० एस० बच्चों की है जिनकी स्वयं की कोई गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी ने गलती की है, उनको जो एक अटेम्प्ट से वंचित करना चाहते हैं, यह न्यायसंगत नहीं होगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि देश की परिस्थितियां खराब हो रही हैं। बच्चे अपने आने वाले भविष्य को देखकर आतंकित हैं। उनका भविष्य अनिश्चित है, दूसरे तत्व उनसे फायदा उठाते जा रहे हैं। बच्चे अपनी उचित मांग पर ह। इसलिये उनकी उचित मांग पर विचार करके उनको राहत दी जाये और जल्दी राहत दी जाये। कहीं ऐसा नहीं हो एक जिद् के कारण से, दूसरे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
कारणों से बच्चे किसी दूसरे शिकार में फंस कर कोई ऐसी स्थिति राजस्थान में पैदा न कर दें जिससे हम सबको प्रसन्नता न हो। इन शब्दों के साथ मैं पुनः मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उस पर वह गंभीरता से विचार करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने जो उत्तर दिया है, उसमें उस आधार पर अपने उत्तर में उन्होंने यह बताया है कि हमने इमर्जेंसी के कारण पहले सिस्टम में चेंज किया था और अब चूंकि इमर्जेंसी समाप्त हो गई, इसलिए वापिस वही सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना उनका सही नहीं है। इमर्जेंसी से पहले उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। इमर्जेंसी से पहले जो पांच साल का कोर्स था और इमर्जेंसी के पीरियड में साढ़े चार साल का कोर्स हुआ। अब भी इमर्जेंसी समाप्त होने के बावजूद आपने कोर्स वही साढ़े चार साल का रखा है और इसलिए उसके एक्जामिनेशन के जिस सिस्टम और पीरियड को रखा, उसका ब्रेक अप् जो तीन एक्जामिनेशन में आपने किया था, उसमें पांच साल का लागू नहीं हो सकता और वह जो साढ़े चार साल वाला आपने तीन एक्जामिनेशन रख कर किया और तीन तीन अटेम्प्ट देने की आपने व्यवस्था की थी, उसको जारी रखना चाहिए।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदया ने इस बात को जस्टीफाई करने की कोशिश की है अपने आंकड़ों के द्वारा कि यह समय अधिक देना—इससे कोई रिजल्ट पर असर नहीं पड़ा और उन्होंने बल्कि यह दलील देने की कोशिश की है, यदि वह जनवरी के बजाय अप्रेल में करते तो जो 244 छात्र जनवरी के अन्दर सफल हो गये—उनके साथ अन्याय होता। वह जबरदस्त किसी नुकसान के भागी होते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह बात सही नहीं है। नम्बर एक तो जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह जो रिजल्ट आपका 78 पर्सेंट जनवरी का दिखाया गया है उसम यह वास्तविकता है कि 300 विद्यार्थी हैं, एक्सीडेंट से इस साल के यह आंकड़े हैं, पिछले साल के आंकड़े आप देखेंगे तो वह बात आप को नहीं मिलेगी। अब की बार 309 विद्यार्थियों में से 200 या उससे भी कुछ ज्यादा केवल एक सब्जेक्ट में फेल थे और इसलिए एक सब्जेक्ट में फेल होने वालों में से 78 पर्सेंट यानी 244 विद्यार्थी पास हो गये। जो 75 स्टूडेंट्स फेल हुए जनवरी के अन्दर उनमें से दो या तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओरिजीनल एक्जामिनेशन, दिसम्बर के एक्जामिनेशन में केवल एक सब्जेक्ट में फेल थे। दिसम्बर में एक सब्जेक्ट में फेल थे और जनवरी में भी उसी सब्जेक्ट में फेल हो गये। इस तरह से इस 75 की लिस्ट में हैं वह सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दो सब्जेक्ट में फेल हुए थे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह इण्टरवीनिंग पीरियड 20 दिन का है, यह 42 डेज का हो—यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और विशेष तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो कि दो सब्जेक्ट में फेल थे। नेचुरली यह जस्ट भी नहीं होगा कि उनसे आप उम्मीद करें कि बीस दिन की तैयारी के बाद वह दोनों सब्जेक्ट में तैयारी कर लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

भी भारी असर पड़ता है कि जो स्टूडेंट इस अप्रेल के अन्दर एपीयर होते, उनको कोई भी लॉस नहीं होता। जैसे दिसम्बर में पास होने वाले हैं वैसे अप्रेल में पास होने वाले हैं। इसलिए मन्त्री महोदया का यह कहना कि 244 विद्यार्थियों, जिनको पहले अपार्चुनिटी दी गई, के साथ अन्याय होगा–यह दुरुस्त नहीं है क्योंकि उनको कोई पीरियड का लॉस नहीं होता। यदि अप्रेल में एक्जामिनेशन होते तो पीरियड का लॉस न होकर वह दिसम्बर वाले बैच के साथ चलते। लेकिन अब जो दो अटेम्प्ट आपने न करके केवल एक अटेम्प्ट किया है, उसका स्टूडेंट्स की लाइफ पर क्या असर पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, दोनों अटेम्प्ट करने पर 1965-66 के आंकड़े आप देखें तो उसके अन्दर दोनों अटेम्प्ट के बाद कुल स्टूडेंट्स जो अनुत्तीर्ण रहे, वह केवल एक पर्सेन्ट थे, 1966-67 के दोनों अटेम्प्ट के बाद और जून का अटेम्प्ट देने के बाद कुल स्टूडेंट, जिनके 6 महीने खराब हुए, वह 2.4 पर्सेन्ट थे। अब दिसम्बर के बाद जिस तरह से जनवरी में एक अटेम्प्ट देकर खत्म कर देते हैं, जैसा आपका कहना है कि 78 पर्सेन्ट रिजल्ट रहा है, उससे मैं कहता हूं कि 11.2 पर्सेन्ट लड़के ऐसे रह गये जो अनुत्तीर्ण हो गए और जिनको एक साल का लॉस होगा। तो नेचुरली यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह किसलिए इस प्रकार का किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों ने अपना साल, डेढ़ साल खत्म किया है, जिन विद्यार्थियों पर उनके मां बाप ने पैसा लगाया है और जिन विद्यार्थियों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो कम से कम यह तो गवर्नमेंट साफ तौर पर बतादे कि जिस तरह से इंजीनियर्स के बारे में आपका दृष्टिकोण है कि ज्यादा इंजीनियर की सीट रखने का नहीं है, आपका दृष्टिकोण उसके एडमिशन की संख्या घटाने का है, उसी तरह गवर्नमेंट इनको भी पीछे के तरीके से, या इन्डायरेक्ट तरीके से डिस्करेज करना चाहती है डॉक्टर नये पैदा करने के लिए इस स्टेज पर ऐसा सिस्टम करके ? फिर तो आप इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स दे देने वाले होंगे कि एक्जामिनेशन में पर्सेन्टेज ऑफ मार्क्स, या जो मार्किंग हो वह स्ट्रिक्टली होना चाहिए। अभी तक इतने पर्सेन्टेज लड़के होते थे। अब दो, पांच, दस पर्सेन्ट कम लड़के होने चाहिए। अगर आपका यह दृष्टिकोण है कि अब डॉक्टर्स ज्यादा पैदा न करें क्योंकि आप महसूस करते हैं कि इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पायेंगे, इसलिए उनकी संख्या को कम कर दिया जाये तो आप यह तरीका अपना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदया इस बात पर विचार करें कि आखिर यह दो अटेम्प्ट देने में क्या दिक्कत है ? और दिसम्बर के बाद जो अप्रेल और जून के अन्दर जो अटेम्प्ट देते थे, जारी रखते थे, यानि दिसम्बर के बैच में शामिल करके . . .

श्री कृष्णकुमार गोयल : दिसम्बर का अटेम्प्ट तो रेगुलर मान लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दिसम्बर का रेगुलर है, उसके अलावा दो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देते थे, इनको जारी रखना चाहिए। जहां तक जो स्टूडेंट 66 के अन्दर दाखिल हुए हैं जिन्होंने कि अभी एक्जामिनेशन दिया, उनसे तो लीगली भी बाउन्ड हैं क्योंकि यह स्लेबस में कहा है कि यह अपार्चुनिटी दगे। इसलिए ऐसा करना स्लेबस के खिलाफ है। और रूल्स के अन्दर जो सुविधा दे रहे हैं उसको

Page No. 60

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आप मिटा नहीं सकते। स्लेबस के अनुसार यूनिवर्सिटी को भी यह अधिकार नहीं है। जिस बेसिस पर उनको दाखिल किया है उसमें कहा है कि तीन अटेम्प्ट देंगे तो उसको आप कम नहीं कर सकते। फिर नैक्स्ट ईयर्स में बाद में आने वाले विद्यार्थी हैं, या मान लें जो इस साल दाखिल हुए हों, उनको भी यह सुविधा देनी चाहिए। आज ट्रेण्ड यह रहा है कि एक्जामिनेशन में फेल्योर ज्यादा नहीं किये जायें। इसलिए एक्जामिनेशन में पास होने वालों के समक्ष अड़चन ज्यादा पैदा मत करें। इसको एक हर्डल रेस बनाने की कोशिश मत करें। एक पीरियड में उनको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाय, उसके लिए अगर आप इन्तजाम कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा लाभप्रद होगा। दो अटेम्प्ट्स की बजाय तीन अटेम्प्ट्स का रखते तो समझ में आता, इस पर आप तुरन्त निर्णय लें ताकि स्टूडेन्ट्स अपनी क्लासेज में जायें और स्टडीज में लग जायें और डॉक्टर्स तैयार हो कर बाहर निकलें। डॉक्टर्स की आपके पास पहले से ही कमी है, गांवों में आज डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए आपको जल्दी से डॉक्टर्स को तैयार करना चाहिये था। पर ये जो 75 लड़के फेल हुए हैं वे एक साल तक केवल एक सब्जेक्ट के लिए बैठे रहेंगे, यह कहां तक उचित है? मैं समझता हूं यह धन का दुरुपयोग है, समय का दुरुपयोग है और उन नौजवानों की शक्ति का दुरुपयोग है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो निर्णय लिया है यूनिवर्सिटी ने वह दुरुस्त नहीं है, इस निर्णय को बदलना चाहिये ताकि स्टूडेन्ट्स में संतोष पैदा हो।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वास के साथ कि इस विषय को राज्य सरकार वाद विवाद का विषय नहीं बनाये कुछ निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा। आज जिन कॉम्प्लिकेटेड कन्डिशन्स में स्टूडेन्ट्स कोम्युनिटी स्टडी कर रही है, एज्यूकेशन कमीशन की रिपोर्ट है, उसका यह उद्देश्य है कि एग्जामिनेशन पैटर्न में सुधार किया जाय। आज एम० बी० बी० एस० डिग्री हासिल करने के लिये तीन इम्तिहान देने पड़ते हैं। फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० पास करने के बाद जो स्टूडेन्ट्स इसमें एड्मिशन लेते हैं उनका कुछ सब्जेक्ट्स में फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद तीन सब्जेक्ट्स का सेकिन्ड एग्जामिनेशन होता है और फिर थर्ड और फाइनल एग्जामिनेशन 5 सब्जेक्ट्स में होता है, इस तरह एम० बी० बी० एस० की डिग्री हासिल करने के लये तीन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन्स देने पड़ते हैं। स्टूडेन्ट्स को नई स्थिति में एडजस्ट होना पड़ता है इसलिये हमारी यूनिवर्सिटी ने तीन अटेम्प्ट्स दिये थे। इसका कारण यह था कि स्टूडेन्ट्स नये आते हैं और अपने आपको एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने में उनको सुविधा हो, इस तरीके से यूनिवर्सिटी ने व्यवस्था की थी। अब तीन की जगह दो अटेम्प्ट्स रखे हैं, वह भी ताज्जुब की बात है कि 20 दिन में रखे हैं। आप इसका अन्दाज लगाइये क्या 20 दिन में स्टूडेन्ट्स तैयारी कर सकते हैं? 20 दिन में किसी सब्जेक्ट के लिये तैयारी करना इम्पोसिबल है। कोई भी सिस्टम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उस एक सब्जेक्ट के लिये वह एक साल तक वेट करे, क्योंकि

(श्री केदारनाथ)
यह सारा क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम होगा।

पंजाब में यह है कि यदि कोई स्टूडेन्ट एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। आप ऐसी कन्डिशन्स रखिये कि जब तक वह उस सब्जेक्ट को पास नहीं कर लेता है, तब तक उसे नेक्स्ट क्लास में नहीं जाने देंगे ....

एक माननीय सदस्य : यहां भी इस प्रकार की व्यवस्था थी।

श्री केदारनाथ : हमारी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का सिस्टम है तो फिर क्यों इस सिस्टम को डिस्कन्टिन्यू कर रहे हैं? इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मसले पर आप बडे गौर से ओपन माइन्ड रख कर निर्णय कीजिये, स्टूडेन्ट्स को बुलाइये, प्रिन्सिपल्स को बुलाइये और स्टूडेन्ट्स के रिप्रेजेन्टेटिव्स से बात करके इस पर निर्णय लीजिये। यह नहीं कि यहां पर स्टेटमेंट दे दें और इस मसले को क्लोज कर दें।

सकिन्ड ईयर एग्जामिनेशन्स के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक नोटिस यूनिवर्सिटी से दिया गया कि 23 को एग्जामिनेशन होगा, इसके लिये तयार हो जाओ, स्टूडेन्ट्स ने इसके लिये तैयारी करली और फिर अचानक डेट बदल दी और स्टूडेन्ट्स को कहा कि 11 मार्च को प्री-यूनिवर्सिटी और फिर फाइनल के लिये तैयार हो जाओ, तो यह उचित नहीं है, फैकल्टी ने फैसला किया और सिन्डिकेट ने उसे पास कर दिया, यह उचित नहीं है। मैं प्रिन्सिपल की बात कह रहा हू। प्रिन्सिपल तो यह है कि कोर्सज ओवरलोडेड नहीं हों, स्टूडेन्ट्स में ट्रू टेस्ट बढ़े, सरलता से वे पास कर सकें, स्टूडेन्ट्स समय का फायदा उठायें, यह मेन प्रिन्सिपल है। स्टूडेन्ट्स को उचित मौका दिया जाय ताकि वे अपने आपको उसके लिये प्रिपेअर कर लें। पर ऐसा नहीं करके बार बार इस प्रकार चेन्ज करना किसी तरह ठीक नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं, राज्य सरकार मेरी बात पर गौर करेगी और इसे मान कर स्टूडेन्ट्स से बात करके इस सम्बन्ध में शीघ्र ही उचित निर्णय लेगी।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री दुर्गालाल बादवार : बहुत संक्षेप में कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हू कि शिक्षा का सम्बन्ध मानव जीवन के विकास से है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को उदार नीति अपना कर चलना चाहिये। आंकड़े पेश कर दिये गये, राज्य सरकार द्वारा कहा जाता है कि आपत्कालीन स्थिति के कारण थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ा, वह स्थिति अब समाप्त हो रही है और वह दूसरी चीज लाना चाहती है। पर इसके प्रेक्टिकल दृष्टिकोण पर यदि राज्य सरकार विचार नहीं करेगी कि प्रेक्टिकली क्या

Page No. 62

(श्री दुर्गालाल बाद्दार)

होना चाहिये ? तो मेरी समझ में यह उचित नहीं होगा । आज विद्यार्थियों की वाजिब मांग सामने आ रही है, इससे केवल विद्यार्थी ही प्रभावित नहीं होते, इससे विद्यार्थियों के अभिभावक प्रभावित होते हैं और अभिभावकों के साथ साथ समाज, देश और हमारा सारा राज्य प्रभावित होता है । यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है तो राज्य सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना कर विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को अपने कोन्फिडेन्स में ले कर विचार विनिमय करना चाहिये और उसके बाद ओपन माइन्ड से कोई उचित निर्णय लेना चाहिये, जिससे कि विद्यार्थियों को कठिनाई न आये ।

मैं आशा करता हूं कि हमारे यहां के शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण अपनायेंगे और इसे अपनी प्रेस्टिज का प्रश्न नहीं बनायेंगे ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं । फर्स्ट और सेकिन्ड एम० बी० बी० एस० के स्टूडेन्ट्स की हड़ताल चल रही है । मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि फर्स्ट एम० बी० बी० एस० की क्लासेज के लिये ऑल इन्डिया पॉलिसी क्या है, इस सम्बन्ध में आपको विचार करना चाहिये । यदि आप तीन अटेम्प्ट्स की बजाय दो ही अटेम्प्ट्स रखना चाहते हैं तो आपको इस बात का खयाल रखना चाहिये कि उनका एक साल खराब नहीं हो, केवल 6 महीने ही खराब हों । आप इनको तीन अटेम्प्ट का मौका दें तो बहुत अच्छा है, पर यदि आप किसी तरह तीन अटेम्प्ट्स की बजाय दो ही अटेम्प्ट्स का मौका देना चाहते हैं तो आप इस बात का खयाल रखें कि उनका एक साल न बिगड़ कर 6 महीने ही बिगड़ें ।

सैकिन्ड एम० बी० बी० एस० के लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनके लिये जो पहले से व्यवस्था है वही चालू रखें ताकि स्टूडेन्ट्स में जो असंतोष है, वह दूर हो, वे अपनी क्लासेज में जायें और अपनी स्टडी में लग जायें और आज जो हमारे प्रान्त में डॉक्टरों की कमी है, उसकी पूर्ति हो सके ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक मिनट के लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है और वह यह है कि दुर्भाग्य से राजस्थान में इन्जीनियरिंग कॉलेजेज में तो हड़ताल हो ही रही है, पोलीटेक्निक्स की भी वही हालत है और अब मेडिकल कालेजेज में भी वही स्थिति पैदा हो रही है । मैं उसके लिये आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से और स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थगन-प्रस्ताव पर उन्हें जो कहना था, वह उन्होंने कह दिया पर इस सारे प्रश्न पर वे गम्भीरता से विचार करें और कोई रास्ता, कोई इस समस्या का हल निकल सके, वह निकालें और, अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
विद्यार्थियों के सम्बन्ध में आपका अनुभव काफी है, आप अपने गुड ऑफिसेज को यूज करके इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, जिसको निकालना हम भी चाहते हैं, सदन का कोई माननीय सदस्य नहीं चाहता कि इस समस्या का हल न निकाला जाय ।

आज इन्जीनियरिंग कॉलेजेज के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं, पोलीटैक्निक के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं और एम० बी० बी० एस० के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं, तीनों कॉलेजेज के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं, आज कोई यह नहीं चाहता कि आर० ए० सी० बुलाई जाय और कटुता फैले। इसलिये इसका कोई ऐसा हल, विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, नियमों के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के परामर्श से राज्य सरकार निकाल सके, तो बहुत अच्छा होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न बाकी सब प्रश्नों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले पर सिर्फ वक्तव्य देना 'हां' और 'ना' का यह प्रश्न नहीं हैं। इस मसले को 'हां' या 'ना' से तय नहीं करना चाहिए। इस मसले पर देश की भावी पीढ़ी का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि हम यहां पर कोई 'हां' या 'ना' से तय करें, जो भी उनको समय सुविधाजनक हो, आज जिस समय चाहें, विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन चलता रहेगा, हम 15 मिनट के लिए अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में बैठ जायं और जो उनकी दिक्कतें हैं उनको भी वह हमारे सामने रखें, हमें जो सुझाव देने होंगे वे देंगे और भी कोई सर्वसम्मत हल निकल सकता है जिससे विद्यार्थियों पर कुठाराघात न हो और राज्य सरकार की क्या कठिनाइयां हैं, उन पर भी विचार हो। इसको बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेंगे, विद्यार्थी हमारे बच्चे हैं, वे हड़ताल पर जायें इस बात को कोई पसंद नहीं करेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इसलिए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो भावनायें प्रकट की हैं और भी माननीय सदस्य इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैं भी कहना चाहता था, लेकिन मैं कुछ न कहकर यही निवेदन करता हूं कि कोई समय निकालकर चेम्बर में बैठकर, प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करें—राज्य सरकार की नीति की घोषणा करनी है, विद्यार्थियों से मिलना है या और कुछ करना है, सदन के उठने तक कोई सुझाव हो, तो सरकार के पास आ जाने चाहिए ताकि आज शाम या कल सुबह तक कोई इसका हल निकाला जा सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदया को ध्यानपूर्वक सुना और जो माननीय सदस्य श्री गोयल कोटा से आए हैं, उनके कथन को भी सुना। मेरा तो सूक्ष्म रूप से यही निवेदन है कि अब तो इमर्जेन्सी नहीं है, चाहे इमर्जेन्सी हो या नहीं, इससे

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

मुझे कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर विद्यार्थियों में असंतोष होता है तो सरकार को इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक विद्यार्थियों को बुलाकर उनको कान्फीडेन्स में लेकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, वह एक कठिन समस्या है। उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उनके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। मेरे ख्याल से क्वालिटी पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए किन्तु जैसा नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा एक तो गैप्स की व्यवस्था का प्रश्न है, मैं इस बात का समर्थन करने में विवश हूं कि तीन शार्ट्स दिए जायें, तीन अटेम्पट्स दिए जायं। मेरे ख्याल से तीन अटेम्पट्स का कोई अर्थ नहीं है। दो अटेम्पटस हों लेकिन उन गैप्स की व्यवस्था आप इस तरह से करें, विद्यार्थियों को कॉन्फीडेन्स में लें, उनको समझायें कि क्वालिटी का प्रश्न है, तीन अटेम्पट्स का अर्थ नहीं है। हम दो अटेम्पट्स दें किन्तु जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह यह कि विद्यार्थी जो एक साल का समय खोते हैं, उन गैप्स की इस तरह से व्यवस्था करें कि 6 महीने ही खो पायें। उसके पश्चात उसको मौका दिया जाय। अगर वह सफल नहीं होते हैं, तो वह ऊपर आ सकें।

मेरे ख्याल से सरकार को भी डाक्टरों की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए भी मैं समझता हूं कि मेरा सुझाव कुछ हद तक सरकार के लिए हितकर हो सकता है, जनता के लिए भी हितकर हो सकता है और 6 महीने का नुकसान अगर एक विद्यार्थी को होता है तो मेरे ख्याल से पेनलाइजिंग बेसिस पर उसको इबरत के रूप में भी काफी है। जो दूसरे एम० बी० बी० एस० की व्यवस्था है, उसमें मुझे विशेष नहीं कहना है, सरकार जो भी हल निकाले वह इसको देखे।

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष मोहदय, वास्तविक स्थिति जो सप्लीमेंटरी परीक्षाओं की थी, उससे मैंने सदन को अवगत करा दिया। इस मामले को प्रतिष्ठा का सवाल बनाने का सवाल पैदा नहीं होता, विश्वविद्यालय की एकेडेमिक काउंसिल ने सब बातों को सोच विचारने के बाद अपना निर्णय लिया और उसी के आधार पर सदन को स्थिति से अवगत करा दिया। जयपुर और कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि इम्तिहान के अंदर दरम्यान में गैप होना चाहिए, तीन अटेम्पट्स देने चाहिए। यह मसला ऐसा है कि जिस पर एकेडेमिक काउंसिल में जिसमें सारे प्रिन्सिपल्स होते हैं, और दूसरे लोग भी होते हैं प्रोफेसर्स वगैरह, सबने विचार करके इसका निर्णय लिया है। इमर्जेन्सी के समय क्वालिटी का ख्याल न रखकर ज्यादा डाक्टर्स मिल सकें, इसलिए प्रोविजन बनाया गया था कि एक अटेम्पट और देकर कुछ पीरियड रिड्यूस करके इन्टर्नशिप का पीरियड बढ़ाया गया। मैं मानता हूं कि जहां तक विद्यार्थियों का संबंध है अगर आपसी बातचीत से हल निकाला जाय जिससे क्वालिटी में कोई फर्क न पड़े और विद्यार्थियों को नुकसान

(श्री दामोदरलाल व्यास)
न पहुंचें और आपस में हल निकलता हो तो कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चाहे सदन के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करके विद्यार्थियों से बातचीत करके, मैं भी आपके पास उपस्थित रहूंगा, उनके दृष्टिकोण को समझने में मुझे एतराज नहीं है और उस पर अगर कोई सही राय कायम हो तो उसके अनुसार हम विश्वविद्यालय को सलाह दे सकते हैं कि वे उस पर अमल करें, हालांकि अल्टीमेटली ऐकेडेमिक काउंसिल को ही इस मामले को तय करना है। अगर इस तरह की बात हो सकती है जहां विश्वविद्यालय और एकेडेमिक काउंसिल का दृष्टिकोण भी सामने आ जाय और यदि सदन के माननीय सदस्य उसको सही समझेंगे तो उस पर सलाह देंगे। आज तो शायद मुश्किल होगा जो भी समय निर्धारित करें, बातचीत की जायगी। उसमें अलबत्ता मुझे एक दो प्रिन्सिपल्स, जो एकेडेमिक काउंसिल के सदस्य हैं, को भी शरीक करना पड़ेगा ताकि विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण को भी समझा जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मंत्री महोदय के घर पर किया जाय ताकि जलपान की भी व्यवस्था हो जाय।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष नहीं आ सकेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास: यह मसला बहुत गंभीर है, विद्यार्थी मुझसे पहले भी मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि इस समय मेरे पास टाइम शोर्ट है, बाद में मिलें। उसके बाद वे नहीं आए और एकाएक हड़ताल पर चले गए। मेरा माननीय सदस्यों से यही निवेदन है कि वे उनकी बात को सुनें लेकिन इरादतन उनको तरजीह नहीं मिलनी चाहिए कि वे इस तरह हड़ताल का हथियार काम में लें, यह मेरा आप सबसे निवेदन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: न हमने लड़कों को प्रवोक दिया है न विचार है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: फैकल्टी की मीटिंग 9 तारीख को है, निर्णय उनको करना है, सुझाव हम दे सकते हैं। इसलिए जो मीटिंग अध्यक्ष मोहदय के साथ होनी है, वह जल्दी से जल्दी की जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: आज नहीं कल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: 5 कालेजेज हैं . . .

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्यों की भावना को समझा गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी माननीय सदस्यों की भावना को समझा है। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों से बात करके, माननीय मंत्री जी से बात करके कि कब की जाय, किन किन को आमंत्रित किया जाय, इस पर आज ही विचार कर लिया जायगा ताकि आज या कल मीटिंग कर ली जाय। यह आवश्यक नहीं कि उस मीटिंग में अध्यक्ष रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वह बहुत आवश्यक है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अलवर शहर में 4 गुण्डों के आतंक के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह चाहूंगा कि और स्थगन-प्रस्तावों के लिये कम से कम समय लें, क्योंकि जो दूसरा प्रस्ताव आ रहा है विजिलेन्स कमीशन का, वह ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है।

अलवर शहर के रसिक बिहारी मार्केट में दो व्यापारियों की गुण्डों द्वारा पिटाई सम्बन्धी उप-मंत्री गृह, का वक्तव्य

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामानंद जी अग्रवाल ने दिनांक 23-2-68 को रसिक बिहारी मार्केट, मालनों की गली, अलवर में 4 गुण्डों द्वारा दो दुकानदारों की मारपीट करने के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया ह। इस विषय में जानकारी प्राप्त की गई है तो यह पाया जाता है कि दिनांक 23-2-68 को श्री राधेश्याम खन्डेलवाल व गुणदयाल मल व कुछ अन्य रसिक बिहरी मार्केट के कपड़ा व्यापारियों द्वारा एक दरख्वास्त थाना कोतवाली अलवर पर दी गई थी। उक्त दो व्यापारियों की 4 व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई क्योंकि उनके चाहे अनुसार उन्हें 7 रु० उधार देने के लिये श्री राधेश्याम ने और पैन्ट-बुशर्ट के लिये उधार कपड़ा देने के लिये गुणदयाल ने इन्कार कर दिया था। कोतवाली में जिस समय इत्तीला दी गई, उस समय अतिरिक्त पलिस अधीक्षक, अलवर वहां मौजूद थे और तुरन्त ही शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु ह० द० 107 कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी व एक सब-इन्सपेक्टर को उक्त कपड़ा मार्केट में भी उचित प्रवन्ध करने हेतु तैनात कर दिया था। इस शिकायत के आधार पर ही एक केस न० 62, दिनांक 24-2-68 ह० द० 379 ताजीरात हिन्द कमल चन्द के खिलाफ दर्ज होकर तफतीश प्रारम्भ की गई जो चल रही है। इस केस के बाबत यह उल्लेखनीय है कि श्री कमल चन्द रूड़ामल नामक कपड़ा व्यापारी की दुकान पर नौकर है और सौभागमल की दुकान से वह कपड़ा उसके मालिक के आदेशानुसार उठा कर ले गया था क्योंकि सौभागमल ने जो रूड़ामल के यहां से कपड़ा लाकर वेचते थे इकरार के अनुसार कोई रकम अदा नहीं की थी। यह पाया जाता है कि जिन 4 गुण्डों का उल्लेख स्थगन प्रस्ताव में किया गया है, उसमें एक कमल चन्द तो रुड़ामल का ही नौकर है और बाकी 3 को भी इन्हीं कपड़ा व्यापारियों द्वारा समय समय पर पैसा या टिप दी जाती है और कपड़ा बाजार के दुकानदारों व इन व्यक्तियों के बीच काफी समय से इस प्रकार लेनदेन के संबंध चले आ रहे हैं। पुलिस को इस घटना के पहले तक किसी प्रकार की शिकायत इस बाजार में गुण्डागर्दी आदि की नहीं की गई थी। सम्बन्धित मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिये पुलिस तत्पर है किन्तु मुलजिमान घटना के तुरन्त बाद से लापता है और उन्हें तलाश करने के लिये उचित पुलिस प्रवन्ध किया जा चुका है। दिनांक 23-2-68 के बाद पुलिस

(श्री खेतसिंह)

कार्यवाही से सन्तुष्ट होकर उक्त बाजार जो बन्द था, खुल चुका है। दुकानदारों में आतंक छाया होने की बात निराधार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस पर वक्तव्य दिया है इसमें दो तीन बातें ऐसी गंभीर हैं जिसमें पुलिस के द्वारा गंभीर मामलों में सही समय पर हस्तक्षेप न करना है जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जो भी लोग इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, उसमें स्थानीय पुलिस के लोगों का हाथ रहा है। यह जाहिर है, अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को यह घटना होती है। बाजार बन्द करके सारे व्यापारी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उस समय भी थाने में कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। 4-4 गुण्डे शहर में मौजूद थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को वे लोग कलेक्टर से मिले। कलेक्टर साहब ने भी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। घर पर वे लोग गये तो कलेक्टर साहब ने यह कहा कि कचहरी में आ जाना। मैं समझता हूं कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब इस तरह की घटना हो जाय, वहां मौके पर जाना चाहिए। उन लोगों को तसल्ली देनी चाहिए, बाजार वगैरह खुलवाना चाहिए थे—इस प्रकार का आश्वासन देना चाहिए था। न वहां पर कोई एस० पी० मौजूद थे और न कलेक्टर ने ही कोई आश्वासन दिया, 25 तारीख को अध्यक्ष महोदय, उन्होंने दुबारा बाजार खोलने की कोशिश की। दो चार गुण्डे वहां मौजूद थे। एक आदमी उनमें से आता है और वह गाली देता है और इस तरह से कहता है कि अगर कुछ कहा तो जान से मार देंगे। जब पुलिस को उसको पकड़ने के लिये कहा गया तो पुलिस वालों ने जवाब दिया कि इसको पकड़ने का हमको अधिकार नहीं है। आप रिपोर्ट पुलिस में जाकर दर्ज कराओ और वहां से हमें हुक्म मिलेगा तो गिरफ्तार करेंगे वरना नहीं कर सकते हैं। तब फिर 25 तारीख को उनको चिट्ठी दी। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि कोतवाल हमारा क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा ट्रान्सफर कर देगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बावजूद इस प्रकार की घटना हो, ऐसे आदमी को वहां डेप्यूट न करें। ऐसे सिपाहियों को रखने से फायदा क्या ? चौथी बात, अध्यक्ष महोदय, जिस एक आदमी का पता लगा, जो वहां छिपा हुआ था, उसका पता बताया, तो जवाब मिला कि आप पकड़ कर ले आओ, हम उसको बन्द कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अगर वे ही पकड़ कर ला सकते थे तो फिर उनको कहने की क्या जरूरत थी और उनका इस प्रकार का जवाब तानाशाहीपूर्ण है। जब कोतवाल को कहा गया कि उसको पकड़ कर लाया जाय तो कोतवाल ने कहा कि मैं अन्दर जाता हूं, आप लोग अन्दर न आयें नहीं तो वह पकड़ में नहीं आयगा। कोतवाल अन्दर गया और आकर कह दिया कि अन्दर तो नहीं है। अब, अध्यक्ष महोदय, कौन जाने कि वह था या नहीं वहां पर, लेकिन कोतवाल ने जवाब दे दिया कि नहीं है। वह कोतवाल उनसे मिला हुआ है क्योंकि उनके पैसे उससे बन्धे हुए हैं। सिनेमा के टिकट का ब्लेक मार्केट होता है उसमें उनका पैसा आधा बन्धा हुआ है। इस तरह उनको वे

Page No. 68

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पनाह देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस तरह की जो कार्यवाही करने वाले हैं–ट्रेस पासर्स, हैं 16, 17, 18 लोग हैं। उनके मां-बाप भी परेशान हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लड़के बिगड़े हुए हैं। सिनेमा में जाकर टिकटों का ब्लेक मार्केट करते है। इनमें कई पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई मैट्रिक है, कोई इन्टर है इस तरह से .....

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री, गृह) : वे आपकी पार्टी के मेम्बर हो गये हैं या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं उसमें दो कांग्रेसियों के बेटे हैं। और जानना चाहते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : अब नहीं जानना चाहते हैं आपसे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की घटना हो, सारे बाजार के लोग रिपोर्ट करें, तो उसको अरेस्ट करें अभी भी क्योंकि वे उसी मोहल्ले में रहते हैं। महिलायें जब बाजार में सामान खरीदने जाती हैं तो उनके साथ वे दुर्व्यवहार करते हैं। दो–दो दिन तक बाजार को बन्द रखा, वे समझते थे कि ये गुण्डे हैं इनसे कौन लड़ाई मोल ले। सब लोग दो दो रुपये देते थे। अब दो रुपये नहीं देना चाहते हैं तो उनसे उन्होंने अपनी दौड़-बाजी शुरू कर दी। इसका नतीजा और भी भयंकर हो सकता है। इस प्रकार की घटना आज वहां हुई है, कल दूसरी जगह हो सकती है। बाजार में शराब पीकर खुले आम लोगों को थ्रेटनिंग देते हैं। मैं समझता हूं जहां पुलिस न हो, वहां तो ऐसा करें तो समझ में आ सकता है और वहां कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है लेकिन अलवर जैसे शहर में, जहां पुलिस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब हम आन्दोलन करते हैं तो हमें पुलिस ही पुलिस नजर आती है और जब गुण्डे करते हैं तो पुलिस गायब हो जाती है। आपकी पुलिस गुण्डों से मिली हुई है, चोरियां होती हैं, सरे आम कत्ल होते हैं, वे कभी नहीं पकड़े जाते हैं और जो शान्ति से आन्दोलन करें उनको आपकी पुलिस पकड़ती है।

श्री खेतसिंह : यह स्थगन–प्रस्ताव है या क्या ? यह तो एक जनरल डिस्कशन हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट दी है कोतवाल को उसमें उन्होंने लाएत-लाली क्यों की है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इतनी साधारण और छोटी सी घटना को माननीय सदस्य ने इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके सामने कत्ल भी छोटी सी ही घटना है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। दो तीन लड़कों ने वहां कुछ दुकानदारों के साथ कहा सुनी की जिसमें किसी के चोट नहीं लगी, कोई मरा नहीं, जिसको बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, जुएबाजी होगई, बदमाशी हो गई। जिस वक्त यह वारदात हुई पुलिस ने फौरन

(श्री दामोदरलाल व्यास)
केस रजिस्टर कर दिया । लड़के उसी रोज से गायब हैं, माननीय सदस्य को जानकारी हो तो बतला दें . . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके पुलिस वाले क्यों बैठे हैं ? आपको यह कहने के बजाय इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह कह रहा था हमारी कोशिशों के बावजूद भी वे लड़के पकड़ में नहीं आये, अतः आपकी जानकारी में हों, तो बता दें ताकि हम पकड़ सकें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This reply is mischievious. आप कहते हैं पुलिस को पता नहीं है । आपका यह जवाब मिसचीफ मोंगर के सिवाय कुछ नहीं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य बहुत छोटे छोटे मामलों को लेकर स्थगन-प्रस्ताव दे देते हैं, माइनर इन्सीडेन्ट्स को लेकर स्थगन-प्रस्ताव दे देते हैं, जिसमें कुछ सार नहीं होता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो चेयर पर एसपरसन है । आपके यहां रोजाना कत्ल हों तो भी यह आपके लिये मामूली ही बात है ।

कस्बा नौहर में 26-2-68 को एक सिन्धी युवक की हत्या संबंधी उप-मंत्री, गृह का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : आर्डर । श्री रामचन्द्र आर्य नौहर में गुण्डागर्दी के संबंध में ।

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री, गृह) : श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा दिनांक 26-2-68 को रात के लगभग 8 बजे कस्बा नौहर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक सिन्धी युवक को जलाकर मार देने का उल्लेख करते हुए पुलिस कार्यवाही में ढिलाई आदि बताते हुए यह स्थगन-प्रस्ताव पेश किया गया था ।

इस मामले में प्राप्त सूचना के आधार पर यह पाया जाता है कि दिनांक 26-2-68 की रात को लगभग 9-9-30 बजे नौहर में हुक्माराम के मकान के सामने आयुतराम सिन्धी नामक व्यक्ति के जलने का हल्ला गुल्ला सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और उसे अस्पताल पहुंचाया गया । अस्पताल में लगभग 9-45 बजे आयुतराम के पहुंचते ही डॉक्टर द्वारा उसकी मरहम पट्टी प्रारम्भ की गई । डॉक्टर ने तुरन्त ही घटना की सूचना थाने पर भेजी और मरीज की हालत गम्भीर होने से डाइंग डिक्लेरेशन का प्रबन्ध करने हेतु लिखा । मरहम पट्टी समाप्त होते होते ही उसकी मृत्यु हो गई व पुलिस मृत्यु के बाद पहुंच सकी । हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने ही अन्य 6 व्यक्तियों की मौजूदगी में आयुतराम से पूछताछ कर उसका बयान लिया था जिसमें उसने बताया था कि वह उस रात हुक्माराम की बेवा के मकान पर गया था तब किसी ने उस पर कपड़ा डालकर आग लगा दी । वह चिल्लाया पर कोई नहीं आया । कुछ देर बाद इन्दरचन्द व दो तीन व्यक्ति आये । उसने पानी मांगा लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया ।

डॉक्टर द्वारा भेजी गई सूचना थाने पर पहुंचते ही थानेदार अस्पताल के लिए रवाना हुए । वहां से लगभग 1 बजे लौटकर डाइंग

(श्री खेतसिंह)

डिक्लेरेशन के आधार पर क केस हृ० द० 302 ता० हि० दर्ज किया ा और तफतीश प्रारम्भ की गई । अगले न सुबह मौका देखा गया तो मौके से एक जूता, मिट्टी के तेल की एक बोतल जो ली थी वह कब्जे पुलिस ली गई । मौके एक दियासलाई की डिब्बी व कुछ सला भी मिली थीं । सवेरे लाश का पोस्ट में म किया गया था जिससे मृत्यु जलने से होना पाई गई । मुकद्दमे की तफतीश शीघ्र प्रारम्भ की गई है और अब तक 10-12 गवाहान के बयान हो चुके हैं किन्तु किसी स्पष्ट नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच सकी है । इस केस में अभी तफतीश जारी है । किसी असरदार व्यक्ति का हाथ होने या उसके कारण तफतीश पर कोई प्रभाव होना नहीं पाया जाता । पुलिस द्वारा सूचना मिलते ही कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी । डॉक्टर द्वारा भी मरीज के अस्पताल पहुंचते ही उसकी देखभाल व मरहम पट्टी करने में कोई देरी करना नहीं पाया जाता । यह घटना खेदजनक अवश्य है, किन्तु उस कस्बे में सनसनी फैलना या जान माल की असुरक्षा होने की बात निराधार है ।

इस केस की तफतीश शीघ्र समाप्त हो व उस पर किसी प्रकार का दबाव न हो सके, इस उद्देश्य से यह मामला सी० आई० डी० के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सुपुर्द किया जा रहा है ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य अभी दिया गया उसमें यह कहा गया कि यह घटना करीब 9-30 बजे की है यह गलत है, यह घटना 8 बजे हुई है । उस गली के अन्दर चार आदमियों ने उसको पकड़ा और उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाया, जलाने के बाद उस गली के आसपास के लोगों ने उसको अस्पताल ले जाना उचित समझा और उसको ले गये । वह दो घंटे तक वहां पड़ा रहा । वहां का डॉक्टर नामी है, हरियाना में एक थानेदार के लड़के ने कत्ल की थी उसका नाजायज तौर पर उसने अस्पताल में दाखिला किया था । डॉक्टर ने बड़ी भारी रिश्वत लेकर उसको बचाया । वह रजिस्टर हरियाना प्रान्त की अदालत में है । उसी डॉक्टर ने इस मामले को भी जान बूझकर दबाया है । उसकी पुलिस को इत्तला न कर दो घंटे तक वह युवक पड़ा रहा जिससे उसकी मृत्यु होगई । इतनी दर्दनाक घटना के बाद भी पुलिस उस कातिल का पता नहीं लगा सकी । वहां के काफी आदमी ऐसे हैं जो इस मामले को दबाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस भी इस केस में हिचकिचा रही है । 24 घंटे तक उसकी जांच करने के लिये कोई स्थानीय अधिकारी वहां मौके पर नहीं गया । इससे बढ़कर और क्या गुण्डागर्दी हो सकती है । इस प्रकार की दर्दनाक घटनायें होती रहें और अभी तक किसी आदमी को पकड़ा नहीं जा सके, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है । सरकार को चाहिये कि इस संबंध में विशेष अधिकारी द्वारा जांच करवाकर इस प्रकार के कार्य करने वाले को पकड़े अन्यथा इस प्रकार के काण्ड आये दिन बढ़ते ही जायेंगे । मैंने इससे पहले भी होम मिनिस्टर साहब को दो तीन चिट्ठियां लिखी हैं उसमें मैंने जानकारी दी है कि यहां पर गुण्डागर्दी बढ़ रही है इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय नहीं तो न मालूम यह बदमाशी कहां तक बढ़ जाय ?

इस मामले के बारे में कहा गया है कि

(श्री राम चन्द्र आर्य)

वह एक बेवा के घर में गया वहां पर इस जवान सिन्धी को तेल डालकर मार डाला गया—यह बात गलत है । 26 तारीख के बाद आज तक उस मुलजिम का पता नहीं लगा पाये इससे आपके पुलिस की नाकामयाबी साफ प्रतीत होती है । इसलिए होम मिनिस्टर को चाहिये कि वे इस्तीफा दे दें, वे इस काम के अयोग्य हैं ।

मैं तीन दिन पहले रेल्वे स्टेशन पर गया था वहां एक नाली के अन्दर एक हाथ कटा हुआ मिला है । इस प्रकार की घटनायें रोजाना हो रही हैं । इस तरह से दिन दहाड़े कत्ल हो जायं, लेकिन किसी की गिरफतारी न हो, इससे बढ़ कर अव्यवस्था क्या हो सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की विशेष अधिकारी द्वारा जांच करवाई जाय । अगर इसका पता नहीं लगे तो होम मिनिस्टर साहब को त्याग-पत्र दे देना चाहिये ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़): जब से ऐसे मामले स्थगन—प्रस्ताव द्वारा रखे जाने लगे हैं तो इस बारे में मंत्री महोदय यह कहते हैं ये तो बहुत छोटे से मामले हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह तो [illegible] गया ।

श्री मद[illegible] इसी प्रकार बड़े मंत्री लोग [illegible] करेंगे तो फिर छोटे मंत्रियों से तो क्या आशा की जा सकती है । ये तो कुछ घटनायें नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी घटनायें होती हैं, मंत्री महोदय के ध्यान में लायी जाती हैं, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं होता । एक नवयुवक को तेल छिड़क कर जला दिया जाय, फिर भी उस व्यक्ति के बारे में गिरफतारी न होने पाये—यह कितनी दुखद स्थिति है । इस पर गहराई से विचार होना चाहिये । अन्यथा ये ही नहीं इससे भी बडी बड़ी घटनायें हो रही हैं जिनके बारे में मंत्रियों को सूचित किया जाता है, एस० पी० को, डिप्टी एस० पी० को. . . .

श्री अध्यक्ष : इसका स्थगन—प्रस्ताव से संबंध नहीं है ।

श्री मदनसिंह : इसी संबंध में मैं बोल रहा हूं । मैं ऐसे अधिकारी बता सकता हूं जो मंत्रियों के यहां जाते हैं और उनको घूस देते हैं और फिर ऐसे मामलों को दबाया जाता है ।

श्री खेतसिंह : यह मामला सी० आई० डी० के विशेष अधिकारी को सौंप दिया गया है । वे इस मामले की पूरी जांच करेंगे । मैं आर्य साहब से चाहूंगा कि वे भी इसमें मदद करें । मुलजिमान को गिरफतार करवायें ।

(2 म० प०)

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उसने जो बयान दिये उसमें भी नाम नहीं बतलाया और जो मौके पर मौजूद थे उनसे भी मालूम हुआ कि नाम नहीं बताया ।

श्री दौलत[illegible] **सारण** : बयान किसके सामने दिये गये ? [illegible]या मिनिस्टर के सामने ?

श्री खेतसिंह : डॉक्टर के सामने ।

श्री रामचन्द्र आर्य : वह डॉक्टर बदमाश है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या डॉक्टर बयान लेने के लिये अधिकृत था ? क्या

(श्री दौलतराम सारण)
जिन्दा रहते हुए मजिस्ट्रेट नहीं पहुंच सकता था ?

श्री खेतसिंह : डाइंग डिक्लेरेशन के लिए डॉक्टर ही जल्दी ले सकता है । वह चूंकि मर रहा था, इसलिये डॉक्टर ने पांच छः आदमियों के सामने उसके बयान लिये हैं । उन बयानों में उसने किसी का नाम नहीं लिया बताया । इसलिये हम परेशान हैं । खास तौर से हमें इसमें कोई इन्ट्रेस्ट नहीं । हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुजरिम पकड़ा जावे और उसे हर तरह की सजा मिले । पर उसने नाम ही नहीं बताया और स्वयं ने ही घासतेल डालकर जला है। यह कह कर कि जिन्दगी से दुखी हो गया हूं, यह ऐसा भी लोग कहते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरे आम उसको जलाया गया है ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : माननीय मन्त्री ने कहा कि अपने आप जला है तो अपने आप जलने वाला क्या सरे आम सड़क पर जलेगा, कि घर में जलेगा ? जले पर आप यह कह कर और नमक डालने जैसी बात कह रहे हैं ।

आत्महत्या करने वाला सरे बाजार में कैसे जल सकता है ? घर में जल सकता है । ऐसी बातें मन्त्रीजी के मुख से सुनते हैं तो दुख होता है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा

सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी एवं सहकारिता मंत्री का उत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरमल वासोतिया ।

श्री
अध्यक्ष म
संबंधी नि
के एक f
थी जिस
निवेदन
राज्य के
परस्ती,
बुराइयां
कि सह
वहां का
है । अ
अधिका

र

विभाग
वह वि
आने
निका
की अ
रह ग
कर्मच
थोड़
अथव
चार
की
से
और
मुक
पिट
हाथ
कह
में

की
भय

...मल वासोतिया (नवलगढ़) : ..., प्रक्रिया तथा कार्य संचालक ...27 के तहत मैंने लोक महत्व ... पर चर्चा करने की सूचना दी ...आरम्भ करते हुए मैं सदन से ... हूं कि इस ओर ध्यान दें कि ...री विभाग में भ्रष्टाचार, कुनबा...नी और अन्य अन्य तरह की ... चरम सीमा तक पहुंच गई हैं ... विभाग में भ्रष्टाचार का केन्द्र ...मात्र अधिकारी राजा निरंजनसिंह ...के साथ में उनके कुछ कृपापात्र ...र कर्मचारी वर्ग है ।

...निरंजनसिंह का गुट्ट सहकारी ... जिस तरह से हावी हो गया है, ...ी बुराई को वहां से बाहर नहीं ...किसी भी बुराई को वहां से बाहर ...और उनके विरुद्ध किसी भी तरह ... निकालना एक सरल काम नहीं ... । जो भी कोई अधिकारी अथवा ...नकी उन वारदातों से त्रस्त होकर ...वाज अपने मुंह से निकालता है ...सी दूसरी तरह से उनकी भ्रष्टा... कार्यवाहियों को बाहर निकालने ... करता है, तो उनको बुरी तरह ...या जाता है । उन पर झूठे चोरी ...टाचार के आरोप उल्टे लगाकर ... दिया जाता है । पुलिस से ...तक ... नहीं स्वयं अपने ...उसे पीटते हैं, ...ह की शर्मनाक ... आये दिन इस सहकारी विभाग ... रहती है ।

...क्ष महोदय, आज राजा निरंजनसिंह ...शता से इस विभाग के सारे कर्मचारी ...हैं । वे इस विभाग की अपनी दुख

(श्री सांवरमल बासोतिया)

दर्द की कहानी लेकर उच्च अधिकारियों के पास भी जाते हैं तो वहां भी उनके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है ।

(2.05 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आगे कुछ निवेदन करने से पहले मैं इसका भी उल्लेख करना चाहता हूं कि 23 फरवरी को चर्चा इस सम्बन्ध में उठाने की सूचना दी थी तो तीन चार रोज बाद एक टेलीफोन राजा निरन्जनसिंहजी के पास गया और उनको यह इत्तला दी गई कि इस तरह से आपके खिलाफ गड़बड़ियों और अत्याचारों की सदन में शिकायत आई है और उनका पर्दाफाश वहां किया जा रहा है । उसी वक्त रजिस्ट्रार महोदय ने अपने कृपापात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे शाम को कार्यालय बन्द होने के बाद तक वहां उपस्थित रहें । और कार्यालय के समय के उपरान्त वहां ठहरकर कई कागजों में तबदीलियें की गई । नये नये कागज बनाये गये और काफी कागजों में हेर फेर की गई । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों को यहां सदन के सामने रखने से पहले यह कहना चाहूंगा कि इन तथ्यों से सम्बन्धित जितने भी कागजात सहकारी विभाग में हैं, उनको तुरन्त आपके आदेश से जब्त किया जावे और उनको किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जावे ।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने तथ्य रखते हुए मुझे दुख होता है कि राजा निरंजनसिंह गत कई वर्षों से एक रामचन्द्र और दूसरे रामनारायण नाम के दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नाम से झूठी तनख्वाह उठा रहे हैं । इस नाम के व्यक्ति या तो थे ही नहीं अपितु पांच सात वर्ष पहले ही थे तो उसी समय वहां से चले गये थे । पर विभाग में आज भी उनके नाम से तनख्वाह मजे से उठा रहे हैं और यह तनख्वाह बाला बाला उनके मकान पर सीधे जाती है और यहां पर मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि वह तनख्वाह महीने की महीने या तो स्वयं राजा साहब के हाथ में दी जाती है या महारानी साहिबा के हाथ में दी जाती है तथा दो अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह भी सहकारी विभाग से दी जाती है ।

श्री मदनसिंह दांता : इसमें कौन अचम्भे की बात है, यह तो सब जगह है, गृह मंत्री के बंगले पर 13-14 हैं ऐसे ।

एक माननीय सदस्य : सुनो ।

श्री मदनसिंह दांता : क्या सुनवा रहे हो ? यह तो आप करवाते हो सभी ।

श्री सांवरमल बासोतिया : अन्य कर्मचारी जो काम करते हैं, वहां पर उनसे दस्तखत करवाये जाते हैं पे बिल पर । अंगूठे उनसे चिपकवाये जाते हैं ।

मैं निवेदन करूं कि रामनारायण और रामचन्द्र नामक चतुर्थ श्रेणी के पे बिल पर दस्तखत करने वाले उनके ही नौकर हैं, जिनमें एक का नाम छोटूसिंह है और दूसरे का हुक्मा राम है । दोनों के दस्तखत उनसे करवाये जाते हैं और पेमेन्ट रानी साहब या राजा साहब को दिया जाता था ।

Page No. 74

(श्री सांवरमल वासोदि

सदन को यह सुनकर जुब होगा
कि यह जो छोटूसिंह था उस भी नौकरी
से निकाल दिया । इसकी करी खत्म
करने का एक विचित्र तर या । इस
नौकर ने राजा साहब के प की ऐसी
ऐसी सेवाएं की हैं जिनको मैं के सामने
तो नहीं कह सकता पर ला या दिया
जावे उसको इनाम के तब भी । उसको
भी एक मिनिट में इन्होंने नौ से निकाल
दिया । कारण सिर्फ इतना कि उसके
लड़के ने सब्जी अन्दर से मं ली थी ।
इस पर बुरी तरह से उसे यां देकर
निकाल दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन न्द्र और
रामनारायण की तनख्वाहें जनवरी
68 से उठाना बन्द कर दिय सका भी
विशेष कारण है । 11 जन 68 को
विभाग का हैड केशियर नाथूला रिटायर-
मेन्ट होने वाला था और ये लत बिल
बनाये जाते थे और पेमेन्ट प किये जाते
थे, उनमें विभाग के कृपापात्र कारी श्री
चन्द्रराज सिंघी, सहायक सं , डिप्टी
रजिस्ट्रार, गोविन्दनारायण, ी० धीर
भी सम्मिलित थे । ये लोग झूठ री बनाते
थे । झूठा वेरिफिकेशन करते र अपने
निजी आदमियों के द्वारा यह ह बंगले
पर पहुंचाते थे । जब उनके ायरमेन्ट
का समय आ गया तो राजा ने 11
जनवरी, 1968 तक उस नाथू केशियर-
को इस धोखे में रखा कि म तु रिटायर-
मेन्ट नहीं होने दूंगा । राजा रिटायर-
था कि पहले रिटायर होने से को डर
उधर की बातें न कह दे और ज यह इधर
चल रही हैं उन का पर्दाफाश र्यवाहियां
जायें ।

11 जनवरी, 1968 को नाथूलाल को कहा जाता है कि कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें रिटायर होना ही पड़ेगा । उसने जाते जाते राजा साहब से निवेदन किया कि मैं तो जाता हूं लेकिन आज तक जो इतने काले कारनामे करवाये हैं, मेरी जगह दूसरा केशियर आयेगा तो आगे के लिए आपके यह कारनामे चलने वाले नहीं हैं । उन्होंने पूछा कि फिर क्या किया जाये ? उसने कहा कि इसका यही उपाय है कि उनको सर्विसेज को टर्मीनेट कर दिया जाये । उन आदमियों के नाम न तो एपॉइन्टमेन्ट लैटर है, न विभाग से कोई वर्दी दी गयी और न किसी कर्मचारी ने या अधिकारी ने उनको आफिस में ही कभी देखा है, लेकिन उन कर्मचारियों की तनख्वाह बराबर उठती रही । और 11 जनवरी, 1968 को जब श्री नाथूलाल केशियर रिटायर होते हैं तो राजा निरंजनसिंह जी उसके ऊपर एक नोट लिखते हैं एक कागज के ऊपर जिसके लिए मैं आपको अर्ज करूं और नोट की भाषा बताऊं । उस पर सिफ यह नोट लगाया कि श्री रामनारायण व श्री रामचन्द्र चपरासी तारीख 1-1-68 से गैरहाजिर हैं और उनकी कोई दरख्वास्त पेश नहीं हुई है, अतः इन्हें उक्त तारीख से राज्य सेवा से मुक्त किया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब है उनकी सर्विसेज को टर्मीनेट करने का । 31 दिसम्बर, 67 तक वह बराबर प्रजेन्ट बताते हैं और 1 जनवरी, 68 को उनको गैरहाजिर बताते हैं । ताज्जुब यह है कि दिसम्बर महीने में तनख्वाह लेने के लिए दोनों चपरासी नहीं आते हैं और 10 दिन तक गैरहाजिर होने का न तो शो-काज नोटिस दिया जाता है और न कोई और अनुपस्थिति की कार्यवाही ही की जाती है, न उनको सर्विसेज टर्मीनेट करने का नोटिस दिया जाता है और महज इस छोटे

(श्री सांवरमल बासोतिया)

से नोट के बतौर उन दोनों की सर्विसेज टर्मीनेट कर दी गयीं और उस केशियर के रिटायर मेन्ट के साथ ही साथ दो आदमियों की जो सर्विस थी, वह भी खत्म हो गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यह दो ही आदमी नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं कि एक सुन्दरलाल माली नाम के आदमी से सन् 66 में 8-10 महीने तक उसकी सर्विस का पेमेन्ट उठाया गया और इसके साथ ही साथ एक रोशनलाल नाम का गडरिया रहा था वह छोड़कर चला गया और उसके छोड़कर जाने के 2 महीने बाद तक उसका पेमेन्ट भी उठाया गया जिसके दस्तखत भी छोटूसिंह था उसने किये। वह रोशनलाल अंगूठा लगाता था लेकिन छोटसिंह क्योंकि थोड़ा पढ़ा लिखा था इसलिए उसने उसके दस्तखत किये और रोशनलाल के दस्तखत छोटूसिंह से कराये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजा निरंजनसिंह ही नहीं उनके जो कृपापात्र अधिकारी हैं, उनके भी विषय में कहना चाहता हूं। मैं आपको अर्ज करूं कि उनके सबसे वरिष्ठ कृपापात्रों में श्री चन्दरराज सिंघी हैं असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, स्टेटिस्टिक्स, कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट। सही माने में आपकी आफिशियल ड्यूटीज राजा साहब की अर्दली करना है और इतना ही नहीं राजा साहब के लिए सुरा और सुन्दरी का इन्तजाम भी करना है। जब भी टूर पर राजा साहब जायें, तो उनके साथ में उनका अर्दली नहीं मिलेगा, कोई चपरासी नहीं मिलेगा, कोई पी० ए० नहीं मिलेगा, कोई स्टेनो या टाइपिस्ट नहीं मिलेगा लेकिन श्री चन्दराज सिंघी जरूर मिलेंगे, जो उनका सारा इन्तजाम करते हैं। महज इसलिये कि जो इनकी कार्यवाहियां हैं, उनके ऊपर पर्दा डलता रहे और सिंघी के सिवाय दूसरे आदमी को इसकी जानकारी नहीं हो सके। श्री चन्दराज सिंघी का आज का बहुत ही ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपका ट्रांसफर अभी पिछले एक हफ्ते पहले हो गया था, लेकिन राजा निरंजन सिंह उनके लिए बराबर डी० ओ० लिख लिखकर भेजते रहे कि यह आदमी रिलीव नहीं किया जा सकता। इसलिये कि उनका काम उनके बिना नहीं चल सकता। मुझे मालूम पड़ता है कि श्री चन्दरराज ने देहली बॉडी बिल्डर्स नाम की संस्था से 3 गाड़ियों पर बाड़ीज बंधाई हैं और उस फर्म का 20,917 रुपये का बिल हुआ जो कि कई महीनों से अटका पड़ा था और वह महज इसलिये नहीं दिया गया था कि वह पार्टी यहां आये और ये अपने हिस्से का पैसा साथ साथ लेलें। नहीं तो फिर पैसे हाथ आना मुश्किल हो जायेगा। उस पार्टी को ट्रंक काल किया गया कि फौरन आ जाओ और अपना पेमेंट लेलो। मेरा ट्रांसफर हो गया है। मेरा खयाल है कि या तो वह पार्टी पहुंच गयी है या आज पेमेंट लेने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, उस बिल के पेमेन्ट को रुकवाने की कोशिश करिये उससे सब सच्चाई मालूम हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े शब्दों में आपको यह भी अर्ज करूं कि राजा-निरंजनसिंह के पास जितने नौकर आज तक रहे हैं, कम से कम 8-10 ऐसे हैं कि जिनको छोटी छोटी बातों पर गाली

(श्री सांवरमल बासोतिया)
गलोच निकाल कर निकाला
मुझे राजा निरंजनसिंह जी के
होते तो कुछ नहीं वास्ता
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो
विभाग में नौकर हैं, उनके स
का अत्याचार किया जाये,
बरदाश्त नहीं हो सकता।
नाम का बूढ़ा ब्राह्मण था।
बेचारे को सिर्फ इसलिये मारा
गया कि उसने राजा निरंजसि
लिए मांस पकाने से इन्कार क

श्री भगवानदास शास्
कब से आया? दल बद
या बाद में।

श्री सांवरमल बासोति
का उत्तर भी समय पर
दूसरा मैं आपको उदाह
चन्दूराम से झाड़ू निका
कांच टूट गया। इसके लिये
गया और नौकरी से
बिरदा साइकिल सवार
चोरी का इल्जाम लगाः
एक मंगलसिंह, ड्राइवर है,
मौजूद है। वह ऐसी स्थिति
कि राजा साहब ने उसके
हैं और वह इसलिये स
कि आर्थिक स्थिति से बे

उपाध्यक्ष महोदय, एक
बताऊं। राजा साहब श्री
एक ड्राइवर, जिसका न
उसको $1\frac{1}{2}$ महीने पहले
में दिया गया कि उस
के बंगले पर कोई अन्
काम होते हुए देख लि

या है।
ऊ नौकर
लेकिन
सहकारी
स प्रकार
किसी को
लादूराम
ब्राह्मण
और पीटा
कुत्ते के
या...

यह ज्ञान
से पहले

इन सब
जायेगा।
दूंगा कि
समय कोई,
को पीटा
ाला गया।
ऊपर भी
निकाला।
आज भी
फंसा है
तक मारे
करता रहा
लाचार है।

ा उदाहरण
जनसिंह का
ागीरथ है,
लिये पुलिस
ाजा साहब
एवं अनैतिक
महज देखने

मात्र से उसको पुलिस में पकड़ाया और 20-25 रोज तक उसको पुलिस हिरासत में रखा गया। रात को थानेदार ने दारू पीकर उसकी चमड़ी पसली एक कर दी। लेकिन वह निर्दोष आदमी जब हिरासत में था, तो मैं और सदन के दो तीन माननीय सदस्य उसकी हालत को देखने गये। जब उसको छोड़ा गया तो सारी बातें उसने बताई कि मेरे साथ इस प्रकार से हुआ। यह मामला तो बहुत गंभीर है, मगर मैं इसलिये इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं कि यह मामला कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूंगा कि राजा साहब ने कई आदमियों को बिना एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज के थ्रू आये, अवैधानिक तौर से, गलत तरीके से 40 आदमियों को डिपार्टमेंट में लगा रखा है जो कि एक बड़ा रहस्य है, और वह रहस्य क्या हो सकता है कि जिसके रुपये पैसे पहुंच जाते हैं या जो उनके कृपापात्र के थ्रू आते हैं उनको तो नौकरी मिल जाती है और जो एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज के थ्रू आते हैं, उनको ठुकरा दिया जाता है।

एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, प्रमोशन्स के लिए भी निवेदन करूं कि वहां प्रमोशन्स की हालत बड़ी अजीब और दुःखदायक है। जो लोग 5-5, 10-10 साल से हैं, वे जहां के तहां ही रुके हुए हैं, लेकिन उनके कृपापात्र, या उनके लिए इस तरह गलत चीजों का प्रबन्ध करने वाले हैं, अथवा रुपया पैसा खर्च करने वाले हैं, वे आ जाते हैं और उनको फौरन प्रमोशन्स मिल जाते हैं। एक-एक आदमी के दो-दो, तीन-तीन प्रमोशन्स हो जाते

(श्री सांवरमल कसोतिया)

हैं, लेकिन जो 8-10 वर्ष से बैठे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1965 से कई व्यक्तियों को राजा साहब ने सस्पेन्ड कर रखा है। गवर्नमेंट की सेलेरी बराबर उनको दी जा रही है। गवर्नमेंट का खर्च बराबर हो रहा है, इस घाटे के बजट में गवर्नमेंट को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है; लेकिन महज उन व्यक्तियों के केसेज इसलिये नहीं सुलझाये जा सकते कि राजा साहब के पास अभी तक जो चीज वे चाहते हैं, वह नहीं पहुंची है, और उन बेचारों को खामखा में रगड़ा जा रहा है, और गवर्नमेंट का नुकसान किया जा रहा है।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि राजा साहब के हाथ में दो शुगर फेक्ट्रीज बनाने का ऐसा काम आया है कि जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक गुलाबपुरा में जो कोटा में है और दूसरी केशोराय पाटन में जो बूंदी में पड़ती है। इनकी बिल्डिंग्स का काम पी० डब्ल्यू० डी० को न दिया जाकर स्वयं राजा साहब ने अपने डिपार्टमेंट के ग्र.. बनाना चालू कर रखा है। महज बहाना है कि डिपार्टमेंटली वर्क करवाया जा रहा है, लेकिन वहां राजा साहब की मनमानी रंगरेलियां होती हैं। इसमें घोटाला और भ्रष्टाचार है। अगर इसकी जांच करवाई जाय तो पूरा पर्दाफ़ाश हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ही तरह की नहीं, इस विभाग में हर तरह की गड़बड़ियां हैं। लगभग 3-4 साल हुए, मुझे पूरा समय का ध्यान नहीं है, 18 हजार रुपये राजा साहब ने अपनी कार लेने के लिए लोन लिये थे गवर्नमेंट से। ताज्जुब है कि उन्होंने 18 हजार की नई कार न लेकर राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की एक कार थी जो कि अधिक चली हुई नहीं थी, केवल 12-13 हजार मील ही चली हुई, है जिसका डिपार्टमेंट को बेचने का कायदा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके उसी गाड़ी को 12-13 हजार में खरीद लिया जबकि 18 हजार रुपये नई कार के लिए उनको लोन दिया गया था, लेकिन उसके बजाय 12-13 हजार रुपया खर्च कराया और बाकी का रुपया भी जमा नहीं कराया और उधर अपने पद का दुरुपयोग किया है।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई दिनों से अखबारों में इस तरह की बहुत सी खबरें पढ़ी थीं। मैं स्वयं, उपाध्यक्ष महोदय, एक पत्रकार हूं और पत्रकार के नाते मेरा उसमें इन्ट्रेस्ट गया। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस तरह की सनसनी पूर्ण खबरें जयपुर के लोकल अखबारों में निकाल देते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन पत्रकारिता के नाते, उसमें थोड़ा इन्ट्रेस्ट लिया और उसकी गहराई में गया तो वास्तव में जो बात थी; वह फेक्ट निकली और मेरा इन्ट्रेस्ट बढ़ा और उस इन्ट्रेस्ट के कारण, आज मैंने इस सदन में ये फेक्टस रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ऐसी कृतियां जिनमें राजा साहब की काली करतूतों का पूरी तरह से पर्दाफाश किया गया है, आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि यह जो फेक्ट्स मैंने बताये

(श्री सांवरमल बासोतिया)

हैं उन पर गौर किया जाय और इनको महत्व दिया जाय। राजा निरंजनसिंह की कोई छोटी मोटी हैसियत नहीं है। इनका जाल देखिये तो बड़े बड़े पुलिस के औफिसर, बड़े बड़े सी० आई० डी० के आफिसर, राजस्थान सरकार के बड़े बड़े अन्य अधिकारी....

एक माननीय सदस्य: मंत्री नहीं।

श्री सांवरमल बासोतिया: मंत्रियों को मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस काम में ढिलाई दी और इस पर कार्यवाही नहीं की तो मैं यह अच्छा समझूंगा कि उनको अपना पद त्याग देना चाहिए।

अन्त में मैं पुन: निवेदन करूंगा कि जो मैंने शुरूआत में निवेदन किया था कि सारे रेकार्ड्स को फौरन जब्त किया जाय अन्यथा वे नया नया रेकार्ड बना रहे हैं और नई नई तब्दीलियां कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाय और सदन में मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि एक या दो दिन में पूरी कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सहकारिता मंत्री।

श्री सांवरमल बासोतिया: ये प्रतियां आपको पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतियां गुप्त तो हैं नहीं, प्रकाशित हैं। अखबारों में उनके रखने की जरूरत क्या है? खैर, रख दें।

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय उपाध्यक्ष, दूसरे लोग भी इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। मेने सूचना दी है 127 के तहत कि मैं इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी कृपा हुई कि इस चर्चा में मुझे भाग लेने के लिए कृपा पूर्वक आपने अनुमति प्रदान की।

श्री उपाध्यक्ष: आपने अभी नया ही बोलना शुरू किया है, इसलिये यह कृपा बनी रहे।

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा का विषय जो माननीय सदस्य नवलगढ़ से आने वाले ने उठाया है और सहकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है, उस सम्बन्ध में जहां तक मुझे जानकारी है, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सहकारिता देश के राष्ट्रीय आन्दोलन का अंग बना हुआ है, और सभी लोग और सभी दल इस आन्दोलन का राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं। उस विभाग की आज राजस्थान में दुर्दशा है उसका थोड़ा सा चित्रण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं जो उस जिले से सम्बन्धित है जहां से मैं आ रहा हूं। सहकारी विभाग का अध्यक्ष कई वर्षों से एक ही व्यक्ति है और वह नामजद हो रहा है उसकी वजह से और यही कारण है कि राजस्थान के अंदर इस मूवमेंट की, इस आन्दोलन की यह गति हुई है। वह इस विभाग के लिए अनिवार्य बन गये हैं।

श्री शोभाराम (सहकारी मंत्री): यह जनरल डिस्कशन डिपार्टमेंट के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष: थोड़े समय की चर्चा है इसलिए आप सीमित समय में कुछ कह दें।

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से चर्चा दो घण्टे तक बढ़ाई जा सकती है ऐसा मैंने देखा है 127 में लिखा हुआ है। आपकी कृपा होगी क्योंकि यह महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़े में कह दें। बाकी जब बजट प्रस्तुत होगा उस वक्त आम चर्चा के वक्त इस विभाग के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी: झुंझुनू जिले का कोऑपरेटिव मूवमेंट राजस्थान के सहकारी विभाग के पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की वजह से समाप्त हो गया है, और लोगों के लाखों रुपयों के शेयर खत्म हो गये हैं। झुंझुनू जिले का कोऑपरेटिव बैंक जिसको गवर्नमेंट ने डिज़ॉल्व कर रखा है और एडमिनिस्ट्रेटर कायम कर रखा है, उसका जनरल मैनेजर जिसकी इतनी बड़ी शिकायत है जिसको स्वयं मंत्री महोदय जानते हैं, उन्होंने जाकर देखा है, इन्क्वायरी कराने के ऑर्डर दिये हैं। उसमें भी वे उन अफसरों को साथ में ले गये जो मैनेजर का जरा भी बिगाड़ नहीं होने देना चाहते।

झुन्झुनूं जिला कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर, जिसमें सन् 66 में नॉमीनेशन हुए थे, नोमीनेशन रजिस्ट्रार साहब ने ऐसे आदमी का किया है जो पार्टीबंदी से प्रभावित है और मंत्रिमंडल के सदस्यों के रिश्तेदार हैं, व्यापारी हैं और ऐसा आदमी है जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के खिलाफ विचार रखता है। उक्त कोऑपरेटिव सोसाइटी के नॉमिनेशन के लिये एक सूची भेजी थी।

श्री देविदत्त गाड़िया: उपाध्यक्ष महोदय, वे कौनसे मंत्री हैं जिनका वह रिश्तेदार है? जिस मंत्री पर आरोप लगाया है मैं उनका नाम जानना चाहता हूं? कौनसे मंत्री का रिश्तेदार है?

श्री रामनारायण चौधरी: वह आपको मालूम है। इस सूची को रजिस्ट्रार साहब ने कुछ ऐसे आक्षेप लगाकर रद्द कर दिया जो बेबुनियाद थे। उनकी मंशा यह थी कि सूची वापिस भेजी जाय जिसमें ऐसे व्यक्तियों का नाम हों, जो उनका कृपापात्र है। नयी सूची में ऐसे व्यक्तियों का नाम मंगाकर उसको कन्ज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर का सदस्य नॉमीनेट कर दिया। हजारों लोगों को वंचित रखकर उस व्यक्ति को नॉमीनेट कर दिया। आज उस सोसाइटी की यह पोजीशन है कि जिन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा था, वे उसके डाइरेक्टर हैं और जिसने चार हजार शेयर वेचे थे, लाखों रुपये दिलवाये थे, वे बाहर बैठे हैं और उनके शेयर्स की कोई गारन्टी नहीं है और वहां पर मनमानी कार्यवाही हो रही है।

अभी झुन्झुनू जिला भूमि बंधक बैंक के चुनाव हुए थे। चुनाव पहले नहीं हुए थे और नहीं होने का कारण यह था कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

राजासाहब यह चाहते थे कि चुनाव निर्विरोध हों और उसमें वही आदमी आवें, जो हैं। लेकिन उसके विपरीत चुनाव निर्विरोध हुआ और वे आदमी नहीं आ सके जो आना चाहते थे। राजा साहब ने क्या किया कि निर्विरोध चुनाव के खिलाफ रजिस्ट्रार के पास एक दरख्वास्त दिलवाई। राजा साहब ने एक आॅफिसर के सुपुर्द उसकी जांच करने की कार्यवाही की। जांच चालू हुई। लोगों को नोटिस मिले और लोगों ने उसका जवाब दिया। जब लोगों ने उस अधिकारी को कहा कि यह चुनाव तो निर्विरोध हुआ है फिर जांच किस बात की हो रही है तो डिप्टी रजिस्ट्रार क्या कहता है कि आप अमुक आदमी से मिलिये। तब उन लोगों ने कहा कि उससे क्यों मिलें, डिप्टी रजिस्ट्रार तो आप हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, आप उनसे ही मिलिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह सिलसिला है। मैं समझता हूं उस चुनाव को या तो रद्द कर दिया या रद्द करने वाले होंगे। कारण यह था कि जो आदमी पहले था, उसके खिलाफ शिकायत थी, भ्रष्ट था, अब चुनाव सेट असाइड करके उस बैंक के डाइरेक्टरों को भी नोमीनेट करना चाहते हैं। इस प्रकार वह भूमि बंधक बैंक का डाइरेक्टर बन जायगा।

इसी प्रकार की दूसरी और भी कई चीजें हैं जिनके कारण राजस्थान में कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट को धक्का लगा है। इस सारी स्थिति को बताने के लिये एक रोज हम मंत्रीजी के सामने उपस्थित हुए। हम उनसे इस बात का जिक्र करना चाहते थे, उनसे पहले ही उन्होंने जिक्र किया। मैं नहीं समझता कि हमारी शिकायतों की कोई सुनवाई होगी, लेकिन यह सदन सर्वोच्च है, इसलिये कह रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि झुन्झुनू जिले के कंज्यूमर्स कोआॅपरेटिव स्टोर की स्थिति यह है, मुझे सुनने के पूर्व ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, भाई क्या मामला है, तुम किधर हो, मुझे बहुत वर्ष बाद सुखाड़ियाजी ने नौकरी दी है, उनकी नौकरी कर रहा हूं, मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं....

श्री शोभाराम: मैं समझता हूं गलत बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी: यह सत्य है। यह सदन सर्वोच्च है। मैं आपको ठीक कहता हूं। मुझे इतनी हैरानी और परेशानी हुई। वे पूछने लगे कि जिले की कैसी स्थिति है। हमने कहा बहुत अच्छी स्थिति है। उन्होंने कहा आपका जिला ऐसा है। आपका जिला वैसा है। हमने कहा हमारा जिला कांग्रेसी है। हम सब सुखाड़ियाजी के साथ हैं। उनकी लीडरशिप के हामी हैं। और भी कई बातें हुई, वे बातें ऐसी हैं जिनको कहने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में हम आपके मार्फत हमारी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कहां पहुंचायें, कोई सुननेवाला नहीं है। यह स्थिति है तो ऐसी स्थिति में एम्बेरेसमेंट होता है। मुझे इस वक्त एक बात याद आ गई। एक गांव में एक किसान के लड़के की शादी हुई थी। जिस लड़के की शादी करके लाये थे, बाप उसका अंधा था। सौरी बाप अंधा नहीं था। जिसकी शादी

(श्री रामनारायण चौधरी)

करके लाया था वह लड़का ऐसा था, कैसा था मैं क्या वर्णन करूं। उस लड़के की औरत को उसकी सास ने एक दिन कहा कि बीनणी तुम ओला (घूंघट) नहीं निकालती हो, अभी शादी करके आई हो, सब चीजें अभी तो आगे करनी हैं, अभी से ओला नहीं निकालती हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं घूंघट किससे निकालूं, घूंघटवाला तो अंधा होकर बैठा है, जिसकी शर्म से घूंघट निकालना चाहिये, वह तो अंधा होकर बैठा है। उपाध्यक्ष महोदय, वही हालत आज हमारे यहां पर हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमने आपके सामने मामला रखा है, जिनसे घूंघट निकालना चाहिये, जिनसे शर्म करनी चाहिये, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ असर होना चाहिये, उनकी धाक होनी चाहिये, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिये, उनकी यह स्थिति है। एक विधायक के सामने अगर वे यह कहते हैं तो मैं समझता हूं राजस्थान की दयनीय स्थिति है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना): मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नियम है कि पूर्व सूचना के बगैर कोई बहस में हिस्सा नहीं ले सकता।

श्री मोहनलाल मोदी : पूर्व सूचना के लिये मैंने भी साइन किया है इसलिये बोलना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग में इस वक्त जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके बारे में श्री बासोतियाजी और श्री रामनारायणजी ने बताया...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! पूर्व सूचना नहीं दी है, इसलिये बाद में कह सकते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने का अधिकार नियम के अंतर्गत होता है। जब चाहें तभी बोल लें ऐसी बात नहीं है। इससे दूसरे सदस्यों के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि दूसरा कार्य भी कार्य सूची में है।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको दो मिनिट का समय देता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी: उपाध्यक्ष महोदय, अभी नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सहकारी विभाग के बारे में चर्चा की उसमें नामजद अधिकारी के बारे में बयान किया जिसने ऐसी कार्यवाही की उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि उस अधिकारी को सस्पेन्ड करके उसके खिलाफ इन्क्वायरी करानी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ड्राइवर का नाम बताया

(श्री मोहनलाल मोदी)
है भागीरथ वह ड्राइवर सहकारी विभाग का नौकर नहीं है बल्कि वह एक शूगर फैक्ट्री का नौकर है और, वहां की कार चलाता है। दूसरा मैं एक जिक्र और करना चाहता हूं कि धौलपुर मल्टीपरपज सहकारी सोसाइटी है उसको श्री तुलसीरामजी डिप्टी रजिस्ट्रार ने लिक्वीडेशन में ले लिया था, लेकिन इन रजिस्ट्रार साहब राजा साहब ने वहां जाकर दुबारा रिपोर्ट लेकर लिक्वीडेशन को हटा दिया। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनमें कुछ हिम्मत है, उनमें कुछ शक्ति है, तो वह रिकार्ड को फौरन जब्त करें और रिकार्ड को जब्त करके फौरन इसकी जांच करायें और जांच करके शीघ्र ही जो दोषी हैं, उसको सजा दें।

इस विभाग के बारे में नीम के थाने के बारे में, क्योंकि मैं नीम के थाने से आया हूं, अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर एक क्रय विक्रय संघ बना हुआ है, उसके अन्दर इतनी मनमानी होती है कि वह जो तहसील नीम के थाने का क्रय विक्रय संघ है, उसमें खेतड़ी के बहुत सारे गांव शामिल कर दिये हैं, वह इसलिए कि जो अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता वहां बनी रहे। उन्होंने यह बता कर इन गांवों को शामिल किया है कि इन गांवों से इस मंडी में अनाज आता है जब कि वास्तविकता यह है कि उन गांवों से एक छटांक अनाज भी आज तक इस मण्डी में नहीं आया और न आयन्दा आने वाला है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र उन गांवों को उस सोसाइटी से हटाया जाना चाहिए, जैसा कि उप-रजिस्ट्रार ने भी कई दफा लिखा है।

इसके अलावा 90 ड्रम कैरोसिन के कैरोसिन टैंक से गायब हो गये। 90 ड्रम गायब हो गये—यह इन्सपेक्टर, सोसाइटी ने लिखा है। इसके बारे में जो तथ्य रखे, उनकी जांच हुई और जांच होने के बाद उसकी रिपोर्ट भी आई लेकिन वह रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंची और जो भ्रष्ट राजाजी हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने इस बात को ऊपर तक आने नहीं दिया। आज इस प्रकार भ्रष्टता का सहकारी विभाग में बोलबाला हो रहा है। मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय इसको चुपचाप किस तरह, कैसे सुनते हैं? वह क्यों नहीं इसके ऊपर जल्दी ही कोई एक्शन लेते?

इसी तरह से शक्कर के ब्लेक के बारे में निवेदन करूं कि दो सौ बोरियों का ब्लेक कर दिया सोसाइटी ने। इस पर वहां के एस० डी० ओ० ने रिकार्ड मांगा, लेकिन एस० डी०ओ० को रिकार्ड नहीं दिया। उसके बाद में एस० डी० ओ० ने कलेक्टर को लिखा कि इसका लाइसेन्स सस्पेन्ड कर दिया जाय, लेकिन आज तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। मैं इस संबंध में विशेष नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सहकारी विभाग में आज जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, शायद ही किसी विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो रहा हो। मंत्री महोदय को इसके संबंध में बहुत सारी जानकारी तो देदी है, इसके अलावा और पर्सनल जानकारी दे देंगे, लेकिन वह आश्वासन दें कि वह शीघ्र ही इसकी जांच करवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सहकारिता मंत्री !

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! चर्चा समाप्त हुई इस पर ।

श्री शोभाराम (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, तीन चार प्रकार के तथ्य हमारे बासोतिया जी ने रखे...

श्री कल्याणमल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : कहिये ।

श्री कल्याणमल : व्यवस्था का प्रश्न है कि यह प्रस्ताव बासोतिया साहब ने रखा है, उस पर मेरे भी दस्तखत हैं, इसलिए दस्तखत करने वाले सभी माननीय सदस्यों को...

श्री मूलचन्द डागा: बोलने का अधिकार है ।

श्री कल्याणमल : बोलने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके और डागाजी के दस्तखत करने से ही बासोतिया जी को बोलने का अधिकार मिला था, इसलिए आप दोनों को नहीं मिल सकता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार बोल रहे हैं, इसलिए बड़ी कृपा होगी यदि दो मिनिट इन्हें बोलने दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इनके दस्तखत करने पर एक माननीय सदस्य को अवसर दिया गया । जब कभी और अवसर आयेगा, तब इनको बोलने का अवसर दिया जायगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनका दिल क्यों तोड़ रहे हैं, बोलने दीजिये । बोलिये साहब, सदन सुनना चाहता है ।

श्री शोभाराम : मैं सदन के सामने यह निवेदन करूंगा कि दो तीन बातें तो ऐसी हैं जो कि कायदे-कानून से ज्यादा ताल्लुक रखती हैं । एक प्रश्न प्रमोशन का था । इस विषय में मैं यह निवेदन कर दूं कि कोपरेटिव डिपार्टमेंट के सिलसिले में सर्विस रूल्स बन चुके हैं और उन रूल्स के तहत कुछ क्राइटेरिया, कुछ आधार सीनियरिटी का है कि किस प्रकार से सीनियरिटी तय हो, यह रूल्स निश्चित किये जा चुके हैं और उनमें, सर्विस रूल्स में यह भी प्रावधान है कि जो अधिकारी हैं, जिसको नियुक्ति करने का अधिकार है, या जिसको अपग्रेड करने का अधिकार है, उन रूल्स के तहत यदि वह गलत तरीके से प्रमोशन देता है तो उसके संबंध में रिप्रेजेंटेशन, उसकी सूचनार्थ वक्त के अन्दर राजस्थान सरकार के सम्मुख आती हैं । यह सिलसिला चालू है और बहुत से रिप्रेजेंटेशन कुछ लोगों के राजस्थान सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं । इसलिए यह कहा नहीं जा सकता कि कौनसे प्रमोशन तो ठीक हैं और कौनसे गलत हैं । इस मौके पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आधार बने हैं सीनियरिटी तय करने के उनके अनुरूप ही फैसले होंगे ।

दूसरी बात जो इस सदन के सामने रखी गई है मारपीट की, मैं समझता हूं कि उनके सिलसिले में केसेज चल रहे हैं और इसलिए मेरे लिए मुनासिब...

श्री सांवरमल बासोतिया : केस सिर्फ एक के लिए चला है, सबके लिए नहीं चल रहा है ।

श्री शोभाराम : मेरे लिए यह मुनासिब नहीं होगा कि यह कहूं कि किसकी गलती है । दो प्रकार के केसेज होते हैं, एक कॉगनीजेबल

(श्री शोभाराम)

और दूसरा नॉन-कॉगनीजेबल। तो नॉन-कॉगनीजेबल जो केसेज होते हैं, उनके लिए भी चाराजोई करने के लिए एक व्यक्ति को अधिकार हैं। लेकिन सबसे गम्भीर बात है पुलिस केस की, मैं नहीं कह सकता कि कहां तक उसमें सच्चाई है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती यदि जो सूचना माननीय सदस्य ने दी उसमें कुछ नाम दिये जाते, कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स दी जाती तो मैं इस मौके पर ज्यादा स्पष्ट रूप से उस संबंध में कुछ बातें रख सकता...

श्री सांवरमल बासोतिया : नाम दिये हैं, नाम बताये हैं।

श्री शोभाराम : मैंने पढ़ा कि कौन कौन से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन या और कोई धनराशि उठाई गई है तो मैंने तो नहीं देखा कि चन्द्रराज सिंह जी ने कौन से कर्मचारी की रकम उठाई, किसकी उठाई और किसने दी....

श्री सांवरमल बासोतिया : मैं उस समय नाम भूल गया था, उसका नाम बनवीर है, चन्द्रराज सिंह नहीं।

श्री शोभाराम : कुछ भी होगा। इस प्रकार का स्पेसिफिक, जो पत्र लिखा था, जो सूचना दी थी, उसमें नहीं था। लेकिन मैंने माननीय सदस्य को सुना और मैं इस मौके पर इतना इत्मिनान दिलाना चाहता हूं कि खास तौर से दो प्रकार के इल्जाम अलग अलग हैं—एक तो कुछ बीस हजार के करीब के बिल का सवाल है, दूसरा गलत आदमियों के नाम से तनख्वाह उठाने का—यह दो तरह की केटेगरीज हैं, तो एक तरीके से अहम् मसले हैं और मैं समझता हूं कि जहां तक चतुर्थ श्रेणी के जो पे बिल्स होते हैं, उसकी एक लिस्ट होती है बाकायदा, जो ऑफिस कापी रखी जाती है, उसमें, दस, पचास, साठ, सत्तर आदमी होते हैं और उसमें उनके निशानी अंगूठा या हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए अगर दो चार आदमियों के लूज पेपर होते या सैकिंड कापी पर एक एक आदमी के दस्तखत होते तो यह मुमकिन था कि किसी प्रकार से उनमें गड़बड़ कर दी जावे लेकिन यहां पर पे बिल की कापी पर चालीस पचास, आदमियों के दस्तखत होते हैं, उसको पूरा बदल दें या सबके दुबारा दस्तखत करा लिये जायं—यह नामुमकिन चीज है। दूसरी बात जो बिल के पेमेन्ट की बात कही, तो पेमेंट हुआ होगा, पेमेन्ट हो जाने दो। पेमेन्ट होना इतनी खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन इन्क्वायरी से पता लग जावेगा कि पेमेन्ट हुआ या नहीं, पेमेन्ट करना मुनासिब था या नहीं। यह क्रूसियल पाइन्ट मैं समझता हूं। तो जो दो प्रकार की बातें रखीं, इनके लिए मैंने कहा कि मैं स्वयं इनको देखना चाहता हूं.....

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि रामनारायण, रामचन्द्र—इन दो कर्मचारियों की छः साल तक लगातार सर्विस बुक नहीं है, एल०पी०सी० नहीं है, सर्विस रिकार्ड नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी विभाग से दोनों व्यक्तियों का जितना सारा रिकार्ड है, सर्विस बुक और सर्विस रूल्स के अन्तर्गत जो चीजें होती हैं—एक तो आप उनको जब्त करिये। दूसरी चीज ऐसी है कि सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार से पूछिये कि यह हैं कौन, कहां पर हैं। अब इन्होंने छः साल तक वेतन लिया है तो रजिस्ट्रार महोदय का यह कर्त्तव्य है, यह उनकी

(श्री देवीदत्त गाडिया)
जिम्मेदारी है कि उनको वह पेश करें और अगर पेश नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है यह व्यक्ति फर्जी हैं और फर्जी हैं तो लगातार दस हजार रुपया सहकारी विभाग का फर्जी तरीके से उठाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नाम पर आप मत बचिये, यह मत करिये। आप उन दोनों आदमियों को पूछिये वहां सारा रिकार्ड जब्त कराइये और उन दोनों आदमियों को प्रस्तुत किया जाय—यह आप रजिस्ट्रार को आदेश दीजिये।

श्री शोभाराम : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं खुद जांच करना चाहता हूं। यह अलग विषय हैं। दूसरी बात यह खतरा था रिकार्ड बदलने का। आपके कथनानुसार फर्जी आदमी हैं, तो पेश क्या करेंगे। मैं यह कह रहा था कि इसमें खतरा उस प्रकार का नहीं। सवाल रह जाता है जांच करने का, जांच करने से पता नहीं क्या परिणाम रहेंगे। लेकिन मैं स्वयं जांच करना चाहता हूं यह मैं सदन के सामने निवेदन कर चुका हूं. . . .

श्री मोहनलाल मोदी : उन आदमियों को मन्त्री के सामने पेश करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मन्त्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री मोहनलाल मोदी : एक मिनिट। रामनारायण और रामचन्द्र जिन्होंने 6 साल तक बराबर वेतन उठाया है वह मर तो नहीं गये हैं। जिंदा हैं। वह कहीं हों, वह आप के सामने आ सकते हैं। आप अपने सामने बुलाकर उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम यह आश्वासन तो दें कि आप उनको बुलायेंगे और बुलाकर जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्री शोभाराम : मैं आप को बताऊं कि किन किन व्यक्तियों को बुलाऊंगा। किन किन कागजात की जांच करूंगा। या किन पेपर्स को जब्त किया जाय, ये सब डिटेल की बात मेरे ऊपर छोड़िये। आखिरकार इस प्रकार से सदन के सामने आरोप आया है तो वह जो दोनों आदमी, उनको बुलाने के अलावा शायद और दस आदमियों की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ऐसे कागजों को कब्जे में करने की जो मांग है अगर वह आज कब्जे में नहीं किये जाते हैं तो इनके संबंध में इन्क्वायरी एक तरह से मुकम्मिल नहीं हो सकती है या सही नतीजा नहीं निकल सकता। इस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि आदमी अगर नहीं हैं और बिल्स हैं तो उनको क्या कब्जे में करें ? जो रिकार्ड है जिसके लिए ज्यादा परेशानी है, कि उसको कब्जे में किया जाना चाहिए, तो वह इस प्रकार का तो नहीं है—आदमी फर्जी हैं। मैं समझता हूं पे बिल्स पर तो उसके दस्तखत होंगे। वह एक तरह से नहीं मिलेंगे तो जो आदमी होगा तो आदमी की वल्दियत कहीं पर होगी। दरख्वास्त उसकी दी गई होगी। और जो कुछ भी हो, किस तरह से और कौनसे पते से सैलेरी का डिस्बर्समेंट होता था—वह मैं समझता हूं कि दस्तावेज को इधर उधर करने से छुप नहीं सकते हैं। वह एक तरह से साबित हो सकता है। अब दो को बुलाने, तीन को बुलाने, दस को बुलाने—यह डिटेल्स की बात है। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में पूरी तत्परता के साथ और शीघ्रता से कार्यवाही की जाएगी। यह तो मैं कह सकता हूं लेकिन इसके अलावा कितनी गहराई के साथ की जाएगी, कितने आदमियों को

(श्री शोभाराम)

बुलाया जाएगा, कितने दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा, यह मैं समझता हूं मेरे ऊपर छोड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री मूलचन्द डागा : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करके फौरन सस्पेंड किया जाए ।

श्री सांवरमल बासोतिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह बात कहता हूं कि रजिस्ट्रार को डिपार्टमेंट से फौरन ट्रान्सफर किया जाना चाहिए ताकि कुर्सी का प्रभाव और लोगों को प्रभावित न कर सके ।

श्री रामनारायण चौधरी : जिम्मेदार व्यक्तियों को सस्पेंड कर देते अब तक ।

श्री शोभाराम : अब रामनारायण जी, मैं क्या कर देता, क्या नहीं कर देता . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मैं नहीं कह सकता ।

श्री शोभाराम : इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि . . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजा निरंजन सिंह का आप ट्रान्सफर नहीं कर सकते । इसका आप को अधिकार नहीं है । राजा निरंजनसिंह का ट्रान्सफर करने का आप को अधिकार नहीं ।

श्री शोभाराम : यह आप जानते होंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जानता हूं ।

श्री शोभाराम : अधिकार है, किसका है, कहां जायेंगे, आई०ए०एस० के टोप अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अनुशासन की कैसी कार्यवाही की जाय और कसी करते हैं—वह चर्चा मैं नहीं करना चाहता क्योंकि उससे मैं विषयान्तर हो जाता हूं । लेकिन जांच नियमानुसार होगी ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या उसके ट्रान्सफर के लिये ही यह भूमिका बनाई गई है ।

श्री शोभाराम : जैसा रामनारायण जी ने कहा, और उन्होंने दो बातें कहीं—एक तो नोमीनेशन के बारे में, दूसरी चुनाव के बारे में । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव की एक प्रक्रिया है, राजस्थान कोपरेटिव एक्ट में दे रखी है । आप यह पसन्द करते हैं, और आपने इस बात को देखा है क्या कि राजस्थान सरकार किसी भी स्टेज पर, जब कि एक तरह से सूचना मिल गई है तो जब तक कोई एब इनीशियो वोइड नहीं हो, किसी तरह से चुनाव को स्थगित करने का कोई कारण नहीं है, मैं निवेदन कर रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ इस बात को जानकर हुई । यदि कोई चुनाव गलत होता है, तो दफा 75, राजस्थान कोपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्ट्रार आर्बीट्रेशन को रेफर करता है और जो अवार्ड आर्बीट्रेटर्स का होता है, या आर्बीट्रेटर का होता है, वह एक तरह से इलेक्शन डिस्प्यूट में एक निर्णय होता है । उस निर्णय के खिलाफ कई प्रावधान दिये गये हैं, कहीं पर निगरानी या अपील हो सकती है । तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक्ट के तहत की बात में यह कहना कि चुनाव गलत हुए—जैसे यहां भूमि विकास बैंक का जिक्र किया, उसके चुनाव हो गये, तो उसकी कोई अपील हो सकती थी । मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी गलत ऑर्डर रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी या ऑफिसर चुनाव के संबंध में के विषय को छोड़िये लेकिन

(श्री शोभाराम)

कोई भी एक्जीक्यूटिव ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर गलत होता है, तो उसका रिवीजन करने, बदलने, तरमीम करने, या संशोधन करने की सेक्शन 128 के अन्दर गवर्नमेंट को पावर्स हैं और मैं यह कह सकता हूं कि न झुंझुनू की तरफ से, न दीगर जिलों की तरफ से इस प्रकार का 128 के तहत कोई विषय मेरे सामने आया। तो मैं यह कह रहा था, दूसरा रह जाता है, नोमीनेशन, तो नामीनेशन करने की—आप यह कह सकते हैं कि रजिस्ट्रार को पावर्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए उस एक्ट में तब्दीली हो जानी चाहिए—तो मैं समझ सकता हूं लेकिन जब तक एक्ट के तहत रजिस्ट्रार को पावर्स हैं, तब तक रजिस्ट्रार करेगा, रजिस्ट्रार का एक ओहदा है उस पर अच्छा आदमी भी बैठ सकता है, खराब आदमी भी बैठ सकता है और यह नोमीनेशन करने की पावर्स मैंने भारत के दूसरे सूबों के जो कानून हैं उनको भी मैंने देखा है, वहां पर मैं समझता हूं कि अधिकतर प्रान्तों में रजिस्ट्रार को नोमीनेट करने की पावर्स दी गई हैं। अब आप यह कह सकते हैं कि नोमीनेशन गलत हुआ, पावर्स का दुरुपयोग हुआ—तो इसकी परिभाषा को डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, कहीं 'ए' हो, या 'बी' हो या 'सी' हो—यह मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कौनसा आदमी ठीक है, कौनसा गलत है, नाना आदमी नाना प्रकार के हो सकते हैं....

श्री रामनरायण चौधरी : बुनियादी रूप से गलत हैं।

श्री शोभाराम : सुनिये।

श्री रामनरायण चौधरी : बुनियादी रूप से गलत है। जो आदमी म्युनिसिपल क्षेत्र का नहीं रहने वाला है, पंचायत क्षेत्र का है, वह कैसे वहां के कन्ज्यूमर स्टोर का डाइरेक्टर बन गया। वह इसलिए कि डिप्टी मिनिस्टर, श्री रामदेव सिंह का भाई है। वह ग्राम पंचायत सहकारी समिति का अध्यक्ष है और उसके अध्यक्ष की हैसियत से वह पंचायत समिति का मेम्बर है, तो वह कोपरेटिव कन्ज्यूमर स्टोर, झुंझुनू का कैसे मेम्बर है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामनारायण चौधरी : यह सोलिड तथ्य है, जो आदमी ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष है, पंचायत समिति का कोप्टेड मेम्बर है, वह आदमी झुंझुनू म्यूनीसिपल बोर्ड के अन्दर है और कन्ज्यूमर कोपरेटिव स्टोर के अन्दर गवर्नमेंट के द्वारा नॉमीनेट किया जाय। उसका वह आदमी हो सकता है जो वहां का रहने वाला हो। वह कैसे हो जायेगा ? सिर्फ इसलिए कि वह डिप्टी मिनिस्टर का भाई है ? आप यह कहना चाहते हैं क्या ?

श्री सांवरमल बासोतिया : ऐसे व्यक्ति को डाइरेक्टर लिया गया है जो वहां रहा नहीं है, बम्बई में रहता है, वहां व्यापार करता है, वहां की मीटिंग्स में एक बार भी नहीं आता है, ऐसे आदमी को रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सांवरमल बासोतिया : और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है।

श्री रामनारायण चौधरी : जो पहले कलेक्टर ने सूची भेजी थी, उपाध्यक्ष महोदय

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसको यह कह कर रजिस्ट्रार ने वापिस किया कि इसके अन्दर कुछ व्यापारी हैं। बाद में सूची आई उसमें पहले से ज्यादा व्यापारी आये और जिसको डाइरेक्टर नोमीनेट किया, जो डिप्टी मिनिस्टर श्री रामदेव सिंह का भाई है, वह स्वयं व्यापारी है और झुंझुनू में व्यापार करता है।

श्री शोभाराम : मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री रामनारायण जी. . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बधाई के पात्र हैं।

श्री शोभाराम : मेरे नोटिस में नहीं आया, न मुझे लिख कर दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने मुझे निराश कर दिया।

श्री शोभाराम : उस चीज पर मैं नहीं आना चाहता कि मेरी और आपकी क्या बात हुई, उस सबको मैं कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं इतना कह कर समाप्त कर देता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई बड़ा है तो इस वजह से वह नोमीनेट नहीं हो सकता। इतना इत्मिनान मैं दिला सकता हूं कि कोई गलत होगा तो मैं उसको ठीक करूंगा चाहे वह डिप्टी मिनिस्टर का भाई हो। मैं कह सकता हूं, मैं यह उम्मीद करके चलना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात मेरे सामने एक मर्त्तबा आती इस सदन में आने के पहले. . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत बात है। यह बात कह कर आप माननीय सदस्य को इस बात के लिए दबाना चाहते हैं कि यह सदन सर्वोपरि है उसमें न कहें और प्राइवेटली आपके सामने लायें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि आपका अभिप्राय क्या है ? मैं वह समझता हूं, आप भी समझते हैं। मैं दबाना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर की हैसियत से कहीं कोई गलत चीज या कार्यवाही होती है, तो कानूनी तरीके से कहीं भी कोई चीज आये, उस पर गौर किया जाय। तो ज्यादा मुनासिब होता कि यहां पर टीका टिप्पणी करने से पहले मुझे सूचना दे देते। इस एक्ट के तहत, प्रावधान के तहत यदि नोमीनेशन होता है तो उसमें क्वालिफिकेशन हैं कि फलां फलां आदमी. . .

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूं कि अन्य विषय भी हैं सदन के सामने, इसलिए भाषण को थोड़े में समाप्त करें।

श्री शोभाराम : मैं ज्यादा न कह कर इतना कह सकता हूं कि जिन चीजों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उनकी मैं जानकारी करूंगा। मैं समझता हूं कि जानकारी के परिणामस्वरूप मान लीजिये कि किसी आदमी के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे और निःसंकोच भाव से करेंगे, बिना किसी रुकावट के करेंगे, without any fear of contradiction and anything else I can assure the House that much.

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती मुझे अगर मौका दिया

(श्री शोभाराम)

जाता, इन तथ्यों को, जिनका मैंने जवाब दिया, यदि आप मुझे पहले देते तो मैं ज्यादा जानकारी रखता। मैं इतना विश्वास दिलाते हुए कि दो-तीन-चार प्रकार की बातें, जिनके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है, उनके सम्बन्ध में मैं स्वयं जानकारी करना चाहता हूं, इन्क्वायरी करना चाहता हूं, जांच करना चाहता हूं और जांच के परिणामस्वरूप जो कुछ उचित लगेगा, उसके अनुसार कार्यवाही करना चाहता हूं।

(3 म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि भागीरथ शर्मा को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाया, वह सहकारी विभाग का कर्मचारी था, क्या यह सही है कि वह शुगर फैक्टरी का नौकर था ? क्या यह सही है कि राजा निरंजनसिंह . . .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज !

श्री शोभाराम : आपने भागीरथ शर्मा का नाम तो बताया ही नहीं किसी ने।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय, ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि जांच करेंगे, तो आप खुद जांच करेंगे या किसी को जांच के लिये मुकर्रर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार होगा।

श्री शोभाराम: जो मसले हैं, उन पर नियमानुसार जांच होगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया: नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजा निरंजनसिंह।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज !

(श्री देवीदत्त गाड़िया बोलते ही रहे जो अश्रव्य था) माननीय सदस्य! ऑर्डर ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया: वह ड्राइवर शुगर फैक्टरी का है, राजा निरंजनसिंह ने इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं, उनको क्या अधिकार था . . . .

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या मंत्री महोदय, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि यह समय सारे सदन का है, माननीय सदस्य का अकेले का नहीं है। इस पर काफी चर्चा हो गई है, मैं आपका सहयोग ले कर सदन की कार्यवाही चलाना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी।

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में किये गये संशोधन सम्बन्धी शासकीय संकल्प पर संवैधानिक आपत्ति

श्री विशम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ! व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वित्त विभाग के मंत्री महोदय, बहुत महत्वपूर्ण संकल्प इस सदन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वे इसे सदन में प्रस्तुत करें इससे पूर्व मैं जानकारी चाहता हूं कि देश की अन्य किसी विधान सभा ने क्या इस प्रकार का संकल्प पारित किया है? तो फिर मैं आगे कहूंगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसकी सूचना अपने पास नहीं है। पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सदन के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाय ताकि राजस्थान विधान सभा द्वारा इस रेजोल्यूशन को पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह संविधान की किस धारा के अन्तर्गत सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी: संविधान की धारा 252 की उप-धारा (2) के तहत।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संविधान की धारा 252 के अन्तर्गत। यह लिखा हुआ है:

"If it appears to the Legislatures of two or more States to be desirable that any of the matters with respect to which Parliament has no power to make laws for the States except as provided in articles 249 and 250, should be regulated in such States by Parliament by law, and if resolutions to that effect are passed by all the Houses of the Legislatures of those States, it shall be lawful for Parliament to pass an Act for regulating that matter accordingly, and any Act so passed shall apply to such States and to any other State by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the House or, where there are two Houses, by each of the Houses of the Legislature of that State."

उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान की धारा 249 है जिसके अन्तर्गत जब एमर्जेन्सी हो कौंसिल ऑफ स्टेट....

श्री विशम्बरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, 249 का एमर्जेन्सी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोक्लेमेशन ऑफ एमर्जेन्सी के तहत संविधान की धारा 250 के तहत पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन लाने का अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं धारा 249 को इसलिये पढ़ रहा हूं कि इस रेजोल्यूशन में 249 का हवाला दिया है, मंत्री महोदय ने इसे पढ़ा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप व्याख्या न करें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Where as after the Proclamation has ceased to operate, Parliament has no power to make laws for the States except as

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

provided in article 249 of the Constitution........

श्री विशम्भरनाथ जोशी : But the Article relevant to this case is 250 and not 249.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी लिये तो पढ़ रहा हूं, 249 की रिलेवेन्सी हो गई है क्योंकि इस रेजोल्यूशन में इसका हवाला दिया है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : 249 के अन्दर तो इस प्रकार है कि कौंसिल ऑफ स्टेट्स टूथर्ड मेजोरिटी से आवश्यक समझें तो कर सकती है पर प्रोक्लेमेशन ऑफ एमर्जेन्सी के तहत संविघान के आर्टिकल 250 में पार्लियामेंट को पावर्स होते हैं। इसके तहत एस्टेट ड्यूटी बिल में पार्लियामेंट ने संशोधन किया है। प्रोक्लेमेशन ऑफ एमर्जेन्सी खत्म हो गई ह। 6 महीने में वे कानून प्रभावशून्य नहीं हो जाय, इसलिये राजस्थान के वित्तीय हितों में संविधान के आर्टिकल 252 के तहत राजस्थान विघान सभा इसे पारित करे। यह राज्य सरकार वांछनीय समझती है कि कि पार्लियामेंट भविष्य में इसे रेगुलेट करती रहे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के आर्टिकल 249 का और 250 का हवाला दिया गया है कि इसलिये 252 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव सदन में लाया जाय। 249 कौंसिल ऑफ स्टेट के लेजिस्लेशन के बारे में है। 250 में संट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिये गये हैं कि कोई कानून जो राज्यों पर और उस पर लागू हो, वह बना सकती है। एस्टेट ड्यूटी में एग्रीकल्चर लैंड के सम्बन्ध में लोक सभा ने कुल मिला कर 8 कानून बनाये हैं। 1962 में एमर्जेन्सी लागू हुई....

1. The Central Boards of Revenue Act, 1963.
2. The Finance Act, 1964.
3. The Taxation Laws (Continuation and Validation of Recovery Proceedings) Act, 1964.
4. The Direct Taxes (Amendment) Act, 1964.
5. The Finance Act, 1965 (10 of 1965).
6. The Finance Act, 1965 (15 of 1965).
7. The Taxation Laws, 1965, and
8. The Finance Act, 1966.

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मंत्री महोदय को प्रस्ताव करना है। आप पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में कहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस कारण से यह संकल्प प्रस्तुत किया है। मैंने जानकारी चाही है कि क्या किसी और लेजिस्लेचर ने भी इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत किया है तो मंत्री महोदय ने जानकारी प्राप्त कर ली कि दूसरी विधान सभाओं में इस प्रकार का संकल्प नहीं आया है। तो धारा 252 में विशेष महत्वपूर्ण शब्द हैं "स्टेट लेजिस्लेचर, रेजोल्यूशन्स" हैं तो हमारी विघान सभा में, और बाकी की स्टेटों के संबंध मे जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो तब तक अपनी विधान सभा में इस प्रकार का रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रकार का संकल्प विधान सभा में आना विधान की मंशा के अनुकूल नहीं है। इसलिए सरकार इस संबंध में जानकारी प्राप्त करे कि कौनसे स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जिनमें इस प्रकार के संकल्प आये हैं। आपने जानकारी दी कि वहां नहीं आया है तो ऐसी हालत में जब तक दूसरी स्टेट्स में नहीं आये, हमारे हाउस में इस प्रकार का रेजोल्यूशन नहीं आ सकता।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाने का प्रयास किया है। दरअसल उनका पोइंट ऑफ आर्डर में, मुझे माफ कीजिए, वजन नहीं है। यह सही है कि आर्टिकल 252(1) की जो भाषा है उसमें है "if two or more States" लेकिन सवाल यह है कि दो या तीन या 5 राज्य विधान सभाएं या विधान मंडल जो प्रस्ताव पेश करेंगे, हरेक विधान मंडल अलग अलग से पास करेंगे, साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे। तो भारत सरकार ने इस प्रकार के आशय का सुझाव और भी दूसरे राज्यों के सामने प्रस्तुत किया है। और भी कई विधान सभायें और विधान मंडल इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत करेंगे लेकिन किसी न किसी राज्य को पहल करनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दी जा रही है। पार्लियामेंट जब ही कानून पास कर सकती है जब दो या दो से अधिक विधान सभायें प्रस्ताव पारित कर दें लेकिन विधान सभाओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले कोई करे, जब दूसरा करे। यह होगा तो शुरूआत नहीं हो सकेगी, पहल किसी न किसी राज्य को करनी पड़ेगी। इसलिए जो औचित्य का प्रश्न है उसको मैं डिसएलाऊ करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार यह तो स्पष्टीकरण करे कि दूसरी विधान सभाओं ने इस प्रकार के संकल्प लाने में अभी तक कोई तैयारी नहीं की। आपको ही ऐसी जल्दी क्या है? जो लोकायुक्त और लोकपाल का सवाल आता है तो आप कहते हैं कि दूसरे राज्यों से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। हमें इस राज्य विधान सभा में एक कानून बनाने का अधिकार है, वह अधिकार हम संसद को देना चाहते हैं तो हम कानून खुद क्यों न बनायें इस संबंध में?

श्री उपाध्यक्ष : जब तक एक से अधिक विधान सभा पारित नहीं करेगी तो अपने आप ही संसद को अधिकार नहीं है कि उस संबंध में कोई कानून बनाए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार स्पष्टीकरण करे तो बहस होने में सुविधा हो, आखिर आपको ताकीदी क्या है कि जो अधिकार राज्य विधान सभा को कानून बनाने का है, संविधान में दिया गया है, वह अधिकार हम लोक सभा को दें कि वह कानून बनाए। उनको क्यों दें?

श्री उपाध्यक्ष : (मंत्री महोदय से) आप संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपने आपत्ति उठाई है तो उसका मुकम्मिल जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की तरफ से आज्ञा है कि आप संकल्प प्रस्तुत कर दें।

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में किये गये संशोधन सम्बन्धी शासकीय संकल्प का प्रस्तुतिकरण

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यतः आपत-स्थिति की उद्घोषणा के क्रियान्वयन की अवधि के दौरान संसद ने सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (अधिनियम 34, सन् 1953) में निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा संशोधन किया है, अर्थात्:—

1. दी सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट, 1963 (एक्ट 54, सन् 1963)।
2. दी फाइनेंस एक्ट, 1964 (एक्ट 5, सन् 1964)।
3. दी टैक्सेशन लॉज (कन्टीन्यूएशन एण्ड वेलीडेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स) एक्ट, 1964 (एक्ट II, सन् 1964)।
4. दी डाइरेक्ट टैक्सेज (अमेंडमेंट) एक्ट, 1964 (एक्ट 31, सन् 1964)।
5. दी फाइनेंस एक्ट, 1965 (एक्ट 10, सन् 1965)।
6. दी फाइनेंस नं० (2) एक्ट, 1965 (एक्ट 15 सन 1965)।
7. दी टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट एण्ड मिस्लेनियस प्रोवीजन्स) एक्ट, 1965 (एक्ट 41 सन् 1965) और
8. दी फाइनेंस एक्ट, 1966 (एक्ट 13, सन् 1966)।

और यतः संविधान के अनुच्छेद 250 के खण्ड (2) के अधीन उपरोक्त अधिनियम, जहां तक वे कृषि भूमि के संबंध में सम्पदा शुल्क से संबंध हैं, उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् छः महीने की अवधि की समाप्ति पर प्रभावशून्य हो जायेंगे।

और यतः उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् संसद को राज्यों के लिए सिवाय ऐसे मामलों के जो संविधान के अनुच्छेद 249 में प्रावधित हैं, उपरोक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जहां तक उनका संबंध कृषि भूमि के संबंध में सम्पदा शुल्क से है, विधियां बनाने की कोई शक्ति नहीं है।

और यतः इस विधान सभा को यह अभिष्ट प्रतीत होता है कि उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् छः महीने की अवधि के समाप्त होने पर भी संसद द्वारा राज्य में उपरोक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट मामलों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना चाहिए।

अतः अब यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि उपरोक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट मामलों का, जहां तक उनका संबंध कृषि भूमि के संबंध में सम्पदा शुल्क से है, राज्य में संसद द्वारा विधि द्वारा विनियमन किया जाय।

(3.15 म० प०)

(श्री केदारनाथ सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं इस संकल्प के विषय में इतना ही कहना चाहता हूं कि जब प्रोक्लमेशन ऑफ एमर्जेन्सी लागू थी, उस समय भारत की संसद ने एस्टेट ड्यूटी के बारे में और खास तौर से

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

एग्रीकल्चरल भूमि के विषय में भी कुछ संशोधन किए जिनका वर्णन मैं कर चुका हूं। इनके तहत एस्टेट ड्यूटी भारत के विभिन्न राज्यों में वसूल की जा रही। अतः इस संकल्प के द्वारा जो चाहा जाता है, वह यह है कि आज की जो नियमों संबंधी या लीगल या कानूनी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहा जा रहा है। आज मौजूदा स्थिति को यथावत् कायम रखना आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रोक्लेमेशन ऑफ एमर्जेन्सी खत्म हो चुका है और क्योंकि संविधान की धारा 250 का जो सब-क्लॉज (2) है, भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ एमर्जेन्सी के दौरान विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए भारत संसद जो भी कानून बनाएगी, उसके प्रोक्लेमेशन ऑफ एमर्जेन्सी के खत्म होने के 6 महीने बाद, वह प्रभाव शून्य हो जायेगा और इसलिए 8 अमेंडमेंट्स जिनके द्वारा एस्टेट ड्यूटी की वसूली राजस्थान में भी और दूसरे राज्यों में भी की जा रही है, वह प्रभावशून्य न हों क्योंकि प्रभाव शून्य होने से वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वह इसलिए पड़ेगा क्योंकि पिछले वर्षों में राजस्थान को भी अपने हिस्से की काफी रकम प्राप्त होती रही है, केंद्र से और अब यदि इस संकल्प को पारित नहीं करते हैं और दूसरे राज्य नहीं करते हैं तो अर्थ क्या होता है जो भी अमेंडमेंट्स थे "with regard to agriculture land" वे प्रभावशून्य हो जायेंगी और फिर टैक्स वसूल नहीं किया जायगा, नतीजा यह होगा कि राजस्थान को जो हिस्सा मिलने वाला है, वह नहीं मिलेगा।

माननीय सदस्य ने दलील दी वह सही है कि जो संविधान के 7th शिड्यूल की सैकंड लिस्ट, 48 एन्ट्री के अनुसार एस्टेट ड्यूटी और एग्रीकल्चरल लैंड स्टेट विषय हैं। राज्य विधान सभा में उस बारे में कानून बना सकते हैं लेकिन आखिर जन हित में हमें देखना है कि मल्टी-प्लिसिटी ऑफ लॉज और मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेज को एवाइड करना चाहिए। इस सदन में दोनों ओर से बारबार बजट के दौरान या दूसरे मौकों पर इस बात की मांग की जा रही है इतने ज्यादा कर नहीं होने चाहिए, जनता पर कर लगाने वाले इतने कानून नहीं होने चाहिए, किसान और दूसरे लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि अलग अलग करों की वसूली के लिए अलग अलग इन्सपेक्टर्स आएं और अलग अलग हिसाब रखने पड़े। उदाहरण के लिये यदि विधान सभा इस संकल्प को पारित नहीं करती है और सदन तय करता है कि टैक्सेज को राजस्थान में अपने तरीके से लगायें तो इसका अर्थ क्या होगा ? एक विषय एस्टेट ड्यूटी as related to agricultural Incom-Tax एक तो केन्द्र का लेजिस्लेशन होगा और हमारे राजस्थान का अलग होगा। तो जितने भी कर हैं उनकी वसूली के लिए एक आदमी केन्द्र का और राजस्थान का अलग इन्सपेक्टर होगा। केन्द्र के इन्सपेक्टरों के लिए दुकान पर बही खाते अलग होंगे और राजस्थान के इन्सपेक्टर को दिखाने के लिए अलग बही खाते होंगे। तो एक विषय पर दो

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

डिफरेन्ट लेजिस्लेशन्स होने लगे तो जनता को हैरसमेंट होगा और मल्टीपिलिसिटी ऑफ टैक्सेज और मल्टीपिप्सिटी आफ लाज को माननीय सदस्य पसन्द नहीं करेंगे। आज स्थिति यह है कि इसकी वसूली के लिए स्टाफ अलग नहीं रखना पड़ता है, राजस्थान सरकार को खर्चा नहीं करना पड़ता है।

(3. 18 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

हमारा हिस्सा स्वत: ही प्राप्त हो जाता है। मैं सदन को बतलाना चाहूंगा कि राजस्थान को कितना कितना पैसा प्रति वर्ष इस टैक्स के जरिए राजस्थान के हिस्से के रूप में मिलता है जबकि वसूली के लिए हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, काफी अच्छी आमदनी हो रही है। इस आमदनी को छोड़ दें जो आय का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, उसको हम अकारण ही समाप्त कर दें।

मैं समझता हूं वर्तमान वित्तीय स्थिति में उचित नहीं है। 65-66 में 30 लाख 78 हजार, राजस्थान को इस टैक्स के अपने हिस्से के रूप में मिले, 66-67 के वित्तीय वर्ष में 17 लाख 85 हजार मिले और 67-68 के वित्तीय वर्ष में में 29 लाख 67 हजार रुपये मिले हैं। इसमें एक भी पैसा वसूल करने में खर्च नहीं करना पड़ेगा। कलेक्टर ने वसूल करके दे दिये हैं। इसमें जनता की दो राय नहीं होनी चाहिए। इसके वसूल होने में दोहरा खर्च बच जाता है। म समझता हूं कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि हमको इस प्रस्ताव को पास करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह प्रावधान है कि दो या दो से अधिक धारा सभायें और विधान मण्डलों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। राजस्थान को इसमें पहल करनी चाहिये। क्योंकि कोई न कोई विधान सभा, या धारा सभा को तो पहल करनी ही पड़ेगी। भारत सरकार ने इसी मंशा से पत्र भेजा है। हम इस संकल्प को प्रस्तुत करते हैं। इसमें दो राय नहीं है। जनता की सहूलियत की दृष्टि से भी और टैक्स वसूल करने की दृष्टि से भी, क्योंकि 25, 30 या 35 लाख की रकम की बिना कुछ खर्च किये ही आमदनी हो रही है तो उसके लिये हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। कोई लीगल पोजीशन है, उसको चेलेन्ज नहीं कर रहा हूं—हम तो स्टेट्स को मेन्टेन करने जा रहे हैं

It is a consequential amendment.

श्री उपाध्यक्ष : आपको उत्तर भी देना ही पड़ेगा, कई माननीय सदस्य बोलेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि दूसरे बहुत अहम मामले भी हैं। विजिलेन्स कमीशन का भी मामला डिस्कस करना है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बहुत रिपिटीशन कर रहे हैं। सरकारी स्टेशनरी का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय, इसे स्पष्ट कर दीजिये। आपने भीअ बताया कि 65-66 में 30 लाख 78 हजार, 66-67 में 17 लाख 85 हजार और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

67-68 में 29 लाख 37 हजार घर बठे बैठे वसूल हो गया। किसानों से हमको वसूल नहीं करना पड़ा और राजस्थान की सरकार किसानों में बदनाम नहीं हुई। घर बठे बैठे पैसे मिल गये। इस एस्टेट ड्यूटी के तहत सरकार ने टैक्स लगाया है इसमें जो यह पसा है उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट कितना पसा वसूल करती है?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य अगर इसकी जानकारी चाहेंगे तो इसके भी आंकड़े दे दिये जायेंगे। प्रश्नोत्तर काल तो है नहीं कि जो आप पूछें उसका उत्तर दे दूं। आप प्रश्न पछ लीजिये, उत्तर मिल जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो हिस्सा आप राजस्थान का कह रहे हैं, इस टैक्स के तहत, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने 90 लाख वसूल किया है और आपको 30 लाख दे दिया, इसमें खुशी की कौनसी बात है। 60 लाख ले गये वे तो।

श्री रामकिशन (वैर) : ऐसे दे नहीं सकते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : ऐसा ही तो है जभी तो शेयर वाली बात है।

श्री रामकिशन : शेयर का जो सवाल ह एस्टेट ड्यूटी में, इसका क्या मतलब है? ज्यादा वसूल किया और कम दिया, ऐसी स्थिति है क्या?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शेयर दिया है पूछ लीजिए आप उनसे।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : ऐस्टेट ड्यूटी में एग्रीकल्चर लैण्ड होती है और वह सारा सेन्ट्रल का सब्जेक्ट है। एस्टेट ड्यूटी वसूल करते हैं तो उसमें कुछ लेण्डेड प्रापर्टी होती है। राजस्थान का उसमें हिस्सा नहीं होता है। राजस्थान को जो मिलता है वह एग्रीकल्चरल जो प्रापर्टी है in respect of that सेन्ट्रल गवर्नमेंट रियेलाइज करती है।

श्री रामकिशन : वह तो समझ गये हम आपके कहने का मतलब। राजस्थान में कृषि भूमि है, उससे सम्पदा कर वसल होता है। यह इतना ही हुआ न आपके कहने का मतलब। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कितना वसूल किया और वह राजस्थान को कितना मिला, यह बताइयें?

श्री उपाध्यक्ष : हिस्सा तो पूरी चीज का ही होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह जानकारी प्राप्त करने का इस सदन को अधिकार है कि संकल्प को पारित करने से पहले यह देख लिया जाय कि राजस्थान को आर्थिक दृष्टिकोण से हानि ह या लाभ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : आर्थिक दृष्टिकोण से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान को लाभ है। हानि का कोई सवाल ही नहीं है। इसके दो कान्सिक्यून्सेज होंगे। उसके बाद राजस्थान राज्य को अलग से अपना एस्टेट ड्यूटी के संबंध में एग्रीकल्चरल लैण्ड का कानून बनाना पड़ेगा। उसके लिये अलग से स्टाफ रखना पड़ेगा सम्भव। है एक तिहाई या दो तिहाई स्टाफ रखना पड़े। जब कि कलेक्टर आज की हालत में उसको निल कर रहे

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

हैं। दूसरी बात राजस्थान की विधान सभा कोई नियम नहीं बनाती है तो इसका आशय यह हो जाय कि 30 लाख की जो वार्षिक है, वह खतम हो जाय, जो आज की वित्तीय स्थिति में ठीक नहीं है। यह राजस्थान राज्य के हित में है। इस संकल्प को पारित किया जाय। आर्टिकल 252 के तहत "To legislate by Consent.'

श्री रामकिशन : वह तो समझ गये सारा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज? आर्डर, आर्डर।

एक निवेदन मैं ही कर दूं कि अगर वाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहते हैं तो एसा कह दीजिये ताकि सन्तोष हो जाय और समय भी खर्च न हो।

श्री रामकिशन : जानकारी इसलिये ली जा रही है कि वाद-विवाद की दिशा ही बदल जायगी हमें 30 लाख मिलता है, 50 लाख मिलता है तब तक वाद-विवाद की स्थिति रहेगी। जितना सेन्ट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, उसमें कलेक्शन चार्जेज काटकर राजस्थान को दे देती है या कोई दूसरी स्थिति है। माननीय मंत्री जी यह बता दें ताकि वाद-विवाद की दिशा ही बदल जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा भी यही निवेदन है, साथ ही साथ मंत्री महोदय इसका उत्तर दे दें। अगर इसमें कोई कान्सीक्यून्सिअल चेंजेज हैं तो मेरी पूर्ण सहानुभूति है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कान्सीक्यून्सल चेंजेज नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कान्सीक्यून्सयल चेंजेज नहीं है तो उनको कहने दो।

श्री रामकिशन : राज्य करें वे और उत्तर दें हम, यह नहीं हो सकता है कि यह भी हम ही बतायें। उत्तर आ जायेंगे तब बता देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : In short if the matter is purely considered at the stage of admission, it is the right of the House to enquire from the Treasury Benches whether passing the measure is total loss to the Rajasthan or gain ? If you cannot answer this question which has financial implications and pros and cons of the measure, it means you refuse to answer.

रामकिशन : हिन्दी में.....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से.....

उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय अंग्रेजी जानते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Again the Hon. Minister wants to avoid multiplicity of laws, I have complete sympathy with the idea. The Multiplicity of laws must be avoided in the

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

interest of the country and the State.

The issue I want to enquire directly from the Minister is that the States are articipant in the Central pool, that is to say, that the Central pool is one whole and all the participants are part of that whole, Being a component of the whole, you participate and share in the whole. Whether that share is beneficial to Rajasthan so far as the financial implications are concerned, is very relevant question, and the House is entitled to ask the Hon. Minister, whether it is purely financial measure, whether it is designed to avoid multiplicity of laws, the main issue at stake is whether financially it is a total loss or gain ?

श्री रामकिशन : खेत सिंह जी बड़े ध्यान से समझ रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : You are a party to dispute and you should know whether you are a gainer or loser ?

श्री रामकिशन : अंग्रेजी में नहीं होगा साहब।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने उपाध्यक्ष मोहदय से व्यवस्था ले रखी है। Article 249 clearly uses plurality "one or more States". You are the first State in the country who have taken initiative. Shame to that initiative, if it results in loss to the State and State Exchequer.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : महारावल साहब खूब छक्का मारा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: सतीशजी यह छक्का नहीं एल० बी० डब्लयू० करने का ऑफस्पिन है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जो शंका प्रकट की है मैं समझता हूं माकूल जवाब इसके रखने के लिये नहीं है। जैसा कुछ आपने बताया इसमें पार्ट करने से राजस्थान को वित्तीय लाभ होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार की यह निश्चित राय है कि इसको पारित करने से राजस्थान राज्य की यहां की जनता के वित्तीय हित की रक्षा होती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यह शब्द जो शेयर यूज किया गया है इसलिये यूज किया गया है असलियत में Estate duty as a whole, I have completely an open mind, is a national issue. This is an issue affecting the people at large. We should rise above all considerations of party. I have an open mind in this respect and

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
I will submit to the Chair that the ruling of the Chair will stop all waste of time in unprofitable rambling.

श्री उपाध्यक्ष : इस पर जो जानकारी माननीय सदस्य चाहते हैं जो टैक्स वसूल किया जाता है सेन्टर द्वारा वह आपको दिया जाता है उससे अधिक है या कितना वसूल किया जाता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जानकारी माननीय मंत्री के पास नहीं है इसलिये अच्छा हो कि वित्त मंत्री जी आयें उस दिन इसको रख लिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस पर मन्जूरी सदन से लेने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति तो मैं समझता हूं आवश्यक नहीं, लेकिन उनकी राय और परामर्श मेरे ख्याल में अनावश्यक नहीं था।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : जितनी जानकारी मेरे पास है, वह मैं सदन में देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आज ही यह पास हो यह आवश्यक नहीं है। पूरा माह खतम नहीं हो रहा है और किसी दिन लिया जा सकता है। आपने प्रस्ताव तो प्रस्तुत कर दिया है, इसका पारण किसी दिन कर सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो कोमनसेन्स का प्रपोजिशन है। यह तो हमारे और सेन्टर के बीच Principle of फेडरल फाइनेन्स अरेन्जमेंट को वायोलेट करता है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : Not at all, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा निवेदन है If there are more and more States to undertake the loss, then I can understand, but you are the only single State.

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : What date you have fixed ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय डेट बताने के लिये नहीं है। आप दफ्तर से मालूम कर लें।

राजस्थान सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार

श्री खेतसिंह (उपमंत्री, गृह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सतर्कता आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन पर, जिसकी प्रति दिनांक 23 फरवरी, 1968 को सदन की मेज पर रखी गई है, विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने के लिये आप कितना समय निर्धारित करना चाहते हैं ? यह आज ही खत्म होगा या कल भी इस पर विचार होगा ।

श्री दुर्गालाल बाढदार: इस पर महत्वपूर्ण चर्चा चलेगी इसलिये इसमें समय निर्धारित कर देने से काम नहीं चलेगा ।

श्री मूलचन्द डागा : इसको कल के लिये भी रखा जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा आज ही समाप्त होगी अगर सदन की अनुमति हुई तो समय बढ़ाया जायगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह विजीलेन्स कमीशन की द्वितीय रिपोर्ट महत्वपूर्ण है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने एक पूरे दिन का समय इसके लिये निर्धारित किया था जिसमें लगभग पांच घण्टे थे । यह ऐसा विषय है जिस पर सभी बोलना चाहेंगे । इसमें केवल प्रस्ताव पास करने का नहीं अगर आज यह नहीं हो तो इसके लिये और कोई तारीख रख ली जाय ।

श्री रामकिशन : इसके बारे में सरकार को दिशा ज्ञान मिलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये आधा दिन निश्चित किया गया था । आसन की ओर से बारबार माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि समय कम लें, सप्लीमेन्टरी कम पूछें लेकिन इस ओर माननीय सदस्यों का ध्यान कम रहता है । आज के कार्यक्रम के अनुसार दो विषय लेने थे । एक को पोस्टपोन कर दिया । दूसरा यह प्रतिवेदन है जिस पर आज विचार पूरा होना है अगर बाद में उचित हुआ तो कुछ समय और बढा दिया जायगा ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): एक घण्टे में तो यह खत्म नहीं होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर सप्लीमेन्टरी के लिये ज्यादा समय मिल जाता है, तो यह आसन की उदारता है और आसन उदारतापूर्वक विवाद चलने देता है । इसके अलावा स्थगन प्रस्तावों पर या कभी छात्रों की हड़ताल के बारे में चर्चा चल जाती है । उसके लिये बिजीनस एडवाइजरी कमेटी को पहले तो यह मालूम नहीं हो सकता कि कल क्या प्रश्न उठने वाला है ? गृह मंत्री चाहें कि एक घंटे में विवाद होकर इससे पिण्ड छूट जाय, यह होने वाला नहीं । मैं समझता हूं गृह मंत्री भी चाहेंगे इस पर पूर्ण वाद विवाद हो ।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति ने इसके लिये आज का दिन निर्धारित किया है आज इसको नहीं लेंगे तो आगे समय इसके लिये नहीं रहेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अप्रेल के प्रथम सप्ताह में इसको ले सकते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : बिजीनस एडवाइजरी कमेटी ने इसके लिये आज का समय निर्धारित कर रखा है । यदि माननीय सदस्यों की राय हो तो सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स के लिये जो दो दिन रखे हैं उसको एक दिन कर दिया जाय और इसको कल भी रख दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स के लिये बजट पर काफी समय मिलेगा वाद-विवाद के लिये । सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स के लिये एक रोज रखा जाय, कल इस पर बहस हो जाय ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बिजीनस एडवाइजरी कमेटी का जो निर्णय है वह मुझे मन्जूर है ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय डिमान्ड्स के लिये दो दिन रखे हैं वे ठीक हैं ।

(श्री रामकिशन)
लेकिन यह मामला ऐसा है जिसका ताल्लुक आम जन सधारण से रहता है। इस पर सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे इसलिये आज का समय इसके लिये कम रहेगा। रहा बिजीनस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय का उसके लिये मेरा निवेदन है कि बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने स्थगन प्रस्ताव हड़ताल संबन्धी वक्तव्य आदि तो होते नहीं है, इसलिये वह इस बारे में ठीक से निर्णय ले पावे, यह संभव नहीं होता। इस बारे में सरकारी पक्ष को उदार होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सुझाव दिया है डिमान्ड्स पर बहस के लिये एक दिन रखा जाय। और इस पर कल भी विवाद हो जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : समय की जरूरत होगी तो और ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सतर्कता आयोग की स्थापना 29 अप्रेल....

श्रीदामोदरलाल व्यास : क्या तै हुआ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप किसी तरह इसे 31 मार्च को ले लें या कल आधा आधा ले लें या अप्रेल के पहले दिन ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : कल आधा दिन दे दिया जावे।

श्री मूलचन्द डागा : कल आधा दिन तीन बजे पूरा हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : रिलेवेन्ट बात कहें और संक्षेप में कहें तो हो सकता है। फिर ये परिस्थितियां तो हमेशा ही साथ रहेंगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : हरेक के लिये समय निर्धारित कर दिया जावे। किसी को डेढ घण्टा मिले और किसी को दस मिनिट भी नहीं मिले। सबको बराबर समय मिले इस प्रकार की व्यवस्था हो जावे तो ठीक है।

श्री रामकिशन : ऐसा हो जावे कि कांग्रेस वालों को दो दो मिनिट और विरोधी लोगों को दस दस मिनिट इस तरह कर दीजिये। उनको बोलना क्या है, राज करना है उनको तो।

श्री उपाध्यक्ष : समय तो इसी तरह खर्च कर देते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसका उपयोग तो रामकिशनजी कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सतर्कता आयोग की स्थापना 29 अप्रेल, 1964 को हुई। अतएव इस आयोग को स्थापित हुए लगभग चार वर्ष होने आये। यह रिपोर्ट जो सदन के समक्ष आई है यह दूसरी रिपोर्ट है। सेकण्ड रिपोर्ट।

गये वर्ष मैंने मन्त्री महोदय का इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया था कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत हो, इस सदन में वह एक साल पूर्व की होनी चाहिये। ताजा होनी चाहिये, ताकि उसके ऊपर अगर बहस भी हो, हम लोग अगर महनत कर के बातें भी कहें तो सार्थक हों, अन्यथा तीन चार वर्ष पहले की रिपोर्ट अगर सदन में आई और उसके सम्बन्ध में कोई सुझाव भी दिये गये

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो मेरे ख्याल में उसका कोई मूल्य नहीं है और उनका कोई महत्व भी नहीं रह जाता है।

मुझे यह जानकर खुशी है कि सदन के समक्ष जो गत वर्ष की रिपोर्ट मेरे सुझाव के अनुसार आई है उसके ऊपर जो चर्चा सदन के अन्दर होगी, वह अवास्तविक नहीं होगी।

इसके पूर्व कि मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में बहुत सी बातें हैं, उनमें से कुछ बातों के सम्बन्ध में प्रकाश डालूं, यह आवश्यक समझता हूं आज कि राजस्थान की समस्या को देखते हुए, हमारे देश की समस्या को देखते हुए कि इस आयोग की आवश्यकता इस आयोग के प्रशासन के सम्बन्ध में जो महत्व है, उस सम्बन्ध में मैं दो शब्द निवेदन करूं।

संसार में, उपाध्यक्ष महोदय, कई तरह की सरकारें हैं। डिक्टेटरशिप वाली हैं, एक पार्टी का राज है, डेमोक्रेसी है, राजावाद है, कोई भी वाद हो लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी राज चाहे जनता के प्रतिनिधि का हो किसी का हो, उसके प्रति है, यह निर्विवादित बात है। हमारा देश विशाल देश, गौरवान्वित देश जनतन्त्र की प्रणाली पर प्रशासित है।

अनादि काल से यह कहावत मशहूर है कि यथा राजा तथा प्रजा। शासन में खामियां हुआ करती हैं, लेकिन जनतन्त्र के अन्दर जब एक ही दल का लगातार शासन चला आता है, पार्टियों का शासन बदल बदल नहीं होता है तो जैसे लार्ड विक्टर ने कहा Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. इसमें मेरे ख्याल में बहुत कुछ तथ्य है और आज जो प्रक्रिया हमारे देश के अन्दर है, राजस्थान भी वंचित नहीं है उस प्रक्रिया से, जो हम प्रक्रिया पाते हैं वह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे हमें सबक लेना चाहिये, हमारे आचरण को पवित्र करना चाहिये। मैं यदि निवेदन करूं कि स्वतन्त्रता के पूर्व जो ब्रिटिश का शासन था उसमें कई खामियां होंगी, किन्तु इतना भ्रष्टाचार नहीं था।

मैं आपको यह निवेदन करूं कि बहुत से उच्चाधिकारी विश्राम प्राप्त कर के विलायत में जाकर मरे, वे बहुत गरीबी की हालत में मरे। आज उच्चाधिकारी विश्राम प्राप्त करके और अगर मरते भी हैं तो सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था होनी तो स्वाभाविक है, किन्तु उसके उपरान्त भी, मैं माननीय किसी मन्त्री का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी के पास करोडों रुपये, किसी के पास 80 लाख रुपये, किसी के पास कितने रुपये जो हमारी जैसे लोगों के पास जो वंश परम्परागत एक पूंजीवादी संस्था कहें या राजवादी संस्था कहें, उनके पास भी इतना धन नहीं होगा उतना धन आज की आपाधापी में उच्च कर्मचारियों ने, मेरे ख्याल से अनुचित रूप से प्राप्त किया है। यदि मैं यह कहूं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह रिपोर्ट पर डिस्कशन हो रहा है या जनरल डिस्कशन हो रहा है।

श्री दुर्गालाल बाड़बार: पहले व्यवस्था के प्रश्न को समझने की कोशिश करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: आयोग की उपयुक्तता के विषय में प्रकाश नहीं डालूं तो यह तो वैसे ही होगा, that is putting cart before the horse.

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

गाडी आगे कर देना और बैलों की जोडी को पीछे करना और फिर गाडी को धकेलने वाली बात हो जावेगी। आज तो गाडी चलती नहीं है, बैल भी बूढ़े हो गये हैं। कह कह कर धकलवाते हैं।

आपकी मरजी, यह चाहें तो यह।

किन्तु मैं समझता हूं आयोग की स्थिति है उस सम्बन्ध में मैं प्रकाश डालूं। आयोग की स्थिति के सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डालूंगा तो मेरे खयाल में मेरा कर्त्तव्य पूरा नहीं करना होगा। तो आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो दिखाई दे रहा है वह भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे जा रहा है। व्याप्त है ऊपर। इसके सिलसिले में आज हम क्या देखते हैं कि बेचारे कर्मचारीगण बिल्कुल डिमोरेलाइज हो चुके हैं। नैतिक पतन उनका हो चुका है। मैं उद्धरण भी दूंगा लेकिन जहां पर जनतन्त्र के सिद्धान्त पर जो देश चलता है, वहां पर कर्मचारीगण शासन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर कर्मचारीगण का नैतिक पतन हो, अगर उनमें डिमोरेलाइजेशन हो, तो फिर वह जनतन्त्र नहीं रहता, फिर तो वह भ्रष्ट अधिनायकवाद की गणना में आ जाता है। Absolute power corrupts absolutely—जहां भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार गगनचुम्बी स्थिति में पहुंचा देता है। यह मैं आज स्पष्ट देख रहा हूं।

थोड़े दिन पहले कांग्रेस के सम्माननीय सदस्यों ने योजना काल के अन्दर आपाधापी का उदाहरण प्रस्तुत किया। मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया, वह पर्याप्त था या अपर्याप्त, इससे मुझे प्रयोजन नहीं। किन्तु एक दल के लोग अगर ऐसी बात उठावें सहकारिता विभाग के अन्दर आपाधापी है, उसके सम्बन्ध में वे ही अल्लेख करें तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। यह स्वस्थ परम्परा है। हम नहीं चाहते कि दल परिवर्तन कर के इधर वे आवें पर दल के हित में अगर उनके मुद्दे उठाना ही अगर भ्रष्टाचार की स्पेसिफिक इन्स्टान्स कोट करना है तो मेरे खयाल में कांग्रेस के नियन्त्रण में फर्क नहीं आ सकता। यह स्वस्थ परम्परा है। इसका मैं स्वागत करूंगा। . . . . . .

नैतिक पतन का मूल लक्षण क्या है उपाध्यक्ष महोदय। जहां भी नैतिक पतन होता है वहां पर अनिवार्य रूपेण शोषण आता है। शोषण के फलस्वरूप उत्पीड़न होना अनिवार्य है और जहां पर जिस देश के अन्दर शोषण और उत्पीड़न हो वहां पर अशांति होना स्वाभाविक है। यह प्रकृति का सर्वप्रथम नियम है, सामान्य बुद्धि से भी हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया अनिवार्य है। 20 वर्ष के कांग्रेस के शासन में अविकल और अविच्छिन्न शासन के अन्दर सब दोष आज प्रस्फुटित हो गये हैं। The picture is fully developed. आज हम क्या देखते हैं कि शासन का सिद्धान्त हो गया "बापू का नाम जपना पराया माल अपना" और यही कांग्रेस का सिद्धान्त रह गया है।...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: Absolutely wrong.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: Absolutely right perhaps. Why do you say so ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: No, absolutely wrong, Sir.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आज गांधी जी के सिद्धान्तों से यह पवित्र संस्था सैकड़ों कोस परे जा चुकी है । आज केवलमात्र इसका सिद्धान्त क्या रह गया है कि अवसरवादी–येन केन प्रकारेण कुर्सी पर चिपके रहना । चाहे किसी भी कीमत पर चिपके रहना और गोंद लगाकर भी चिपके रहना और छोड़ना नहीं । ....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो जनता चिपकाती है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : जनता तो नहीं चिपकाती । आपके बैलों से काम नहीं चले तो आपको भैंसे पकडकर लाने पड़े ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आज, उपाध्यक्ष महोदय, लाइसेन्स, परमिट, कोटा के बिना कोई व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता । कोई किस्म की व्यापारियों को छूट नहीं । आज, उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी अपने इम्तिहान में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, बिना सिफारिश और रिश्वतखोरी के । आज कोई भी बिना सिफारिश और रिश्वतखोरी के नौकरी नहीं पा सकता, उसका उत्थान नहीं हो सकता, उसकी तरक्की नहीं हो सकती । यह आज शासन का मूल लक्षण और मूल्यांकन है । इतना ही तक नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कोई रोगी बेचारा गरीब है उसके लिए चिकित्सा व्यवस्था अनुपलब्ध है । अगर कोई पैसे वाला भी है तो भी बिना रिश्वत के वह अपने आपका इलाज किसी भी अस्पताल के अन्दर नहीं करा सकता । इसके बावजूद कि आज चिकित्सा व्यवस्था जो 20 वर्ष के पूर्व थी उससे शायद 20 गुनी विस्तृत है । तदुपरान्त भी उसकी उपयोगिता गरीब लोगों के लिए नगण्य सी है । यह आज की प्रशासन व्यवस्था है । सिफारिशों का तांता ठेठ नीचे से ऊपर तक है । पक्षपात और भाई भतीजावाद की पराकाष्ठा हो गयी है और अब तो यह इतना तक हो गया है कि सुनाते और कहते हुए भी दुख होता है । छोटे छोटे कर्मचारी यथा राजा तथा प्रजा कहते हैं । जयहिन्द का जमाना है, जेब गरम करो । इस परिस्थिति पर अंकुश लगाने के लिए मेरे खयाल से हमारे दल ने सबसे पहले यह सुझाव हमारे नेता, प्रवर्त्तक राजगोपालाचारी ने रखा कि ओम्बड्समैन के रूप में कोई न कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए कि जो मंत्रियों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी के आचरण की जांच समय पडने पर कर सकें । मैं फिर इस मांग को दोहराऊंगा और सरकार से यह पुरजोर रूप से निवेदन करूंगा कि आज की सरकार के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए, कांग्रेस दल को सुदृढ बनाने के लिए आप ही के हित में यह परमावश्यक है कि यह आयोग पूर्णरूपेण अराजनैतिक हो । यह आयोग पूर्णरूपेण सत्तासम्पन्न हो, यह आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र हो । अगर यह बात नहीं है तो मेरे खयाल में फिर इस आयोग को रखना और नहीं रखना बेकार है । मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन यह शासन का मूल लक्षण मैंने पाया है कि जो संस्था पुरानी होती जाती है उसके खर्चे बढ़ते ही जाते हैं । अब इसके खर्चे तो बढ़ रहे हैं और भी बढ़ेंगे, कर्मचारियों की तादाद भी बढ़ रही है, वेतन भी ब॰ रहे हैं । गरीब टैक्स देने वाले आदमी के ऊपर भरकम भार लादा जा रहा है और इसकी उपयोगिता बिल्कुल न गण्य सी है । तो, उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र के अन्दर 'मेजस्टी ऑफ ला' न्याय का प्रभुत्व होना परमावश्यक है । क्योंकि जनतंत्र 'रूल ऑफ ला' है । बिना 'रूल ऑफ ला' के एक मिनट भी जनतंत्र नहीं चल सकता । अगर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
आप चाहें कि आप जनतंत्र को अपनी मर्जी पर चलायें तो वह नहीं चलेगा--नहीं चलेगा और देश की बरबादी के सिवाय और कोई दूसरी बात होने वाली नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है पुरजोर रूप से आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

यह अक्सर देखने में आया है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बार बार कानून की अवहेलना होती है और कानून की अवहेलना कराने में नेताओं का हाथ होता है। कर्मचारीगण जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून क्या कह रहा है, कानून की क्या मन्शा है किन्तु वह विवश हैं। वह बिल्कुल डीमोरेलाइज हो गये हैं। मैं मेरे क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसके दो एक उदाहरण दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पूर्व डूंगरपुर जिले में एक म्युनिसिपल गांव है जिसका नाम सागवाड़ा है, वहां म्युनिसिपल चुनाव होने जा रहे थे। यह एक सामान्य बुद्धि की बात है कि चुनाव के पहले, मतदान के पहले 24 घन्टे पहले आम सभा, जलूस, भाषण आदि बन्द हो जाते हैं। कांग्रेस दल ने 9-10 घन्टे मतदान के पहले जलूस निकाला, आम सभा की। हमने आपत्ति उठाई। वहां के बेचारे बी०डी०ओ० महाशय, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर थे, को मेरे आदमी ने स्वयं जाकर आपत्ति-पत्र प्रस्तुत करने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि मैं आपत्ति-पत्र लेने में विवश हूं क्योंकि मैं अभी म्युनिसिपल एरिया के अन्दर घूम रहा हूं। इसलिए आपत्ति-पत्र नहीं लिया जा सकता। चुनाव हुए, उसके कुछ भी परिणाम हों, इसमे मुझको मतलब नहीं। एक स्पष्ट रूप से कानून की अवहेलना के पश्चात् चुनाव याचिका दायर की गयी। अब पेशियों पर पेशियां पड़ रही हैं। कांग्रेस के नेताओं पर मुझको दया आती है, अकल का अजीर्ण है हजारों आदमियों ने देखा कि आम सभा हुई, हजारों ने देखा कि जुलूस निकला और कहां गये भोलाभाई मेरे मित्र, वह कहते हैं कि सभा भी नहीं हुई और जुलूस भी नहीं निकला। यह क्या शोभनीय अवस्था है ?

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने अब आंखों का ऑपरेशन करा लिया है। अब दिखेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डूंगरपुर पंचायत समिति के प्रधान के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। 6-7 महीने पहले अविश्वास का प्रस्ताव आया। बिल्कुल कानूनी व्यवस्था के विपरीत आया। तारीख जो मुकर्रर की गयी थी, वह भी बल्कि कलेक्टर के द्वारा उसकी तारीख को मनसूख करके अन्य तारीख डाली गई।

(4 म० प०)

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। हाई कोर्ट के अन्दर रिट दायर की गई और स्टे ऑर्डर फौरन प्राप्त हुआ। अब जब यह मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है, सब-जुडिस है और स्टे ऑर्डर है, तो दूसरा अविश्वास प्रस्ताव फिर आया। वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, वह कैसे बैठे बैठे पारित हुआ, माननीय सदस्य यहां हैं नहीं, वहां महिला वर्ग को कन्धे दबा दबा कर खड़ा नहीं होने दिया। यहां पर भी मतदान होता है, कोई हारे कोई जीते, इसकी परवाह नहीं लेकिन एक हां पक्ष और ना पक्ष की व्यवस्था तो होनी चाहिये कम से कम। यह सब देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कोई इन्साफ

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है, यह कोई न्याय है ? वहां पर उन लोगों को उठने नहीं दिया गया और कलेक्टर महोदय ने घोषणा कर दी कि प्रस्ताव पारित हो गया। मैंने हमारे डूंगरपुर पंचायत समिति से तावड़तोड़ में जोधपुर आदमी भेजा। मैं जानता था कि क्या होगा। कल ही उनको ऑर्डर मिला है। यह तो मेरे खयाल से कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय का अनादर है। यह कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट होते हुए भी, वे जिस रूप से वोटर्स को कन्धे दबा दबा कर उठने नहीं दे रहे थे, बीच का एक रास्ता निकाल दिया गया और प्रस्ताव के पक्ष में गिनती करके यह कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ।

तो जहां विरोधी पक्ष को हराना है, वहां तो इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है और कोर्ट की दो बार रूलिंग होने के बाद भी यह होता है, यह कैसा न्याय है ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री देवीदत्त गाड़िया: बैठो, बैठो आप

श्री दुर्गालाल बादृदार : आप भी अपने विचार बाद में व्यक्त कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैं कह रहा था, आप भी थे वहां पर, कन्धे दबा रहे थे। उठने तक नहीं दिया।

एक माननीय सदस्य : क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यह आसन का काम है। आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज, आर्डर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो जहां विरोधी पक्ष को कमजोर बनाना है, वहां तो हर तरह से आतंकित करके उसको हराया जाता है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय सदस्य ने कहा कि इस बारे में न्यायालय में मामला चल रहा है, तो मामला जब सब-जुडिस है, तो क्या माननीय सदस्य इस पर चर्चा उठा सकते हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्यों नहीं उठा सकते ?

श्री गिरधारीलाल व्यास: नहीं उठा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब-जुडिस है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : साधारणतया जो मामला किसी न्यायालय में चल रहा है, किसी कोर्ट के समक्ष है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती विधान सभा में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : विरोधी दल के नेता को इस सम्बन्ध में ज्ञान है।

एक माननीय सदस्य : नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बकवास करते हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं जिस संदर्भ में उदाहरण दे रहा हूं, वह यह है कि जो कलेक्टर महोदय ने व्यवस्था दी थी उसको हाई कोर्ट ने अमान्यता दी है। इसमें मेरे खयाल में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

I am within my rights to raise that तो मैं यह कहना चाहता था कि विरोधी पक्ष को कमजोर बनाने के लिये, उनको हराने के लिये राज्य कर्मचारी, मंत्री और नेता, सब एक होकर, येन केन प्रकारेण, पूरी कोशिश करते हैं।

अभी कुछ दिन पूर्व जन संघ के एक माननीय सदस्य ने प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में निवेदन किया कि अविश्वास प्रस्ताव को लायें हुए आज 12 महीने हो गये। यह तो बिल्कुल सिम्पल और साधारण चीज है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिये मौका दिया जाता है। कानूनी व्यवस्था ऐसी है और रूल्स के अन्दर प्रोवीजन है कि यह प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन जब यह प्रस्ताव आया तो कह दिया कि बी० डी० ओ० नहीं हैं, दूसरी बार कह दिया कि कोरम नहीं है, इस तरह उसको टालते रहे। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो गई। तो इस तरह से हर तरह से आपाधापी और लाएत लाली काम में लाते हैं। यह मेरे खयाल से बहुत ही अशोभनीय व्यवस्था है जनतन्त्र के लिये और जनता का विश्वास आप में और जनतन्त्र में कम होता चला जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोरम नहीं आयेगा तो अविश्वास प्रस्ताव कैसे पास होगा?

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : कोरम नहीं होने देते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कोरम नहीं है तो कैसे प्रस्ताव पारित होगा? पंचायत एक्ट के अन्दर प्रावधान है कि कोरम के अभाव में कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा।

श्री आलमअली (फतेहपुर) : अक्ल बड़ी या भैंस ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो चेष्टा करे उसको 12 महीने तक, 15 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव लाने ही नहीं दिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रतापगढ़ म्युनिसिपेलिटी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : नेता महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले को अगली रिपोर्ट में लाना ही उचित होगा, हम इस वक्त विचार कर रहे हैं इस रिपोर्ट पर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक स्वतन्त्र आयोग की बहुत आवश्यकता है, इस बात को ले कर के मैं यह उदारहरण प्रस्तुत नहीं करूं तो म अपना स्टेंड कैसे जस्टीफाई करूं ?

श्री जयनारायण सालोदिया: यह तो भूमिका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जब सदन के अन्दर ही पुलिस के अधिकारी सदस्यों को पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं तो मेरे खयाल से सतर्कता आयोग का होना एक दिखावा मात्र है, एक परमुखापेक्षी है, यह भी कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका मूल कारण, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि इस आयोग का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है इसका। जन प्रतिनिधियों के आचरण की जांच इस आयोग से कराना परमआवश्यक है, वह मंत्री हो, चाहे एम० एल० ए० हो, चाहे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जिला प्रमुख हो, चाहे सरपंच हो या पंचायत समिति का प्रधान हो। जब तक यह नहीं होगा, मेरे खयाल से इस सतर्कता आयोग का रखना और नहीं रखना बराबर है। यह विजिलेन्स कमीशन नहीं है, यह कमीशन नोन-विजिलेन्ट है।

दूसरा मेरा यह सुझाव है, और कल भी हमारे सदन में एक माननीय सदस्य ने चर्चा उठाते हुए, यह सदन के समक्ष सुझाव रखा, कि सतर्कता आयोग अगर हो तो जिस प्रकार का आयोग यू० पी० में स्थापित हुआ है, उसी तरह का आयोग यहां पर भी स्थापित होना चाहिये। मैं इतना कहूंगा कि श्री चरणसिंह डिफेक्टर हैं लेकिन वे अपने सिद्धांत के आदमी हैं और जिस निष्पक्षता से, जिस उच्च आदर्श को लेकर इस सतर्कता आयोग का उन्होंने स्वतन्त्रता पूर्वक, स्वेच्छा से, स्थापन किया है, वह देश के लिये हितकारक है और जनतन्त्र के लिये हितकारक है और वह एक ऐसी संस्था है जैसी स्कैंडीनेविया की औम्बड्समेन की संस्था है। वह एक ऐसी संस्था है, जैसी अभी केरल के अन्दर, जैसी अब ओड़िसा के अन्दर और जैसी हमारी सदैव से मांग आपके समक्ष चली आ रही है।

एक उदाहरण में निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। ऋषभदेव में एक सर्जीकल केम्प स्थापित हुआ। वहां पर बी० डी० ओ० और नेताओं ने सब्जी, फल-फूल राशन वगैरह में बहुत भ्रष्टाचार किया। मैंने विजिलेन्स कमिश्नर का स्वयं का जाकर ध्यान आकर्षित किया। पेज 15 पर इसमें कोई चर्चा भी की गई है, मैं नहीं जानता कि यह वही मामला है या दूसरा मामला है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह वही मामला तो नहीं है ?....

श्री मूलचन्द डागा : अध्ययन कर लें आप।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पेज 15 पर पैरा 5 है।

"राजस्थान के चल शल्य चिकित्सा (मोबाइल सर्जीकल यूनिट) में भ्रष्टाचार के कुछ दृष्टान्त बतलाते हुए एक परिवाद प्राप्त हुआ। मामला जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सोंपा गया और एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। आयोग ने रिपोर्ट तथा आलेखों का अवलोकन किया और उप-महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 468/420 तथा भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) (2) के अधीन मामला पंजीकृत करने की सलाह दी गई। मैं यह जानना चाहूंगा कि यह वही ऋषभदेव वाला मामला है या और कोई मामला है।

इसके साथ साथ जो यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है इसके टाइप की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे खयाल से यह टाइप इतना झीना और खराब है, अस्पष्ट है, कि सरकार के लिए यह व्यवस्था शोभनीय नहीं है।

एक और मामला है, मैं विशेष समय नहीं लूंगा, जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु मैं सदन के समक्ष उसको प्रस्तुत करूंगा। यह आम शिकायत डॉक्टरों के आचरण के संबंध में है;

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हमारे यहां उदयपुर में अनियमितताएं हैं और महिला वर्ग के प्रति अशिष्ट व्यवहार आदि की शिकायतें होती हैं, लेकिन यह एक उदाहरण जो है यह प्रस्तुत करने योग्य मैं समझता हूं। एक डॉक्टर थे वे कहीं पहाड़ पर टूर पर गये और उनके साथ में महिला कर्मचारी भी थी। जहां पर उनका मुकाम हुआ तो वहां पर महिला कर्मचारी ने डॉक्टर से उनके निकट के रिश्तेदारों के यहां सोने की इजाजत चाही। डाक्टर महोदय ने कहा कि वे ड्यूटी पर थीं, इसलिये उनको रिश्तेदारों के यहां जाकर सोने की छुट्टी नहीं दी जा सकती। इसके अन्दर यह स्पष्ट उल्लेख है कि डॉक्टर महोदय ने बेचारी उस महिला को अपने कमरे के अन्दर सुलाया और अर्धरात्रि में उसके साथ बलात्कार किया ! बलात्कार करने के पश्चात जब यह मामला सतर्कता आयोग के पास गया, तो सतर्कता आयोग के अन्दर यह मामला बिल्कुल सिद्ध हो गया। जब सिद्ध हो गया तो उपाध्यक्ष महोदय, कड़े से कड़ा दण्ड होना चाहिए था। जैसा कि मैंने आज ही कहा है, "भय बिन प्रीति न होई गुसाई" शासन का अविभाज्य अंग दण्ड देना है, लेकिन आप दण्ड नहीं दें, फिर इसके ऊपर क्या होता है कि विभागीय कार्यवाही के लिए वापिस, मेरा सर विभागीय कार्यवाही के लिए वापिस । विभागीय कार्यवाही के लिए वापिस भेजने का मतलब यह है कि सब मामले के ऊपर लीपापोती कर देना है। तो सूक्ष्म में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि 90 प्रतिशत इस रिपोर्ट में मामले ऐसे हैं कि जो विभागीय कार्यवाही के लिए वापिस प्रस्तुत कर दिये गये। इससे साफ साबित होता है कि सरकार की साख है वह बिल्कुल शून्य तक पहुंच गई है, उनमें निष्पक्षता की मात्रा तो रही ही नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्मचारियों पर उनका इतना अवलम्बन हो गया है कि उनकी कुर्सियां कायम रखने के लिए अगर कर्मचारी मदद न दें, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो । मैं तो यह कहता हूं कि कांग्रेस रूल क्या है? कांग्रेस कर्मचारी वेस्टेड पोजीशन का फार्मूला आज राजस्थान में 20 वर्षों से निरंकुश रूप से चल रहा है। तो मेरा यह निवेदन है, अभी ही निवेदन किया था....

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अभी कहा है रेप कमिट करने का, वह कहां पर लिखा है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसमें लिखा है।

श्री मूलचन्द डागा : आपका स्टेटमेंट गलत है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप देख लें। आपने कहा कि डॉक्टर को दण्ड मिलना चाहिए तो कहां रेप किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : महिला कर्मचारी थीं, या उनकी आशिक माशूक थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने ऐसी बात कही है कि डॉक्टर ने उनके साथ रेप किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इसको देख लूंगा गम्भीरतापूर्वक और आवश्यकता होगी तो पत्र-व्यवहार आपसे कर लूंगा। अगर आपका एक्स्प्लेनेशन पर्याप्त है तो मैं मेरी भूल को कबूल करूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें साफ है। वह लिखा हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर यह है तो मैं मेरी भूल को मन्जूर करता हूं।

श्री जयनारायण सालोविया : आपकी तरह से अड़ियल टट्टू थोड़े ही हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पेज 14 पैरा (1) देखिये। स्थानीय सेवाओं के हायर आफिसर।

मंत्री महोदय मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। मैं विशेष समय नहीं लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि केरल के अन्दर जो आयोग की स्थापना हुई है, उडिसा के अन्दर स्थापना हुई है, जो हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी ने सन '63 में सिफारिश की, एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्स कमीशन में श्री मोरारजी देसाई ने लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में सिफारिश की, अगर उन सिफारिशों को अपना कर ऐसी कोई स्वतन्त्र संस्था की स्थापना करते हैं तो मेरे खयाल में वह संस्था जनतन्त्र....

श्री दुर्गालाल बादवार : It is there at page 14 "रात्रि को वह और डाक्टर एक ही कमरे में सोये और अर्ध रात्रि के पश्चात डॉक्टर ने उसके सतीत्व हरण का प्रयत्न किया"।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार हूं, नहीं तो यह जो आरोप मैंने लगाया है उसके लिए आप साहस करके यह कहें कि जो हमारी आलोचना हैं, वह हमको शर्मिन्दा करती है।

तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक स्वतन्त्र आयोग की यहां पर स्थापना होती तो वह जनतन्त्र और देश के लिए हितकर होगा और आपकी प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदनकुमारी।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): उपाध्यक्ष महोदय, संथानम कमेटी की सिफारिश को व्यवहारिक रूप देने की मन्शा से राजस्थान सरकार ने सन 1964 में सतर्कता आयोग का गठन किया। चार वर्ष के समय में आयोग ने बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिये लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि इस आयोग के पास बहुत ही कम स्टाफ है जैसा कि आयोग के प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदनों के देखने से पता लगा कि लगभग 90 प्रतिशत परिवाद विभागीय जांच के लिए सम्बन्धित विभागों के पास वापिस भेजे गये। विभागीय जांच में अधिकारियों का रवैया पक्षपातपर्ण रहता है, यह किसी से छिपा नहीं है। कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि विभागीय अधिकारी अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जब जांच करते हैं तो उनका रवैया वकील और उसके फरीक जैसा दीखता है। वह नहीं

(श्रीमती मदनकौर)

अनुभव करता है कि मेरे विभाग के कर्मचारी के खिलाफ अगर मैं सही जांच करूंगा तो उसका आचरण उसकी सही जांच करने से शुद्ध होगा, बल्कि उसके दिमाग में यह भावना रहती है कि अगर उसके विभाग का अधिकारी दोषी पाया गया, यदि किसी विभाग का कोई कर्मचारी दोषी पाया गया, तो उस विभाग की हल्की लगेगी, उसके खिलाफ प्रचार होगा ऐसी धारणा रखते हैं...

श्री मूलचन्द डागा : वकीलों के बारे में आपने कैसे बताया....

एक माननीय सदस्य : इनको बोलने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : वकील तो न्याय करने में मदद देते हैं। वकीलों का रवैया खराब मत बताइये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हर जगह टांग क्यों अड़ाते हो।

एक माननीय सदस्य : इन्टरसेप्ट नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : इन्ट्रप्ट नहीं करें।

श्रीमती मदनकौर : जांच के जितने केसेज देखे हैं उनमें से ज्यादा केसेज छोटे अधिकारियों के खिलाफ होते हैं जैसे राजस्व विभाग में पटवारी के खिलाफ या रेवेन्यू इन्सपेक्टर के खिलाफ या नायब तहसीलदार के खिलाफ होते हैं। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के खिलाफ और हैड कांस्टेबल के खिलाफ होते हैं। कोआॅपरेटिव विभाग में कोआॅपरेटिव निरीक्षक तक ही सीमित रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भ्रष्टाचार की पहल नीचे से होती है न कि ऊपर से। लेकिन मैं समझती हूं भ्रष्टाचार पहले आज के समाज में ऊपर से होता है। राज्य सरकार उच्च अधिकारियों को प्रोटेक्शन देती है। मेरी राय है कि उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। उसके लिये सतर्कता आयोग को और भी अधिक अधिकार देने चाहिएं। मेरी यह भी राय है कि आयुक्त के पद पर रिटायर्ड आई० सी० एस० ऑफिसर के बजाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को नियुक्त करना चाहिए।

इसी प्रकार विभागीय जांच में कई बार प्रोसीजरल गलतियां रह जाती हैं और जब अधिकारी जो दोषी होता है वह अपील करने पर आगे जाकर बरी हो जाता ह। यह खेद का विषय है। बहुत मुश्किल से तो अधिकारियों के खिलाफ दोष पाये जाते हैं और प्रोसीजरल गलती के कारण वे बरी हो जायं तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिय आयोग को चाहिए कि विभागाध्यक्षों को निर्देश दें कि जांच करने वाले अधिकारी को विभागीय मामलों की पूरी जानकारी हो और उसको संविधान के प्रावधानों की भी पूरी जानकारी हो। ऐसे अधिकारी को ही जांच अधिकारी बनाना चाहिए।

सतर्कता आयोग ने, अपनी प्रथम रिपोर्ट में भी राय दी थी कि विभागों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। द्वितीय प्रतिवेदन में इस बात का जिक्र किया गया है लेकिन राज्य सरकार ने आज तक सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है। मेरी राय यह ह

(श्रीमती मदन कौर)

कि उनकी नियुक्ति तुरन्त की जाय और ऐसे अधिकारियों को सतर्कता आयोग के आधीन रखा जाय न कि डिपार्टमेंटल अधिकारियों के अंडर में क्योंकि जब किसी डिपार्टमेंटल अधिकारी के खिलाफ जांच की जाती है और उसी अधिकारी के नीचे जांच करने वाला अधिकारी है, तो उसका रवैया पक्षपातपूर्ण रहेगा। अतः ऐसे अधिकारियों को आयोग के नीचे रखना चाहिए।

मैं लोक सेवा नियमों के बारे में भी कुछ बातें कहूंगी। जब संविधान बना और चुनी हुई सरकारें बनीं, उस समय संविधान में प्रावधान रखा गया था कि सभी संबंधित विषयों पर विधान सभाय कानून बनायेंगी लेकिन 18 वर्षों के बाद भी, विधान सभा के गठन के बाद कभी भी लोक सेवा नियमों संबंधित बिल विधान सभा के सामने नहीं आये। उड़ीसा और बिहार में ऐसे नियम बने हैं और पार्लियामेन्ट में भी केन्द्रीय सरकार की सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिये नियम बनाये हैं। लेकिन हमारे यहां न तो कभी सरकार की ओर से ऐसा प्रयास किया गया है और न हमारी विधान सभा द्वारा ऐसे नियम बनवाये गये हैं। राज्य सरकार को यह मनमाना अधिकार नहीं है कि वह नियम बनावे और उसमें बार बार संशोधन करती जाय। कुछ सर्विसेज के लिये तो अब तक नियम ही नहीं बने हैं और कुछ के नियम बने हैं। नियम आज बने हैं तो 4 महीनों बाद फिर उसमें संशोधन कर दिये जाते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती लेकिन आज एड होक प्रमोशन्स और एड होक अपोइन्टमेन्ट्स का बहुत भारी प्रचलन है। एड होक प्रमोशन का कायदा यह है कि 6 महीनों के लिये नियुक्ति की जाय लेकिन अब शायद यह अवधि 12 महीने कर दी है। एड होक प्रमोशन 12 महीने के लिये रखें तो बुरी बात नहीं है, लेकिन बाद में तो रेगुलेराइज करना चाहिए। लेकिन देखा ऐसा जाता है कि एड होक अपोइन्टमेन्ट्स वैसे ही चलते रहते हैं। न तो उनका कन्फर्मेशन किया जाता है और न रिवर्सन किया जाता है। सरकारी ऑफिसर जिनको अपने काम में दिल लगाना चाहिए वे राजधानी के चक्कर लगाते रहते हैं ताकि एड होक अपोइन्टमेन्ट की मियाद और आगे बढ़ा दी जाय। इस तरह के कार्य से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और सर्विसेज में फस्ट्रेशन आता है।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कोन्फिडेन्शियल रिपोर्ट भरते समय अधिकारियों को राय देनी होती है कि जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका कार्य कैसा है? सरकारी अधिकारी कोन्फिडेन्शियल रिपोर्ट में अमूमन यह भी लिखते हैं कि उनकी जानकारी में इसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण उसके आचरण के बारे में वहम हो। मैं चाहूंगी कि आयोग इस बात की सिफारिश करें कि कोन्फिडेन्शियल रिपोर्ट में यह भी खाना होना चाहिये कि अमुक अधिकारी के बारे में जनता किस प्रकार की राय रखती है, जनता की नजरों में उसका आचरण किस प्रकार का है? इस प्रकार का कॉलम कोन्फिडेन्शियल रिपोर्ट में होना चाहिए ताकि जनता की राय की उचित कद्र की जा सके।

(श्रीमती मदनकौर)

भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिये और जो ईमानदार नहीं हैं ऐसे अधिकारियों के लिये सतर्कता आयोग ने और राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे अधिकारी जो ईमानदार और योग्य हैं, उनको प्रोत्साहन देने का कोई प्रावधान मौजूदा सर्विस रूल्स में नहीं है। इसलिये में चाहूंगी कि राज्य में एफिशियेन्सी लाने के लिये, ऑनेस्टी लाने के लिये, इन्टेग्रिटी लाने के लिये, जो ईमानदार और एफिशियेन्ट ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोशन देने हेतु विशष प्रावधान रखें, उनको प्राथमिकता दी जाय, ऐसे नियम होने चाहिएं ताकि प्रशासन में सुधार आ सके।

विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट से मालूम होता है कि वह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही जांच कर सकता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनतिक कार्यकर्ताओं और जन-नेताओं के आचरण के बारे में जांच होनी चाहिये, ताकि इनके आचरण के बारे में भी जनता को शक नहीं रहे। ऐसा भी प्रावधान करना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि लोक आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में हमारी सरकार ने सद्धांतिक रूप से भी कोई विचार नहीं किया है। मैं निवेदन करूंगी कि जब तक लोक आयोग की नियुक्ति नहीं करें, तब तक इस सतर्कता आयोग को ही अधिकार दिये जायं कि वे जन-नेताओं के खिलाफ भी जांच कर सकें। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यदि मंत्री और विधायक वास्तव में सोना हैं तो सोना तो तपने पर और भी चमकेगा। मैं सदन का अधिक समय न लेकर अंत में कहूंगी कि आयोग को मजबूत, सुदृढ़ और सुगठित किया जाय। इसको निष्पक्ष आयोग का रूप देना आवश्यक है।

(श्री शंकरलाल और श्री गिरधारीलाल बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने अभी थोड़ी देर पहले अपने विचार प्रकट किये.....

श्री उपाध्यक्ष : समय की सीमा दस मिनट है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिर्फ दस मिनट। तब तो, उपाध्यक्ष महोदय, फालतू बात नहीं करूंगा, काम की बात करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी ही मांग थी इसलिए आपसे ही शुरू करा जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब यह अर्ज कर रहे हैं कि अब काम की बात करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : राजस्थान सतर्कता आयोग ने जिस प्रकार से अपनी सिफारिशें की हैं और उसकी रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत हुई है, उसको देखने से पता लगता है, जैसा कि अभी कहा गया कि 90 पर्सेन्ट इस प्रकार के केसेज हैं जो सतर्कता आयोग ने विभागाध्यक्षों के पास उचित कार्यवाही करने के लिए भेजे हैं। इस रिपोर्ट से यह भी मालूम

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पड़ता है कि विभागाध्यक्षों ने, जो कैसेज उनके पास में सतर्कता आयोग के द्वारा भेजे गये, उन पर चुप्पी साध रखी है और उन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे यह साफ साबित होता है, जैसा कि अभी माननीय सदस्या ने थोड़ी देर पहले कहा कि विभागाध्यक्षों का इस प्रकार का रवैया है कि वह अपने डिपार्टमेंट के आदमियों को सेव करना चाहते हैं ताकि उनके डिपार्टमेंट की किसी प्रकार से बदनामी नहीं हो। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सतर्कता आयोग इसलिए बनाया कि जो भी आदमी दोषी पाया जाय, या दोष करने में जिस आदमी का हिस्सा हो, या उस दोष में किसी प्रकार किसी आदमी की साझेदारी हो, कोई आदमी चाहे परोक्ष में या प्रत्यक्ष में उससे सम्बन्धित हो तो उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ कार्यवाही करके, जिस प्रकार का उसने अपराध किया है, उसी प्रकार उसको दण्डित किया जाना चाहिए। यह बात सतर्कता आयोग ने खास तौर से कही है। मैं यह चाहता हूं, जैसी कि सतर्कता आयोग की सिफारिश है, कि जो कैसेज सतर्कता आयोग ने विभागाध्यक्षों के पास ट्रान्सफर किये हैं और जिसमें डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए था—उस तरह के कैसेज के सम्बन्ध में कोई न कोई टाइम गवर्नमेंट को मुकर्रर कर देना चाहिए कि सतर्कता आयोग के द्वारा जो कैसेज प्रस्तुत किये जायं, और उन पर जो सिफारिश सतर्कता आयोग द्वारा की जाय, उस पर इतने टाइम में एक्शन हो जाना चाहिए, इतने टाइम में आयोग की सिफारिश की पालना होनी चाहिए, या जो अधिकारी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तब जाकर इसके सम्बन्ध में कोई न कोई वस्तुस्थिति सामने आयेगी।

दूसरा निवेदन है कि जिस प्रकार पंचायत समिति और जिला परिषद् के कर्मचारियों के लिए सतर्कता आयोग ने नियम बनाने के सम्बन्ध में गवर्नमेंट को रेफर किया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि अब तक न तो पंचायत समिति के कर्मचारियों के खिलाफ गवर्नमेंट के नियमों के तहत कोई कार्यवाही होती है, न उनके लिए कोई अलग से नियम बने हुए हैं। इसलिये जो पंचायत समिति में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी पंचायत समिति में रहते हैं उन लोगों के लिए कोई नियम नहीं बने होने की वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसलिये जरूरी है कि उन कर्मचारियों के, जो पंचायत समिति, पंचायत और जिला परिषद में काम करते हैं, खिलाफ कार्यवाही करने के लिये नियम बनाये जाने चाहिएं जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये हैं। इसी वजह से आज काफी चर्चा होती है कि पंचायत समिति, पंचायत और जिला परिषद् में गड़बड़ी होती है। अगर नियम बन जायेंगे तो इसका भी समाधान हो सकता है।

तीसरा मेरा निवेदन है कि विभागाध्यक्षों के पास जो भी कैसेज सतर्कता आयोग के द्वारा भेजे जाते हैं, उनके सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों द्वारा उचित कार्यवाही की जाय और जिन कैसेज में जिस प्रकार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

से विजिलेन्स कमीशन रिकमन्ड करे, उसी प्रकार विभागाध्यक्षों के द्वारा एक्शन लिये जाने के बाद में उसकी रिपोर्ट विजिलेन्स कमीशन के पास जानी चाहिए कि अमुक अमुक केस में यह यह एक्शन ले लिया है। अब तक इस प्रकार का कोई रवैया विभागाध्यक्षों के द्वारा नहीं अपनाया गया है, जिससे यह जानकारी नहीं हो सकती है कि कितने कैसेज में विभागाध्यक्षों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इसलिये अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, तो हमको स्पष्टतया मालूम हो जायेगा कि सतर्कता आयोग ने जिन कैसेज को विभागाध्यक्षों को रेफर किया है, उन कैसेज में इस इस तरह का एक्शन लिया जा चुका है, या यह कैसेज किसी कमी की वजह से पेंडिंग पड़े ह। तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखा जायगा तो इससे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में काफी कमी आयेगी और समय पर कर्मचारियों के खिलाफ, या जो भी अधिकारी हैं चाहे बड़े से बड़े ऑफिसर हों, उनके खिलाफ समय पर कार्यवाही की जायगी तो दूसरे कर्मचारी और अधिकारी भविष्य के लिए सतर्क हो जायेंगे कि आयन्दा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विभागों के अन्दर जो कागजात पड़े हुए हैं, जिन पर डेफीनेट ऑर्डस नहीं हो रहे हैं, उनके सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया गया है ? इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है और जिन दूसरे अधिकारियों के खिलाफ जो एक्शन लिया जाना चाहिए, वह नहीं लिये जाने की वजह से आज दूसरे लोगों पर असर नहीं पड़ रहा है। इसलिये यह बहुत आवश्यक है।

एक निवेदन और है, खास तौर से सतर्कता आयोग ने पंचायत समिति के अन्दर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अन्दर जो बीज खरीदे जाते हैं, उनके लिए कहा है कि बीज की खरीद के लिए टेन्डर नहीं लिये जाते हैं, या दूसरे दूसरे प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। इसके लिए समय समय पर विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आती है और डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है कि बीज जो खरीदे जाते हैं पंचायत समितियों के द्वारा, वह बाजार में जो रेट्स हैं, उनसे कहीं ऊपर रेट्स पर खरीदे जाते हैं। इस प्रकार जो पंचायत समितियां बीज खरीद लेती हैं इससे काफी पैसे का दुरुपयोग होता है और इस प्रकार की गड़बड़ियों और अनियमितताओं को मिटाने के लिए अगर राज्य सरकार कोई नियम या कोई इस प्रकार की प्रक्रिया जारी करे, जिसके तहत पंचाय समिति या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बीज खरीदे, तो वह निर्धारित रेट्स से या निर्धारित तरीके से खरीदे जायं, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियां होने की सम्भावना नहीं रहे, तब जाकर यह गड़बड़ियां मिट सकती हैं। मैंने स्वयं ने देखा है, उपाध्यक्ष महोदय, एक पंचायत समिति गेहूं का बीज खरीदती है 95 के भाव से और दूसरी पंचायत समिति है, वह बीज खरीदती है 101 के भाव से। तो इस प्रकार से पंचायत समिति बीज को, जो एक तरह का बीज है, जो एक ही जगह से खरीदा जाता है, मनमाने भाव से तय करके खरीद कर पंचायत समिति में ले आती है और उसके अन्दर जो सारा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

का सारा पैसा ऊपर से दिया जाता है, उसका पंचायत समिति को ही भार वहन करना पड़ता है। इससे लोगों के अन्दर बड़ी निराशा उत्पन्न होती है और साथ ही जो लोगों को बीज दिया जाता है, उनको भी वह मंहगा पड़ता है। इस कारण से वहां लोगों के अन्दर असंतोष पैदा होता है क्योंकि लोगों के सामने जो भी गड़बड़ियां की जाती हैं, उनकी रुप रेखा या जिस तरीके से गड़बड़ी की जाती है, वह तरीका सामने आता है। इस वजह से पंचायतों के विषय में चर्चा का विषय ज्यादा बनता है। इसके सम्बन्ध में कोई न कोई इस प्रकार का तरीका निकालना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हो।

आजकल कई फाइलों के अन्दर से विभागों के अन्दर कागज गायब हो जाते हैं, असली जो डार्क्यूमेंट हैं, वह गायब हो जाते हैं जिससे कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सके। इस प्रकार की कई फाइलों के बारे में विजिलेन्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, कि जब बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ या जो बड़े बड़े इन्फ्लूएन्शल अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात होती है तो केवल फाइल ही नहीं, ओरिजिनल पेपर्स तक गायब हो जाते हैं और फाइल और पेपर्स के अभाव में उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा सकता है। सतर्कता आयोग ने गवर्नमेंट को इसके संबंध में रिकमन्ड किया है कि इस प्रकार के पेपर्स जो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एवीडेन्स में काम में आने लायक हैं, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कागजात हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई न कोई ऐसा तरीका गवर्नमेंट के द्वारा अख्तियार किया जाना चाहिए जिससे पेपर्स के गायब होने की सम्भावना भविष्य में नहीं रहे। अभी यहां तक हो जाता है, कि कई कागजों में तो सब्सटेंस तक बदल दिया जाता है, कई में कुछ और कर दिया जाता है, यहां तक कि ओरिजिनल डाक्यूमेंट गायब कर दिये जाते हैं, किसी में ओरिजिनल फाइल गायब कर दी जाती है। तो इस तरह के केसेज विजिलेन्स कमीशन के सामने आये हैं। आये दिन हम सुनते हैं इस तरह की बातें। हमारे यहां चूंकि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि सरकारी डाकूमेंट या सरकारी कागज और फाइलें जो भी वहां दफ्तरों में रहती हैं, वह वहां से गायब नहीं हों। यह सब चीजें गायब होती हैं और उनकी जानकारी कुछ लोगों को होती है। मैं समझता हूं कि बिना सरकारी कर्मचारी के दिये हुए किसी को भी फाइल की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, तो इस बात को भी हमको देखना चाहिए। आज गवर्नमेंट इतनी इनएफीशियेन्ट हो गई है, कि गवर्नमेंट आफिस से तमाम का तमाम रिकार्ड लोग घर ला सकते हैं और उनके बारे में इस विधान सभा के माननीय सदस्य इस सदन में जानकारी लाकर उपस्थित करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को मालूम नहीं होता है कि आखिर यह किस प्रकार से गायब हुई ? आपके कर्मचारियों और आपकी मशीनरी के द्वारा इस तरह का काम होता है इसको रोकने के लिए आप कतई असमर्थ हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह का रवैया सरकार का होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को जो भी फाइल हैं, डाक्यूमेंट्स हैं, जो इम्पार्टेन्ट पेपर्स हैं जिनके आधार पर आप बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ, उन

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

गलती के संबंध में एक्शन ले सकते हैं, कम से कम ऐसे डाक्यूमेंट्स, कागज और फाइल को गायब नहीं होने दिया जाय (समय-समाप्ति सूचक घंटी) केवल दो मिनट और.....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट बाकी हैं, दो मिनिट पहले है घंटी ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता ने अभी अपने भाषण में यह बात कही है कि हमारे यहां भी विजिलेन्स कमीशन का वैसा ही उपयोग होना चाहिए जैसा यू० पी० में हो रहा है । मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पार्लियामेन्ट में भी लोकपाल और लोक आयुक्त के बारे में विचार किया जा रहा है । इसलिए इस मामले में ऐसी बातें कही गई हैं, उनके संबंध में हम इस हालत में नहीं चाहेंगे कि उसके बीच में इस प्रकार का कोई कानून लाया जाय । उस कानून की तो धज्जियां यू० पी० में ही उड़ चुकी हैं । यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पांच, छः, सात पार्टियों को, जिसको मैं भानुमती का कुनबा कहा करता हूं, भर्ती कर लिया....

एक माननीय सदस्य : गलत है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनके द्वारा इस कानून की किस प्रकार धज्जियां उड़ीं, यह चीज छिपी हुई नहीं है । सारी अलग अलग पार्टियों ने इन्ट्रेस्ट लेकर अपना काम किया है, जिससे चौधरी चरण सिंह जैसे भले आदमी को गायब होना पड़ा है । यह शर्म की बात है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कानून को बनाने से लाभ नहीं है जिसका हम पालन नहीं करा सकें ।.....

श्री देवीदत्त गाड़िया : बंगाल में कांग्रेस का मंत्रिमण्डल था, वह भी तो गायब हुआ है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिस कानून का हम पालन नहीं करा सकें, उसके बारे में हमें विचार नहीं करना चाहिए । हमको देश-व्यापी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि कानून के द्वारा सभी व्यक्तियों को न्याय दे सकें और रूल आफ लॉ उनको दिला सकें । अभी थोड़ी देर पहले विरोधी दल के माननीय नेता ने बहुत सारी बातें कहीं । उन्होंने यह भी कहा कि अविश्वास का प्रस्ताव बहुत दिनों तक नहीं आता, अगर अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो आदमियों की गिनती ठीक तरह नहीं करते । इसका अर्थ है कि आप एक तरफ तो रूल आफ लॉ में विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ आप अपनी मान्यताओं को ऊपर लाना चाहते हैं । यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । आप रूल आफ लॉ को मानते हैं, लेकिन रूल आफ लॉ को मानने में समय लगता है, टाइम लगता है । लेकिन रूल आफ लॉ लाना हमारे लिए आवश्यक है । डेमोक्रेसी में रूल आफ लॉ से इन्कार नहीं किया जा सकता है । डेमोक्रेसी में रूल आफ लॉ नहीं चलता है और सब मनमाने तरीके से चलने लगें तो हम किसी प्रकार समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते । इसलिए रूल आफ लॉ मान कर ही हमें यह काम करना है । इन केसेज को देखें तो दो ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं—एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट—जिनके इस समय साढ़े तीन सौ केसेज से ऊपर हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कि ये दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका जनता से ज्यादा से ज्यादा काम पड़ता है। पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट—इसमें इनके भ्रष्टाचार के नमूने बताये हैं, तरीके दिये हैं, वह सबसे ज्यादा है। ऊपर से लेकर ठेठ नीचे तक जो तरीके बताये हैं, 49 तरीके इसमें बताये हैं, 49 तरीके का भ्रष्टाचार यहां चल रहा है, तो हमारा जो मंत्रिमण्डल है, उसके जो वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं, वह वरिष्ठता के साथ साथ काफी एक्सपीरियेन्स भी रखते हैं...

एक माननीय सदस्य : वरिष्ठ सदस्य डाका डालते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गड़बड़ बात मत करिये। डाका आप डालते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि 49 तरीके जो भ्रष्टाचार के बताये गये हैं, उनको रोकने का तरीका अपनाना चाहिए। हम जनता को एफीशियेन्ट, सदाचारी और पवित्र शासन देना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार कराने में हमारे विरोधी दल के साथी मदद करते हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: झूट बोलते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह मदद देते हैं और विधान सभा में लाकर गलत फेक्ट्स प्रस्तुत करते हैं और हमेशा झूठी बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपका बोलने का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों और महानुभावों को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रदेश में से भ्रष्टाचार मिटाना है तो तरीके से गवर्नमेंट की मदद करनी होगी। आप चाहते हैं कि राजनीति में आकर हम सरकार को बदनाम कर दें और अपना डंडा उसके ऊपर रखें, तो इस तरह तो न तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और न होगा। मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सतर्कता आयोग को सफल बनाना है, कामयाब बनाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है तो इसको कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम समझ कर सरकार को सहयोग दें, तो यह काम होगा वरना नहीं होगा।

श्री श्रवणलाल : भ्रष्टाचारियों को रोजाना मक्खन लगाते हो।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट मैंने शुरू से आखिर तक पढ़ी है, उसके बारे में मैं अपने विचार सूक्ष्म में, ज्यादा समय न लेते हुए सदन के सामने रखना चाहता हूं। 49 पेजेज की रिपोर्ट में आयोग ने सभी तरह के भ्रष्टाचार, जो स्टेट में चल रहे हैं, की लिस्ट दी है और उसमें फोर्टी नाइन टाइप के केसेज बताये हैं, जो सरकार के कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार होते हैं। इस प्रकार उन्होंने 41 डिपार्टमेन्ट के भ्रष्टाचार के केसेज इसमें अंकित किये हैं, यह अपने आपमें बहुत गम्भीर समस्या है और यह भी सरकार मंजूर करेगी कि जो चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने दो सौ साल के राज्य में आवश्यक नहीं समझी, इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीस साल में हमारे कन्ट्री को इस स्टेज पर लाकर पहुंचा दिया है कि वहां पर इस तरह के आयोग या एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह के क्राइम्स और

(श्री जुझारसिंह)

करप्शन को रोकने की आवश्यकता पड़ी। मैं मंत्री महोदय और सदन से गम्भीरता के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस आयोग, सतर्कता आयोग की कार्यवाही से और इसने जो आज तक अचीव किया है, उससे सेटिसफाइड हैं? क्या इस आयोग का जनता पर, कर्मचारियों पर इम्पैक्ट आया है? या इसके चार वर्ष के कार्यकाल में आप महसूस करते हैं कि दिनों-दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे इस आयोग की एक्जिस्टेन्स के बारे में कोई लोगबाग आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं?

एक और बात, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पढा होगा, महसूस करते होंगे, कि इसमें एक नई बात देखने को मिली है। आयोग ने 1873 केसेज को रिकार्ड किया है, उसमें आधे से अधिक में जो बात देखने को मिलती है, वह यह है कि इसमें गजेटेड ऑफिसर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और नान-गजेटेड ऑफिसर्स की तादाद उसके मुकाबले में कम है। यह भी अपने आपमें गम्भीर समस्या है। उपाध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने 1873 केसेज इस किताब में बताये हैं, जो भ्रष्टाचार के केसेज रिकार्ड किये गये हैं within last year उसमें से 738 गजेटेड ऑफिसर्स से संबंधित हैं और 634 केसेज नॉन-गजेटेड से संबंधित हैं। यह अपने आपमें गम्भीर समस्या हो जाती है कि जो सीनियर आदमी हैं, जिनके ऊपर ज्यादा दायित्व है, वह लोग-बाग ज्यादा तादाद में भ्रष्टाचार के केसेज में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इसके लिए कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है। इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसका आप खुद अन्दाज लगा सकते हैं। मैं इसके बारे में कोई नसीहत या कोई सुझाव देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। इस आयोग की रिपोर्ट में जो सुझाव दिये गये हैं, इनको गम्भीरता के साथ वास्तव में गवर्नमेंट सोचे। इसमें बहुत सीरिअस केसेज हैं, फाइल के गायब हो जाने के केसेज हैं। डेलीबरेटली आयोग के द्वारा ऐसी फाइलें भेजा जाना, जिन्हें हस्ताक्षरों से भेजा जाना और उनका गायब हो जाना—इस तरह कई केसेज लिखे गये हैं।

इसके साथ-साथ दूसरी बात है कि विटनेस होस्टाइल हो जाती हैं। क्यों होस्टाइल हो जाती हैं? कोई शिकायत करता है तो उस पर कार्य प्रणाली के द्वारा दबाव डाला जाता है। जो परेशान है, जो परेशानी की वजह से, भ्रष्टाचार के केस को लेकर विजिलेन्स कमीशन के पास जाता है, वह किसी स्टेज पर होस्टाइल हो जाता है—तो यह कोई बात है? इसके लिए आपको एक्शन लेना चाहिए। आपने इस आयोग को खड़ा किया है, तो इसके अन्दर आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, और लाइट हार्टेडली मैनर में नहीं लेना चाहिए, जैसे कि श्री गिरधारीलाल जी ने विरोधी दलों के ऊपर आरोप लगा कर इसको लाइट हार्टेडली मैनर में लेने की कोशिश की है। आपको इसको सीरियसली महसूस करना चाहिए और कोई न कोई स्टेप्स लेने चाहिये। इस आयोग ने बहुत सी बातें महसूस की हैं, दिक्कतें महसूस की हैं, कई केसेज टाइम बार्ड हो जाते हैं, या कई केसेज में टेक्निकल चीजों से हाथ-पांव बंध जाने के कारण जो कार्यवाही उसमें करना चाहते हैं, उसमें टाइम बार्ड हो जाने की वजह से कार्यवाही नहीं कर सकते। यह भी इसमें है कि डिपार्टमेंट की नेगलीजेन्स की वजह से टाइम पर रिपोर्ट नहीं पहुंचती है और केस टाइम बार्ड हो जाया करते हैं

(श्री जुझारसिंह)

तो इस तरह के छोटे छोटे केसेज की तरफ आपका ध्यान आयोग ने आकर्षित किया है, एक बड़े सीनियर ऑफिसर को आपने यहां बैठाया है, और उससे यह चाहा है कि कि भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करे तो उसने छोटी-छोटी बातों की तरफ आपका ध्यान आर्कषित किया है उस तरफ आपका ध्यान नहीं देना, यह एक शोचनीय बात है। इससे जाहिर होता है कि आपने केवल जनता को संतोष दिलाने के लिये कि हमने एक सीनियर रिटायर्ड आई०सी०एस० ऑफिसर की चैयरमेनशिप में आयोग कायम किया है, इस प्रकार की कार्यवाही की ह, तो इससे तो भ्ष्टाचार मिटने वाला नहीं ह।

इसके अलावा आयोग ने एक गम्भीर आरोप लगाया है, बडे-ब्रडे अधिकारियों और मंत्रियों, हालांकि मंत्रियों से तो यह सम्बन्धित नहीं है, पर वे भी इसमें पार्टी माने जा सकते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों ने जिन्होंने अपनी आमदनी के अनुपात से ज्यादा प्रॉपर्टी बढा ली है और उनके पास प्रमाण नहीं हैं कि उन्होंने अपनी आमदनी के अनुपात से इतनी अधिक प्रोपर्टी कैसे बना ली। इस तरह की प्रोपर्टीज के बारे में विजिलेंस कमीशन ने यह स्टेट्यूटरी राइट्स मांगे हैं कि वह उनके खिलाफ कार्यवाही कर सके। ऐसी उचित मांग के बारे में भी राज्य सरकार ने आज तक उचित स्टेप नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि आप आयोग तो बनाते हैं, पर भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहते हैं। ऐसी हालत में आयोग का रिपोर्ट पेश करना, उस पर यहां डिस्कशन होना और आपके द्वारा जवाब दे कर एक प्रक्रिया का भुगतान मात्र कर देना—इससे तो पब्लिक को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है और न इससे भ्रष्टाचार ही मिटने वाला है।

आज जिस तरह की हमारे देश की हालत है, आज हर महकमें में ढिलाई है, यह भी आयोग ने बताया है कि बहुत से करप्शन तो महकमों के काम ढिलाई की वजह से होते हैं। काम मे ढिलाई की वजह से लोगों को मजबूर हो कर पैसे देने पड़ते हैं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ यह रिपोर्ट दी गई इसमें जो लिखा है, उससे तो मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि जिस तरह की सजाएं प्रेस्क्राइब की हैं वे अपराधों को देखते हुए बहुत ही लाइट हैं, पर जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, उन पर गम्भीरता से बिना पार्टी का क्वेश्चन समझे, आपने अमल कर लिया तो आप काफी हद तक इस भ्रष्टाचार को मिटाने में पहल कर सकेंगे।

इस रिपोर्ट पर, जिसको एक जिम्मेदार आदमी ने दिया है, और भी सुझाव दिये जा सकते थे पर जितने सुझाव दिये हैं उनको आप सीरियसली विचार करके मान लेंगे तो काफी सुधार हो सकेगा। क्योंकि मेरा समय समाप्त होने जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : खत्म हो गया है।

श्री जुझारसिंह: मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री. कल्याणमल !

श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आज इस विषय में चर्चा चल रही है, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ये पढ़ रहे हैं, पढ़ने नहीं दिया जाय।

श्री रामकिशन : इनको प्रथम अवसर है, इसलिये बोलने दिया जाय ।

श्री कल्याणमल : इस तरह भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं, उतना भ्रष्टाचार तो नहीं है, जैसा कि पहले जितना भ्रष्टाचार दिखता था और रिश्वतें ली जाती थीं, वह तो आज नहीं है, उसमें तो काफी कमी हो गई है । पर यह जरूर है कि आज कई आदमियों को उनकी आर्थिक हालत अगर कमजोर है तो, उसको मजबूर हो कर भ्रष्टाचार करना पड़ता है ।

हर आदमी यह सोचे कि आज सभी भ्रष्टाचार करने लग गये हैं, तो वह गलत है। जितना भ्रष्टाचार पहले होता था, उतना तो आज नहीं होता है । भ्रष्टाचार के कई कारण हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार को आज बढ़ावा मिल रहा है ।

मैं अर्ज करूं, थोड़े दिनों पहले मैंने यह सूचना दी थी कि हमारे यहां पुलिस वालों ने काफी तादाद में पैसा लेना शुरू कर दिया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी के पास से एक आदमी ने 6 हजार रुपया हाथ से छीन लिया । वह रुपया पुलिस आज तक बरामद नहीं कर सकी है, तो इसमें यह माना जाय कि इसमें पुलिस की शरारत थी कि हाथ से रुपया छीन कर ले जाने वाले आदमी का चालान नहीं हुआ और वह रुपया भी बरामद नहीं किया जा सका, तो इसका मतलब यह है कि इसमें पुलिस का हाथ था, पुलिस की साजिश थी । और उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जंगलात की जमीन पर काश्तकारों का अभी से नहीं वर्षों से कब्जा है । मैंने विभाग का कई बार इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाया है पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इसका नतीजा यह होगा कि मजबूर हो कर काश्तकारों को रिश्वत देनी पड़ेगी और जंगलात के चंगुल से उन लोगों को अपनी जमीन निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने काफी महनत कर के जमीन को सुधारा है-तो आसानी से कैसे छोड़ेंगे ? तो सरकार का ध्यान हर तरफ होना चाहिये । इसी से यह भ्रष्टाचार मिट सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे रोडवेज वालों से कई लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, वे लोग कहते हैं कि हम लोगों से जबरदस्ती भ्रष्टाचार करवाया जाता है । जैसे कन्डक्टर है, उसको ऊपर वाले कहते हैं कि हमें अगर पैसा नहीं दोगे, तो तुम्हारे खिलाफ नोट लिख जायगा । तो इस तरह कई तरीके हैं जिनसे बड़ों को बढ़ावा मिलता है। तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि आप खिलाफत करने की बजाय सुझाव दें कि इस तरह से भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है, इस तरह के रास्ते सुझावें, जिससे कि भ्रष्टाचार मिट सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि भ्रष्टाचार करने के कई कारण हैं । अगर ऊपर से किसी आदमी को दबाया जाय तो वह आदमी और भी गलत ढंग से चलेगा, इससे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा । इसलिये अच्छे सुझाव देकर सुधार लाना चाहिये । सुधार लाने से ही भ्रष्टाचार मिट सकता है।

इस रिपोर्ट पर मैं और अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 4·56 बजे बुधवार दिनांक 6-3-68 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 441 की सूची)

ग्रामवार सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम	तादाद कृषि भूमि एक्वायर की गई।
1.	सास्याका	34)3
2.	नेतवाड़ी	9)
3.	मण्डारा	22॥)1
4.	खेड़ली जटको	42)4
5.	ऊधन	50॥)
6.	मुसेपुर	47।)4
7.	कर्मावटा	100)4
8.	मन्देरा	27)2
9.	गुण्डगांव	51)2
10.	कामा	231)1
11.	राधा नगरी	28।॥)1
12.	थलचाना	54।॥)1
13.	मोरी	58)4
14.	कठोल	51।॥)4
15.	खलूका	27।)
16.	चाकिया कलां	25॥)4
17.	खेरांवा	139)4
18.	बड़ोदा	69।)4
19.	सहसन	164॥)1
20.	सैंमका	27)2
	टोटल	1,262।॥)2

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची)

OFFICE OF THE COMMERCIAL TAXES OFFICER, 'L' CIRCLE JAIPUR

Statement of daywise shows of "AKHARI KHAT" alone and with other shows of other Films at Polovictory Talkies, Jaipur.

S.No.	Date	No. of Shows of Akhari Khat	No. of shows of other Films	Total Shows
1.	30-6-67	4	Nil	4
2.	1-7-67	4	—	4
3.	2-7-67	4	1	5
4.	3-7-67	4	—	4
5.	4-7-67	4	—	4
6.	5-7-67	4	—	4
7.	6-7-67	4	—	4
8.	7-7-67	4	—	4
9.	8-7-67	4	—	4
10.	9-7-67	4	1	5
11.	10-7-67	4	—	4
12.	11-7-67	4	—	4
13.	12-7-67	4	—	4
14.	13-7-67	4	—	4
15.	14-7-67	4	—	4
16.	15-7-67	2	2	4
17.	16-7-67	4	1	5
18.	17-7-67	5	—	5
19.	18-7-67	4	—	4
20.	19-7-67	5	—	5
21.	20-7-67	5	—	5
22.	21-7-67	3	2	5
23.	22-7-67	3	2	5
24.	23-7-67	3	3	6
25.	24-7-67	3	2	5
26.	25-7-67	3	2	5

S.No.	Date	No. of Shows of Akhari Khat	No. of shows of other Films	Total Shows
27.	26-7-67	3	2	5
28.	27-7-67	2	2	4
29.	28-7-67	3	2	5
30.	29-7-67	3	2	5
31.	30-7-67	2	3	5
32.	31-7-67	3	2	5
33.	1-8-67	3	2	5
34.	2-8-67	3	2	5
35.	3-8-67	2	2	4
36.	4-8-67	2	2	4
37.	5-8-67	2	2	4
38.	6-8-67	2	3	5
39.	7-8-67	2	2	4

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 172 की सूची)

एलॉटमेन्ट भूमि पंचायत, जुगराजपुरा के ग्राम मानगढ़ में दि० 16-7-66 के द्वारा हुई

क्रमांक		एलॉटी का नाम	खसरा नं०	रकबा	विशेष
1.	श्री	मालसिंह, पुत्र भोजसिंह, मिलट्री मैन	382	10)	
2.	,,	मूलचन्द, पुत्र रूड़ मिलट्री मैन, नं० 13905895 कोय सक्शन 2 (एपी एल)/ टीटी बी एन एउ मसी, लखनऊ	380	13)75	
3.	,,	गोमला, पुत्र श्योबक्सा, अनुसूचित जाति रेगर	396	10)	
4.	,,	नानगा, पुत्र धन्ना, रेगर, मानगढ़	381	10)	
5.	,,	श्रीमती मुन्नी, स्त्री सूर्यनारायण, मानगढ़	396	15)	
6.	,,	मोहनलाल, पुत्र धन्नालाल, रेगर, मानगढ़	396	15)	
7.	,,	रामचन्दर, पुत्र शिवनारायण, मानगढ़	381	10)	
8.	,,	भैरूसिंह, पुत्र गिरधारीसिंह, मानगढ़	396	15)	

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय में न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बीकानेर, सरदारशहर एवं चूरू के कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां

450. **श्री रावत राम** (छापरसु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचि जाति के उत्तर मैट्रिक एवं पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को भारत सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति के अलावा राजस्थान सरकार ने चालीस रुपया प्रति मास अतिरिक्त छात्रवृत्ति देने की घोषणा पिछले बजट अधिवेशन के दौरान की थी ? यदि हां, तो क्या बीकानेर डुंगर कॉलेज व सरदारशहर तथा चूरू लोहिया कॉलेज में पढने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को उक्त छात्रवृत्ति मिल चुकी है ?

(2) उक्त तीनों कॉलेजों में अनुसूचित जाति के कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं? कृपया नाम सहित सूचि सदन की मेज पर रखें।

(3) कृपया यह भी बतावें कि उक्त छात्रों को कितने छात्रवृत्ति कब दी गई ? क्या सरकार उक्त छात्रवृत्ति हर दूसरे माह नहीं दे सकती ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) डूंगर कॉलेज के अनुसूचित जाति के छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति की सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है। भविष्य में छात्रवृत्ति हर दूसरे माह देने की व्यवस्थ कर दी गई है। चूरू तथा सुजानगढ़ तथा सरदारशहर के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर दी जाती रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पटवारी ट्रेनिंग के लिए चयन

451. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिला में सन् 1966 में पटवारी ट्रेनिंग में भेजने के लिये किस किस व्यक्ति को चुना गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को चुना गया था, उनमें से आधे व्यक्तियों को सन् 66 में ट्रेनिंग में भेज दिया गया था और आधों को सन् 67 के लिये वेटिंग लिस्ट में रख लिया था ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों का नाम वेटिंग लिस्ट में था उनको नहीं भेज कर दूसरे नए व्यक्तियों को ट्रेनिंग में भेजा गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(1) कोटा जिले से सन् 66 में पटवार ट्रेनिंग स्कूल, टोंक के लिये चुने गये उम्मीदवारों की सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(राजस्व मंत्री)

सूची

(1) श्री पूरनमल, पुत्र श्री नरसिंह लाल, सीसवाली ।

(2) श्री ओमप्रकाश, पुत्र श्री भवानी शंकर, छीपाबड़ोद ।

(3) श्री अब्दुल शकूर, पुत्र श्री अब्दुल गफूर, अटरू ।

(4) श्री रामचरण, पुत्र श्री शाम नारायण, भोंयल ।

(5) श्री मोहनलाल, पुत्र श्री किशन लाल, कोयला ।

(6) श्री ब्रजमोहन, पुत्र श्री दुली चन्द, नियाना ।

(7) श्री नन्दकिशोर द्वारा सहकारी उपभोक्ता भण्डार कलेक्टरी, कोटा ।

(8) श्री शेरसिंह, पुत्र श्री चन्दनलाल यादव तथा इनकी अनुपस्थिति में निम्न उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में रखे गये थे:—

(1) श्री अयूब अहमद पुत्र नूर मोहम्मद, अटरू ।

(2) श्री प्रभुलाल, पुत्र श्री बिशनलाल, कलमण्डा ।

(3) श्री रामप्रताप, पुत्र श्री ग्यारसीलाल, मऊ ।

(4) श्री ईद मोहम्मद, पुत्र श्री शकूर मोहम्मद, दीगोद ।

(5) श्री रामकिशन, पुत्र श्री मथुरालाल, बमोरीकलां ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

हेमावास बांध का कमान्ड एरिया

452. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि हेमावास बान्ध के कमाण्ड एरिया में खारस भूमि है? यदि हां, तो कितनी और उसके खसरा नम्बरान क्या क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार की यह नीति है कि सबसे पहले पानी नहरी जमीन को दिया जावे ? यदि हां, तो फिर बारानी जमीन को पानी देने की समय समय पर क्यों व्यवस्था करदी जाती है ?

(3) क्या यह सत्य है कि बेटरमेन्ट लेवी आज तक हेमावास बान्ध के तहत जो जमीन है उसमें वसूल नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) हेमावास बान्ध का कमाण्ड एरिया कौन से साल में किस सर्क्यूलर के आधार पर बढ़ाया गया ? उस सर्क्यूलर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(5) क्या यह सत्य है कि हेमावास बान्ध से जोधपुर पीने के लिए पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

(3) सुधार कर लगाने के लिए कार्यवाही प्रगति में है । डिमान्ड सिलिप्स बन रही हैं, एवं जून तक खतौनी चली जायेगी ।

(सिचाई मंत्री)

(4) सन् 1964 में बांध को ऊंचा किया था, इस बारे में कोई सक्यूलर नहीं निकाला गया । बल्कि जल की उपलब्धी अधिक होने के कारण विभाग ने स्वयं ही इस कार्य को किया ।

(5) जी हां, लगभग 300 एम० सी०एफ० टी० पानी हर साल दिया जाता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

बुनकर बस्ती, सुजानगढ़ के निर्माण पर व्यय

453. **श्री लाभचन्द बैद** (सुजानगढ): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सुजानगढ़ नगर में बुनकर बस्ती का निर्माण हुआ था ? अगर हां, तो कब ?

(2) बुनकर बस्ती निर्माण में कितनी रकम खर्च हुई? और क्या प्रगति चल रही है?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग के अनुदान से सुजानगढ़ नगर में किसी भी बुनकर बस्ती का निर्माण नहीं कराया गया ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

सोडियम सल्फेट की टरबाइन की मरम्मत

454. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करें:–

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना के सोडियम सल्फेट की टरबाइनें टूट गई थी ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत में कुल कितना खर्च हुआ ?

(2) इसकी मरम्मत का राज्य सरकार द्वारा कितना अनुमान लगाया और जर्मन एक्सपर्ट्स द्वारा कितना ?

(3) क्या टरबाइन के टूटने के कारणों की जांच की गई ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

(4) क्या यही सही है इस कारखाने के कर्मचारी को इस संबंध में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। 4 नवम्बर, 1966 को टरबाइन का इम्पेलर व एक साइड का केसिंग एक्सीडेन्ट से टूट गया । उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई ।

(2) चूंकि यह टरबाइन अब जर्मनी में बनना ही बंद हो चुकी है, अतः इसके स्पेयर पार्टस उपलब्ध नहीं है। टरबाइन के निर्माताओं ने सुझाव दिया है कि पूरी टरबाइन ही, जो अब वे दूसरी प्रकार की बना रहे है, खरीद ली जावे जिसकी कीमत 64,200 डी० एम० उन्होंने बताई है।

(3) जी हां। टरबाइन के टूटने के कारणों की जांच की गई और यह पाया गया कि यह आकस्मिक दुर्घटना थी। टरबाइन निर्माता के इन्जीनियर्स को भी इस विषय में बुलाया गया था और उन्होंने पूरी जांच के बाद यह बताया कि यह केवल आकस्मिक दुर्घटना थी।

(राजकीय उप-क्रम मंत्री)

(4) जी हां। संबंधित कर्मचारी को निलम्बित किया गया था, परन्तु जब जांच में यह पाया गया कि यह केवल आकस्मिक दुर्घटना ही थी, तो उन्हें रीइन्सटेट कर दिया गया।

साझा बोर्ड

455. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान सरकार पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा के इन्जीनियरों का एक साझा बोर्ड बनाकर पंजाब के सेम का पानी का उपयोग राजस्थान में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या योजना बनाई है?

(2) क्या इस सम्बन्ध में गंगानगर के विधायकों को सरकार ने पिछले सत्र में आश्वासन भी दिया था? यदि हां, तो इस दिशा में आजतक कदम क्यों नहीं उठाया गया?

उत्तर

(1) कोई बोर्ड नहीं बना किन्तु एक कमेटी अवश्य बनी थी।

(2) इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है।

जैतारण एवं रायपुर तहसीलों में अकाल राहत कार्य

456. **श्री शंकरलाल** (जैतारण): क्या अकाल राहत मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा पाली जिले की जैतारण और रायपुर तहसील के इलाकों में अकाल राहत कार्य खोलने का प्रश्न विचाराधीन है?

(2) यह राहत कार्य कहां कहां, कौन कौन से और किस प्रकार व कब तक प्रारम्भ किये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामी कसुम्बी अलीपुर में कुआ बनाने के लिए ऋण

457. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28.3.57 को कार्यालय तहसील लाडनू, जिला नागौर, द्वारा ग्राम कसुम्बी अलीपुर, तहसील लाडनूं के किसी व्यक्ति को कुआं बनाने के लिये ऋण दिया गया था? यदि हां, तो किस व्यक्ति को कितना ऋण दिया? उस ऋण का क्या उपयोग हुआ, वापिस कब जमा हुआ तथा इसके सही उपयोग का प्रमाण-पत्र किस अधिकारी द्वारा दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त ऋण खेती का कुआ बनाने के लिये दिया था? यदि हां, तो उक्त ऋण लेने वाले के पास कितनी भूमि ऋण लेते समय

(श्री हरजीराम बुरड़क)

खातेदारी की थी और वह एकले की थी या उसमें किसी का साझा था तथा ऋण लेने के वर्ष से लेकर आज तक उक्त काश्तकार ने कितने कितने बीघा में हर साल काश्त कौन कौन से खसरा नम्बर की भूमि में की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां, श्री सुखदेव, पुत्र गंगाराम ब्राह्मण, ग्राम कसुबी को दो हजार रुपये का ऋण दिया गया। यह ऋण कुआ बनाने के लिये दिया गया था एवं कुआ बन गया है इस रकम का उपयोगिता प्रमाण पत्र रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। इस मामले से सम्बन्धित तकावी रजिस्टर भूतपूर्व राजस्व लेखाकार के मामले में पुलिस में जांच के लिये गया हुआ है । रेकार्ड मिलने पर ही पूर्ण विवरण दिया जा सकेगा ।

(2) यह सत्य है कि यह ऋण खेती का कुआ बनवाने के लिये दिया गया था ऋण प्राप्तकर्त्ता के स्वयं के नाम से कोई भूमि खातेदारी में नहीं है। यदि उसके संयुक्त परिवार के नाम से कोई भूमि है तो इसका पता नहीं चल सका क्योंकि ऋण प्राप्तकर्त्ता मौके पर नहीं मिला। यदि उसने किसी अन्य काश्तकार की भूमि में काश्त भी की है तो वह भी उसके मौके पर न मिलने के कारण जानकारी नहीं मिल सकी।

गंगानगर जिले में सरकारी क्षेत्र में नया उद्योग

458. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या राजकीय उप-क्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गंगानगर जिले में आगामी वर्ष कोई नया उद्योग सरकारी क्षेत्र में खोलने का विचार है ?

(2) यदि हां, तो कब तक और कौनसा उद्योग ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) चालू वर्ष में यदि कोई योजना सामने आवेगी तो उस पर विचार किया जावगा ।

तहसील सराड़ा में काश्तकारों को भूमि का अलाटमेंट

459. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील सराड़ा में वर्ष 1960 से 1966 तक कितने काश्तकारों को भूमि एलाटमेन्ट कमेटी द्वारा भूमि एलाट की गई है ?

(2) क्या जिन लोगों को भूमि एलाट की गई है उन्हें पैमूद की जाकर व इन्तकाल खोलकर लगान वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो कितने

(श्री देवीलाल)
किसानों से और अभी तक कितने किसानों के इन्तकाल खोले जाने बाकी हैं ?

(3) इन्तकाल खोले जाने बाबत क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) 2,184 काश्तकारान को 8,220 बीघा भूमि एलाट की गई है।

(2) जिन व्यक्तियों को भूमि अलोट की गई, उनसे 1,396 व्यक्तियों को अलोट की गई। भूमि सुपुर्द हो चुकी है व इन्तकाल दर्ज होकर लगान वसूल हो रहा है। 788 व्यक्तियों को भूमि पैमूद कर इन्तकाल दर्ज करना शेष है।

(3) तहसील में कार्यवाही जारी है। इनमें विलम्ब का कारण यह रहा कि अलोट की गई भूमि की किस्म परिवर्तन करने की कार्यवाही करनी थी।

झुन्झुनू जिले का माह मई, 1967 का चीनी का कोटा

460. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिले की माह मई, 1967 की माहवारी कोटे की चीनी 1,150 क्विन्टल लेप्स दिखाकर श्री गंगानगर के जिलाधीश के आदेशों से वहां की शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर ने गंगानगर जिले में एलोट कर दी तथा वह चीनी खुले बाजार में बेची गई ?

(2) क्या जिलाधीश, गंगानगर को झुन्झुनू जिले की कोटे की चीनी दूसरे जिलों को एलोट करने के अधिकार थे ? यदि नहीं, तो शुगर मिल्स के अधिकारियों ने जिलाधीश के आदेशों की पालना क्यों की ?

(3) क्या यह सही है कि खाद्य कमिश्नर, राजस्थान ने झुन्झुन जिले की इस चीनी को शुगर मिल्स श्री गंगानगर से उठाने की अवधि बढ़ा दी थी ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश जारी हो जाने पर भी, वहां की मिल्स के अधिकारीगण ने उन आदेशों की कोई परवाह न कर, चीनी दूसरे जिले को अलोट करने में दिलचस्पी क्यों ली ?

(4) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार, बिसाऊ और केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि०, झुन्झुनू के प्रतिनिधी अवधि के भीतर ही चीनी उठाने हेतु मिल्स के अधिकारियों के पास पहुंच गये थे तथा रकम भी बैंक ड्राफ्ट के जरिये पहुंच चुकी थी, फिर भी उनको चीनी नहीं दी गई ?

(5) क्या यह सही है कि किसी जिले का लेप्स कोटा भी भारत सरकार या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति बिना किसी भी अधिकारी को दूसरे जिले को अलोट करने का अधिकार नहीं है ? फिर जिलाधीश और शुगर मिल्स के मैनेजर ने किन अधिकारों के अन्तर्गत यह कार्यवाही की ?

(6) क्या शुगर मिल्स श्री गंगानगर की चीनी का स्टॉक विभिन्न जिलों को

(श्री रामनारायण चौधरी)

अलोट करने हेतु जिलाधीश, श्री गंगानगर के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहता है ?

(7) क्या सरकार झुन्झुनू जिले की 1,150 क्विन्टल चीनी माह मई, 1967 की जोअ ाज तक नहीं मिली है, दिलवाने के आदेश करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? तथा क्या सरकार इस मामले की जांच भी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । झुन्झुनू जिले के थोक व्योपारी द्वारा मिल को समय पर एडवान्स रकम नहीं भेजे जाने के कारण 5-6-67 को 1,150 बोरी के कोटा को लेप्स होने से बचाने हेतु जिलाधीश, गंगानगर ने मिल से अनुरोध कर यह माल अपने होलसेलर्स द्वारा उठाया था एवं इस माल को अपने जिले में नियमानुसार राशन में वितरित कराया था।

(2) जी नहीं । जिलाधीश, गंगानगर एवं मिल अधिकारियों ने राज्य को आवंटित कोटा को लेप्स होने से बचाने की भावना को लेकर, यह कार्यवाही की। यदि यह कार्यवाही नहीं की जाती, तो इतनी मात्रा में चीनी लेप्स हो जाती।

(3) जी नहीं। इस माल को उठाने की अवधि 6-6-67 प्रथम समाप्त होती थी, एवं मिल से माल भी 6-6-67 को उठाया गया था। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अवधि बढ़ाने हेतु लिखे जाने पर भारत सरकार ने अवधि 14-6-67 को बढ़ाई थी न कि खाद्य कमिश्नर ने।

(4) जी नहीं। इन दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधि मिल से माल उठाने हेतु बढ़ाई हुई अवधि में गये थे न कि मूल अवधि में। साथ ही इन संस्थाओं ने भी एडवान्स रकम हेतु मिल को तार के जरिये सूचना 27-5-67 को दी थी। कानून के मुताबिक आवंटन प्राप्त होने के पश्चात्, एक सप्ताह में ही एडवान्स की रकम भेजी जाकर, वैगन रजिस्टर कराये जाने होते हैं। अतः रकम समय पर नहीं भेजी गई।

(5) जी हां, यह सही है कि बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के किसी जिले का कोटा अन्य जिले को नहीं दिया जा सकता। यह सब राज्य की जनता के हित में किया गया था, ताकि इतनी मात्रा में आवंटित चीनी लेप्स न हो।

(6) जी नहीं।

(7) राज्य सरकार ने पूरे मामले की छानबीन कर तय किया था कि 1,150 क्विन्टल की मात्रा गंगानगर जिले के आवंटन में से कमी की जाकर जिला झुन्झुनू को आवंटित कर दी जावे। इसी के परिणाम स्वरूप 830 क्विन्टल चीनी गंगानगर के आवंटनों में से कम कर, झुन्झुनू को नवम्बर, 67 तक दिलवादी गई है। भारत सरकार ने नवम्बर, '67

(खाद्य मंत्री)
में चीनी हेतु नई नीति निर्धारित की है जिसके परिणामस्वरूप राज्य का कोटा बहुत कम कर दिया गया है, अतः बाकी बची 320 क्विन्टल अब झुन्झुनू को दिलाना सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति, फागी द्वारा बीज की खरीद

461. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी सु०): क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, फागी, जिला जयपुर में वर्ष 67-68 में कितना बीज किस फर्म से किस किस दर पर खरीदा गया?

(2) उक्त बीज खरीदने हेतु क्या टैक्निकल स्वीकृति ली गई थी? यदि तो हां, किस किस से?

(3) बीज किस अधिकारी के द्वारा खरीदा गया तथा उस अधिकारी को कितनी राशि अग्रिम दी गई?

(4) क्या अग्रिम राशि का एडजस्ट-मेन्ट हो चुका है? यदि हां, तो किस किस तिथि को और नहीं तो क्यों नहीं?

(5) क्या उपरोक्त बीज की खरीद की गई बोरियों में से कुछ बोरियां, विकास अधिकारी द्वारा जयपुर लाई गई? यदि हां, तो किस कारण तथा किस आदेश से?

(6) क्या इस सम्बन्ध में उक्त पंचायत समिति के कुछ कर्मचारी गणों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस किस के विरुद्ध क्या क्या व कब कब?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कृषि प्रसार अधिकारी की राय से बीज खरीदा गया।

(3) बीज की खरीद श्री शैलेन्द्र कुमार भटनागर, श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, कृषि प्रसार अधिकारी व श्री सूरजभान, कनिष्ठ लिपिक द्वारा की गई थी। श्री भटनागर को 69,500 रु०, श्री जैन को 5,000 रु० व श्री सूरजभान को 31,775 रु० अग्रिम दिये गये।

(4) श्री शैलेन्द्र कुमार भटनागर को दी गई रकम का दिनांक 8-6-67 को, श्री वीरेन्द्र कुमार जैन को दी गई रकम का दिनांक 30-9-67 को, समायोजन हो चुका है। श्री सूरजभान द्वारा केवल 16,875 रु० का समायोजन दिनांक 22-6-67 को कराया है।

(5) ऐसी शिकायत की जांच की जा रही है।

(6) श्री शैलेन्द्र कुमार भटनागर दिनांक 23-10-67 से, श्री सूरजभान दिनांक 20-10-67 से व श्री गंगाराम जैन, लेखा लिपिक दिनांक 18-10-67 से निलम्बित हैं।

वर्ष 1967-68 में पंचायत समिति, फार्मों द्वारा खरीद किये गये बीज की सूची

क्रम सं०	नाम जिससे बीज खरीदा गया	तादाद क्विन्टल	दर
1	2	3	4
1.	श्री मांगीलाल पुत्र जोहरी, अहीर, श्री राजपुरा	9	125)
2.	श्री भूराराम, पुत्र श्री रामनाथ, जाट, लसाडिया	20	120)
3.	श्री किस्तूराराम, पुत्र गिरधारीलाल, जाट, श्री राजपुरा	30	125)
4.	श्री मोहनराम, पुत्र नन्दराम, जाट, मानपुर गेट	26	125)
5.	श्री बिरधा, पुत्र नानूराम, जाट, ढाणी राजपुरा	16	125)
6.	श्री जगदीश, पुत्र श्योलाल बागड़ा, ब्राह्मण, केरिया का बास	50	125)
7.	श्री गोविन्दराम, ढाणी घाटेवाली की	39	125)
8.	श्री नारायण, पुत्र शिवबक्स, ब्राह्मण, केसरीसिंह पुरा	49	125)
9.	श्री लादू, पुत्र देवबक्स, ब्राह्मण, केरिया का बास	10	125)
10.	श्री प्रताब, पुत्र तलसीराम बागड़ा, ब्राह्मण, केरिया-का बास	16	125)
11.	श्री रामचन्द्र, पुत्र रुगनाथ बागड़ा, ब्राह्मण, केरिया का बास	2	125)
12.	श्री गणेश, पुत्र तलसीराम बागड़ा, ब्राह्मण, केरिया का बास	10	125)
13.	श्री रामचन्द्र, पुत्र रुगनाथ बागड़ा, ब्राह्मण, केरिया का बास	28	125)
14.	श्री भेरू, पुत्र रुगनाथ बागड़ा, ब्राह्मण, केरिया का बास	11	125)
15.	श्री कल्याण, पुत्र रुगनाथ, ढाणी सापोता	26	125)
16.	श्री शंकरलाल, पुत्र हरलाल चौधरी, कापड़िया का बास	100	125)
17.	श्री भगवानसिंह, पुत्र इन्द्रसिंह, पंवाला	44	125)
18.	श्री गिरधरदानसिंह, पुत्र बानदानसिंह, नगौड़िन्दा भोजपुरा	36	125)
19.	श्री शिव प्रकाश पुरोहित, पुत्र गंगा सहाय पुरोहित, सांगानेर	6)82	125)
20.	श्री गिरधरदान सिंह, पुत्र वालूदान सिंह, नगौड़िन्दा भोजपुरा	28	125)

1	2	3	4
	गेहूं सोनारा "64" मेक्सिकन		
21.	श्री सांगानेर ग्रामीण वृहत्त बहुउद्देशीय स० स० लि०, सांगानेर	65	125)
22.	श्री नृसिंहदत्त, पुत्र रामकिशन, जयपुर	15	125)
23.	श्री शिव प्रकाश पुरोहित, सांगानेर	1)78	125)
24.	श्री जयपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति, रामगंज चौपड़, जयपुर	30 क्विन्टल 47 किलो 300 ग्राम	114)75
	गेहूं सूरतगढ़ फार्म से आया		
25.	श्री जिला कृषि अधिकारी द्वारा सूरतगढ़ फार्म से आया	417 क्विन्टल 8 किलो 70 ग्राम	121)93
26.	श्री जिला कृषि अधिकारी जयपुर द्वारा प्राप्त		
	(1) शंकर ज्वार	92 किलो	7)50
	(2) शंकर मक्का	3 क्विन्टल	3)
	(3) शंकर बाजरा	129 किलो	8)

जिला बांसवाड़ा में राजस्व की भूमि पर नाजायज कब्जे

462. **श्री विट्ठल भाई** (पीपल खूंट सु०): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में जिन किसानों ने राजस्व की भूमि पर नाजायज कब्जे किये हैं उनके खेतों को मवेशियों से चरवा दिया गया है? यदि हां, तो किस किस गांव के कितने कितने किसानों के खेतों को चरवाया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन किसानों के खेतों को चरवाया गया है, उनमें से ऐसे किसान कितने जिनके पास भूमि नहीं होने के कारण, उन्होंने नाजायज कब्जे किये थे?

सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई।

तहसील पाटन में सिंचाई विभाग द्वारा ज्वार की खेती तथा उससे आय

463. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु०): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई नहर कोटोनी लवान, तहसील पाटन, जिला बूंदी में सिंचाई विभाग द्वारा 12 बीघा में शंकर ज्वार बोई गई थी? यदि हां, तो इसमें सरकार को कितनी आय हुई?

(2) उक्त कार्य पर किस किस मजदूर ने कितने कितने दिन काम किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि लगभग 70 मन ज्वार पैदा हुई और उसे बाजार में बेचा गया था? यदि हां, तो किस भाव बेची गई और उससे कितनी राशि प्राप्त हुई? क्या यह राशि सरकार के कोष में जमा करादी गई है?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग अधिदर्शक द्वारा करीब 9 बीघा जमीन में शंकर ज्वार बोई गई थी।

(2) इसका विवरण विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) पता नहीं, कितने मन ज्वार पैदा हुई और किस भाव बेची गई। सरकार के कोष में कोई धनराशि जमा नहीं हुई है।

फूट तालाब, जिला झालावाड़ की भूमि पर खेती

464. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष 67-68 में फूट तालाब, जिला झालावाड़ (रेंज झालावाड़) की जमीन जो फोरेस्ट विभाग की है, उसमें खेती की गई है। यदि हां, तो कितने रकबे में?

(2) क्या यह सही है कि इस जमीन को काश्त करने का ऑर्डर जिला फोरेस्ट अधिकारी द्वारा दिया गया है? यदि हां, तो क्या और कब?

(3) क्या यह सही है कि इस जमीन को राजस्व विभाग के अधीन नहीं लिया गया है?

Page No. 136

उत्तर

(1) जी हां, 15 बीघा फूट तालाब, मंदिया में।

(2) जी नहीं। राजस्व विभाग द्वारा 25-6-65 को यह भूमि आवंटित की गई।

(3) जी नहीं।

श्रीमाधोपुर तहसील में नकल की दरख्वास्त

465 **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्रीमाधोपुर तहसील में 1 जनवरी, 1967 से 1 जनवरी, 1968 तक प्राप्त कितनी कितनी नकल की दरख्वास्तें किस किस तारीख से पेंडिंग पड़ी हैं?

(2) इनमें कितनी दरख्वास्तें डबल फीस की हैं और कितनी सिंगल फीस की?

उत्तर

(1) श्रीमाधोपुर तहसील में 1 जनवरी, 1967 से 1 जनवरी, 1968 तक प्राप्त नकलों के प्रार्थना पत्रों में कुल 107 दरख्वास्तें विचाराधीन हैं। तारीख वार सूची संलग्न है।

(2) इन दरख्वास्तों में 12 डबल फीस की हैं एवं शेष 95 सिंगल फीस की हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी।)

ग्राम पंचायत, अकलेरा को शमशान घाट पर टिन शेड के लिए चद्दरों का परमिट

466. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम पंचायत, अकलेरा ने शमशान के लिये टिन शैड बनाने के लिये पंचायत समिति से चद्दरों का परमिट लिया था?

(2) परमिट से कितनी चद्दरें खरीदी गई?

(3) उक्त चद्दरें कहां पर लगाई गई?

(4) पंचायत के पास चद्दरों का इस समय जितना स्टॉक है? उनके स्टॉक पोजीशन की रिपोर्ट क्या है?

(5) क्या शमशान घाट पर चद्दरें लगादी गई हैं।

(6) क्या यह सही है कि जनता ने इस बाबत बार बार शिकायत की है और उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति द्वारा कोई परमिट नहीं दिया गया।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(6) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 447 की सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला नागौर में चलाये जाने वाले छात्रावास की सूची "अ" ।

नाम छात्रावास	योजना	तहसील
1 लाडनूं	विमुक्त जाति	लाडनूं
2 नागौर	अनुसूचित जाति	नागौर
अनुदानित छात्रावास		
1 हरिजन किसान छात्रावास ।	अनुसूचित जाति	डीडवाना
2 महात्मा गांधी छात्रावास ।	अनुसूचित जाति	जायल
3 महात्मा गांधी छात्रावास ।	अनुसूचित जाति	नागौर
4 महात्मा गांधी छात्रावास ।	अनुसूचित जाति	परबतसर
5 अनुसूचित जाति छात्रावास, लाडनूं ।	अनुसूचित जाति	लाडनूं

परिशिष्ट 6

(स्थगित प्रश्न संख्या 295 की सूची)

वित्तीय वर्ष 1965-66 और 1966-67 में मद्य निषेध क्षेत्र में होने वाली विदेशी मदिरा के क्रय-विक्रय के आंकड़े ।

लाईसेन्स धारी	क्रय	विक्रय
1 होटल कोरपोरेशन	17,443 लीटर	14,644 लीटर
2 4/4 गोरखा राइफल के मिलिटरी यूनिट	7,615 लीटर	6,109 लीटर

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 167 की सूची

ग्राम पंचायत गाडोता को पंचायत समिति दूदू द्वारा वर्ष 1959 से 1967 तक निर्माण कार्यों के लिए किये गये अनुदान का विवरण

क्रम	कार्य	दी गई रकम	भुगतान का दिनांक	रकम जिसका हिसाब प्राप्त हो गया	रकम जो खर्च हो चुकी है	कार्य अधूरा है या पूरा हो गया है	विशेष विवरण
1	सार्वजनिक कूप निर्माण व तेल, कोठा निर्माण, गोपालपुरा ।	250)	17-10-60	..	...	..	निजी सिंचाई कूप मे उपयोग किये जाने पर वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।
2	सार्वजनिक कूप मरम्मत, नासनोदा ।	250)	17-10-60	..	456)	अपूर्ण	
3	अनुसूचित जाति कूप निर्माण, गोपालपुरा ।	450)	30-3-61	1,704)59	635)56	,,	
4	अनुसूचित जाति कूप निर्माण, कापडियावास	1,800)	31-3-61	2,157)	1,381)06	,,	
5	सार्वजनिक कूप निर्माण, रेगरान	450)	27-11-63	682)12	825)89	,,	
6	सार्वजनिक कूप निर्माण, कोटजेवर ।	540)	20-6-63	641)67	1,250)	पूर्ण	
7	प्रा० शा० भवन, गाडोता	1,125)	10-11-60	2,117)72	1,317)55	,,	
8	पंचायत भवन, गाडोता	1,800)	31-3-61	3,663)87	4,203)85	अपूर्ण	
9	प्रा० शा० भवन, नासनोदा।	900)	6-10-64	1,852)93	3,859)54	,,	
10	चरागाह विकास हेतु	50)	29-3-62	...	...	...	कार्य सम्पादित न कराये जाने पर दि० 30-3-67 को रकम वसूल की गई
11	तालाब विकास गाडोती	1,350)	31-3-61	..	..	..	जांच आधीन ।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 169 की सूची)

Number of substitute workers on roll as on 1-3-68 in all the 3 Shifts.

1.	Blow Room and waste plant	41
2.	Carding	66
3.	Frame	147
4.	Ring	288
5.	Doubling	53
6.	Bending	23
7.	Reeling	97
8.	Bundling	15
9.	Winding and wraping	252
10.	Sizing and Sarnee	42
11.	Loomshed	359
12.	Folding	102
13.	Processing	219
14.	Engineering	89
15.	Sundries	57
	Total	1,850

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 171 की सूची)

सम्वत् 2021, 2022 एवं 2023 में उदयपुर जिले में अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या

क्रम संख्या	तहसील	संवत् 2021		संवत् 2022		संवत् 2023	
		खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
1.	गिरवा	..	..	35	89	132	43
2.	नाथद्वारा	...	7	2	89	26	76
3.	गोगुन्दा	...	..	5	54	7	44
4.	राजसमन्द	...	5	26	57	19	34
5.	रेलमगरा	..	..	..	11	1	3
6.	आमेट	...	13	16	37	..	11
7.	कुम्भलगढ	...	81	36	1	15	13
8.	भीम	..	..	17	33	17	9
9.	देवगढ़	8	19	38	35	..	19
10.	वल्लभनगर	..	4	27	130	114	71
11.	मावली	..	12	129	24	73	45
12.	सलुम्बर	..	56	89	103	137	40
13.	धरियावद	..	..	14	4	166	64
14.	सराडा	17	95	84	45	132	7
15.	खेरवाडा	84	151	205	107	195	32
16.	झाडोल	..	..	..	161	24	102
17.	कोटड़ा	..	..	270	40	32	154
		109	443	991	1,020	1,090	767

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 5 मार्च, 1968)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
21	अन्तिम से 10	श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
22	,, 9	ह	हैं
30	1	श्रा विजयसिंह	श्री विजयसिंह
34	14	पर	के
34	अन्तिम से 5	पुछा	पूछा
35	,, 3	खाद्य मंत्री :	खाद्य मंत्री
36	10	बराब	बराबर
37	अन्तिम से 14	जानान	जानना
37	,, 3	जबाब	जवाब
38	,, 10	लिखन	लिखने
39	13	सत्र	सत्र
43	10	कंबिनेट	केबिनेट
46	14	ओनर	ऑनर
47	अन्तिम से 6	से	के
47	,, 4	ह	हैं
49	,, 1	वतरण	वितरण
51	2	मननीय	माननीय
53	10	ब्रोड	ब्रॉड
55	4 व 9 व 14	श्रा केसरीसिंह	श्री केसरीसिंह हाड़ा
55	अन्तिम से 3 व 7	श्री केसरीसिंह	श्री केसरीसिंह हाड़ा
56	5 व 10	श्री केसरीसिंह	श्री केसरीसिंह हाड़ा
56	अन्तिम से 6 व 10	श्री केसरीसिंह	श्री केसरीसिंह हाड़ा
57	अन्तिम से 15	श्री केसरीसिंह	श्री केसरीसिंह हाड़ा
67	1, 3, 5, 9,	अलाट	अलॉट
69	12	ह	है
74	13	ह	है
74	अन्तिम से 14	प्राजेक्ट्स	प्रोजेक्ट्स
75	,, 7	प्राजेक्ट्स	प्रोजेक्ट्स
80	,, 11	पहले न रिक्त	पहले रिक्त
85	,, 1	क्षत्र	क्षेत्र
86	5	कॉ रिशन	कॉर्पोरेशन

1	2	3	4
89	अन्तिम से 11	कार्यो	कार्यों
90	16	अभाव म	अभाव में
90	17	हो अधूरे	ही अधूरे
93	2	स वर्ष	इस वर्ष
93	14	श्री दवीलाल सराड़ा	श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा)
95	शीर्षक	अध्यक्षीय व्यवस्था	अतारांकित प्रश्नोत्तर
99	5	ोर	और
147	अन्तिम से 11	ये लोंग	ये लोग
147	,, 5	कि म	कि मैं
148	21	सिफ	सिर्फ
150	2	चन्दराज	चन्दररांज
150	8	में आपको	मैं आपको
151	10	निरंजसिंह	निरंजनसिंह
154	अन्तिम से 13	खबरे	खबरें
154	,, 6	फेक्टस	फेक्ट्स
154	अन्तिम	मने	मैंने
155	अन्तिम से 15	रेकाडस	रेकार्डस
155	,, 8	सांवरमल बासोतिथा	सांवरमल वासोतिया
155	अन्तिम	मंने	मैंने
157	10	महत्वपर्ण	महत्वपूर्ण
157	17	विभाग के	विभाग की
157	अन्तिम से 9	हे जिसको	है जिसको
157	,, 5	ैनेजर	मैनेजर
158	8	श्री देदिवत्त	श्री देवीदत्त
159	18	आप है।	आप हैं।
159	20	समभता हू	समभता हूं
163	5	मे	में
163	6	हुं	हूं
172	अन्तिम से 10	कहीं	कहां
173	,, 5	श्री रामनरायण चौधरी	श्री रामनारायण चौधरी
177	15	चौरी	चोरी
178	अन्तिम से 2	श्रीविशम्बर नाथ जोशी	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
181	,, 4	संट्रल	सेण्ट्रल

1	2	3	4
186	13	अमिस्ट	अमीस्ट
186	17	विनिर्दिष्ट	विनिर्दिष्ट
186	अन्तिम से 12	विनिर्द्धिष्ट	विनिर्दिष्ट
188	4	7 ,,	7 वें
188	5	सेकड	सेकण्ड
189	अन्तिम से 1	म	में
190	,, 3	भीअ	अभी
191	11	श्री विशम्बरनाथ जोशी	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
191	15	पछ	पछ
191	अन्तिम से 5	ह	है
192	अन्तिम से 11	श्री विशम्बरनाथ जोशी	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
192	अन्तिम से 12	ह	है
192	12	वसल	वसूल
194	8	जायेंग	जायेंगे
197	अन्तिम से 14	श्री विशम्बरनाथ जोशी	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
203	,, 12	गोरवाग्मित	गौरवान्वित
215	12	य० पी०	यू० पी०
223	15	सभाय	सभायें
229	19	ह	हैं
230	अन्तिम से 16	पंचाय	पंचायत
235	,, 9	झूट	झूठ
239	14 व 15	ह	है
242	3	पडगी	पडेगी
242	12	कह	कहते
242	14	लिख	लिखा
242	18	जरा	जा
243	13	गुण्डगाव	गुडगांव
249	11	अनुसुचि	अनुसूचित
252	अंतिम से 2	सिलिप्स	स्लिप्स
256	,, 2	वसली	वसूली